Vol. 269
No. 12

Tuesday,
16 December, 2025

25 Agrahayan, 1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Reference by the Chair

Fifty-Fourth Anniversary of Vijay Diwas (page 1)

Papers Laid on the Table (pages 1 — 16)

Messages from Lok Sabha— *Reported* and Government Bills laid on the Table

The Appropriation (No. 4) Bill, 2025 (page 16 & pages 166 — 167)

The Repealing and Amending Bill, 2025 (page 161)

Motion for nomination to serve on the Joint Committee on the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025 (page 165)

Report of the Committee on Subordinate Legislation (page 16)

Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy (pages 16 — 17)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways (page 17)

Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways (page 17)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (page 18)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Statements by Ministers

Status of implementation of Recommendations contained in the One Hundred Fifty-sixth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare (page 18)

Status of implementation of the Observations/Recommendations contained in the Sixth, Thirteenth, Second and Ninth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance (page 19)

Matters raised with Permission-

Demand for setting up a Heritage Fire Safety Fund to protect historic marketplaces (page 20 — 21)

Demand for independent and comprehensive review of serious irregularities in the organic cotton certification system under the National Programme for Organic Production (NPOP) and implementation of TraceNet 2.0 (pages 21 — 22)

Demand for conferring Bharat Ratna posthumously upon Late Shri Zubeen Garg (pages 22 — 23)

Concern over the increasing cyber threats to children and promoting digital safety education (pages 23 — 24)

Need to strengthen animal welfare systems in the country (pages 24 — 25)

Demand for establishing an NTA-led indigenous English Proficiency Examination for students seeking overseas education (pages 26 — 27)

Demand for special package and mission-mode programme for all-weather road connectivity in Odisha (pages 27 — 28)

Need for Central assistance to transform Tau Devi Lal Stadium into a World Class Sports Science and Training Centre (pages 28 — 29)

Need for a balanced and responsible use of technology among youth (pages 29 — 30)

Demand for expediting the Greenfield Airport at Palvoncha, Bhadradri Kothagudem, Telangana (pages 30 — 31)

Website: http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in

Demand for High-Level Inquiry into poor construction quality and structural damage of the newly built Itarsi-Narmadapuram railway overbridge (pages 31 — 32)

Demand for extension of Vande Bharat service from Madgaon up to Kozhikode (pages 32 — 33)

Demand for development of railway connectivity in South Odisha (pages 33 — 34)

Need for an effective system to ensure Direct Benefit Transfer (DBT) of MSP and Market Price difference to farmers (pages 35 — 36)

Concern over the rising suicide among newly married women in the country (pages 36 — 37)

Concern over the working conditions of women frontline workers and vacancies under central schemes (pages 38 — 39)

Concern over the operational delays and safety issues of the Delhi—Meerut RRTS corridor (pages 39 — 40)

Concern over the hardships faced by OBC community in access to higher education (pages 40 — 41)

Need for robust freight infrastructure and logistics in Assam (pages 41 — 42)

Oral Answers to Questions (pages 42 — 76)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials*]*

Statement by Minister Correcting answer to Question (pages 76 — 79)

Discussion on Election Reforms- *Concluded* (pages 80 — 117)

Government Bill— *Returned*

The Appropriation (No.4) Bill, 2025 (pages 117 — 161 & pages 162 — 164 pages 166 — 167 pages 167 — 171)

Recommendations of the Business Advisory Committee (page 167)

Contents Page

RAJYA SABHA

Tuesday, the 16th December, 2025/25 Agrahayana, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

REFERENCE BY THE CHAIR

Fifty-Fourth Anniversary of Vijay Diwas

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, today, we commemorate the 54th anniversary of Vijay Diwas. On 16th December, 1971, the valour, determination and the steadfast resolve of our courageous Armed Forces led Bharat to a historic victory against Pakistan. It culminated in the birth of the independent nation of Bangladesh. This decisive victory altered the geopolitical landscape of our region. But, more importantly, it affirmed India's unwavering commitment to justice, human dignity and freedom. The 13-day war showcased India's military brilliance which was marked by swift strategy, seamless coordination and fearless execution by the Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy. The exemplary courage and bravery, sense of duty and unmatched professionalism of our Armed Forces will continue to inspire millions of citizens of the country, especially the younger generations to always place the nation above oneself. On this solemn occasion of the 54th Vijay Diwas, the Chair and the Members of the House join the fellow countrymen in paying homage to the brave hearts who made supreme sacrifice in the service of the nation. May the legacy of their courage and valour guide us today in our collective resolve to safeguard the sovereignty and the integrity of Bharat!

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, who was the Prime Minister at that time? ...(*Interruptions*)... Sir, who was the Prime Minister!

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Notification of the Ministry of Health and Family Welfare

Contents Page

II. **Reports and Accounts (2024-25) of HLL, Thiruvananthapuram; AIIMS, Madurai; NIMHANS, Bengaluru and related papers**

III. **Reports and Accounts (2024-25) of LGBRIMH, Tezpur, Assam; NDTBC, New Delhi; NITRD, New Delhi; NAMS, New Delhi; NCISM, New Delhi and NCH, New Delhi and related papers**

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) Notification No. G.S.R. 821(E)., dated the 6th November, 2025, publishing the Transplantation of Human Organs and Tissues (Amendment) Rules, 2025, under sub-section (3) of Section 24 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994, along with the Extract of the Regulations.

[Placed in Library.*See* No. L.T. 5974/18/25]

II. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) Fifty-ninth Annual Report and Accounts of the HLL Lifecare Limited (HLL), Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5975/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (4) of the Section 18 and Section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956:-

(a) Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Madurai, Tamil Nadu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5976/18/25]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of the Section 19 and Section 20 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences (NIMHANS) Act 2012:-

(a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bengaluru, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library.*See* No. L.T. 5977/18/25]

III. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur, Assam, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library.*See* No. L.T. 5978/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the New Delhi Tuberculosis Centre (NDTBC), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5504/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Audited Accounts of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases (NITRD), New Delhi, for the year 2024-25.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5506/18/25]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the National Academy of Medical Sciences (India) (NAMS), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Academy.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5505/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 41 and of sub-section (3) of Section 42 the National

Contents Page

Commission for Indian System of Medicine Act, 2020: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Commission.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5497/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Commission for Homoeopathy (NCH), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5498/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Finance

II. Reports and Accounts (2024-25) of New India Assurance Company Limited, Mumbai; National Insurance Company Limited, Kolkata; United India Insurance Company Ltd., Chennai; Oriental Insurance Company Ltd., New Delhi; IRDAI, Hyderabad and related papers

III. Report and Accounts (2024-25) of IEG, Delhi and Report (2024-25) on the performance of Central Public Sector Enterprises

IV. Statement on Half Yearly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget- 2025-26

V. Reports and Accounts (2024-25) of the Regional Rural Banks and related papers

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(1) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/267., dated the 18th September, 2025, publishing the Securities and Exchange Board of India (Custodian) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) SEBI/LAD-NRO/GN/2025/274., dated the 18th November, 2025, publishing

Contents Page

the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (2), *see* No. L.T. 5558/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(1) FEMA 10(R)(7)/2025-RB., dated the 6th October, 2025, publishing the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Seventh Amendment) Regulations, 2025.

(2) FEMA 3(R)/(4)/2025-RB., dated the 6th October, 2025, publishing the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (Amendment) Regulations, 2025.

(3) FEMA 23(R)/(7)/2025-RB., dated the 14th November, 2025, publishing the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (3), *see* No. L.T. 5559/18/25]

(C) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. G.S.R. 790(E)., dated the 27th October, 2025, publishing the Banking Companies (Nomination) Rules, 2025, under sub-section (5) of Section 52 of the Banking Regulation Act, 1949.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5560/18/25]

(D) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 629(E)., dated the 12th September, 2025, publishing the Customs (Finalisation of Provisional Assessment) Regulations, 2025.

(2) G.S.R. 727(E)., dated the 30th September, 2025, publishing the Sea Cargo Manifest and Transshipment (Fourth Amendment) Regulations, 2025.

(3) S.O. 4940(E)., dated the 30th October, 2025, publishing the Levy of Fees (Customs Documents) Amendment Regulations, 2025.

(4) S.O. 4941(E)., dated the 30th October, 2025, publishing the Customs (Voluntary Revision of Entries Post Clearance) Regulations, 2025.

(5) G.S.R. 876(E)., dated the 28th November, 2025, publishing the Project Imports (Amendment) Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (5), *see* No. L.T. 5556/18/25]

(E) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 885(E)., dated the 7th December, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 163(E), dated the 9th March, 2021, under sub-section (8) of Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5612/18/25]

II. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5566/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5567/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the United India Insurance Company Ltd., Chennai, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor

General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5565/18/25]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Oriental Insurance Company Ltd., New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5568/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

(a) Annual Report of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Hyderabad, Telangana, for the year 2024-25.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5564/18/25]

III. (i) A copy (in English and Hindi) of the Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Economic Growth (IEG), Delhi, for the year 2024-25.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5563/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Public Enterprises Survey Annual Report on the performance of Central Public Sector Enterprises, for the year 2024-25.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5553A/18/25]

IV. A copy (in English and Hindi) of the Statement on Half Yearly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget at the end of the first half of the Financial year 2025-26 and Statement explaining deviation in meeting the obligations of the Government, under sub-section (1) of Section 7 and sub-section (3) (b) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5554/18/25]

V. A copy each (in English and Hindi) of the Annual Reports and Accounts of the following Regional Rural Banks, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts, under Sub-section (2) of Section 20 of the Regional Rural

Banks Act, 1976:-

(i) 1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Hanumakonda, Telangana;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5569/18/25]

2. Andhra PragathiGrameena Bank, Kadapa, Andhara Pradesh;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5570/18/25]

3. Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun, Arunachal Pradesh;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5571/18/25]

4. Aryavart Bank, Lucknow, Uttar Pradesh;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5572/18/25]

5. Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati, Assam;
[Placed in Library.*See* No. L.T. 5573/18/25]

6. BangiyaGramin Vikash Bank, Murshidabad, West Bengal;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5574/18/25]

7. Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodara, Gujarat;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5575/18/25]

8. Baroda Rajasthan KshetriyaGramin Bank, Ajmer, Rajasthan;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5576/18/25]

9. Baroda U.P. Bank, Gorakhpur, Uttar Pradesh;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5577/18/25]

10. Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur, Andhra Pradesh;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5578/18/25]

11. Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur, Chhattisgarh;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5579/18/25]

12. Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna, Bihar;
[Placed in Library. *See* No. L.T. 5580/18/25]

13. Ellaquai Dehati Bank, Srinagar, U.T. of Jammu and Kashmir;

[Placed in Library *See* No. L.T. 5581/18/25]

14. Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi, Himachal Pradesh;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5582/18/25]

15. J&K Grameen Bank, Jammu, UT of Jammu & Kashmir;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5583/18/25]

16. Jharkhand Rajya Gramin Bank, Ranchi, Jharkhand;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5584/18/25]

17. Karnataka Gramin Bank, Ballari, Karnataka;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5585/18/25]

18. Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad, Karnataka;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5586/18/25]

19. Kerala Gramin Bank, Malappuram, Kerala;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5587/18/25]

20. Madhya Pradesh Gramin Bank, Indore, Madhya Pradesh;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5588/18/25]

21. Madhyanchal GraminBank,Sagar, Madhya Pradesh;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5589/18/25]

22. Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad, Maharashtra;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5590/18/25]

23. Manipur Rural Bank, Imphal, Manipur;

[Placed in Library. See No. L.T. 5591/18/25]

24. Meghalaya Rural Bank, Shillong, Meghalaya;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5592/18/25]

25. Mizoram Rural Bank, Aizawl, Mizoram;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5593/18/25]

Contents Page

26. Nagaland Rural Bank, Kohima, Nagaland;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5594/18/25]

27. Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar, Odisha;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5595/18/25]

28. Paschim Banga Gramin Bank, Howrah, West Bengal;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5596/18/25]

29. Prathama U.P. Gramin Bank, Moradabad, Uttar Pradesh;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5597/18/25]

30. PuduvaiBharathiar Grama Bank, Saram, Puducherry;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5598/18/25]

31. Punjab Gramin Bank, Kapurthala, Punjab;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5599/18/25]

32. Rajasthan MarudharaGramin Bank, Jodhpur, Rajasthan;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5600/18/25]

33. SaptagiriGrameenaBank,Chittoor, Andhra Pradesh;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5601/18/25]

34. Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak, Haryana;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5602/18/25]

35. Saurashtra Gramin Bank, Rajkot, Gujarat;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5603/18/25]

36. Tamil Nadu Grama Bank, Salem, Tamil Nadu;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5604/18/25]

37. Telangana Grameena Bank, Hyderabad, Telangana;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5605/18/25]

38. Tripura Gramin Bank, Agartala, Tripura;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5606/18/25]

Contents Page

39. Utkal Grameen Bank, Bolangir, Odisha;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5607/18/25]

40. UttarbangaKshetriyaGramin Bank, Coochbehar, West Bengal;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5608/18/25]

41. Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur, Bihar;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5609/18/25]

42. Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun, Uttarakhand;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5610/18/25]

43. Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur, Maharashtra;

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5611/18/25]

(ii) Consolidated Review of the above Regional Rural Banks for the year 2024-25.

Reports and Accounts (2024-25) of PDIL, Noida; NIPER, Ahmedabad; NIPER, Hyderabad; IPFT, Gurugram and related papers

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(A) A copy (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) Annual Report and Accounts of the Projects and Development India Limited (PDIL), Noida, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5499/18/25]

(B) A copy (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 23 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Act, 1998: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ahmedabad, Gujarat, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5502/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Hyderabad, Telangana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5503/18/25]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(a) Thirty-fourth Annual Report and Accounts of the Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Gurugram, Haryana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5979/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

II. Report (2024-25) of the CCPA, New Delhi

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), under sub-section (4) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009:-

(1) G.S.R. 778(E)., dated the 24th October, 2025, publishing the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2025.

(2) G.S.R. 779(E)., dated the 24th October, 2025, publishing the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Amendment Rules, 2025.

Contents Page

(3) G.S.R. 875(E)., dated the 28th November, 2025, publishing the Legal Metrology (General) Sixth Amendment Rules, 2025.

(4) G.S.R. 881(E)., dated the 2nd December, 2025, publishing the Legal Metrology (Packaged Commodities) Second (Amendment) Rules, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (4), *see* No. L.T. 5787/18/25]

II. A copy (in English and Hindi) of the Annual Report of the Central Consumer Protection Authority (CCPA), New Delhi, for the year 2024-25, under sub-section (2) of Section 27 of the Consumer Protection Act, 2019.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5785/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

II. Reports and Accounts (2024-25) of SMFCL, New Delhi; the Kamarajar Port Limited, Chennai; the V. O. Chidambaranar Port Authority, Tuticorin, Tamil Nadu; JNPA, Navi Mumbai; VPA, Visakhapatnam and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR) to lay on the Table—

I. (A) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. IWT-IWAI-230115(11)/1/2020, dated the 6th March, 2025, publishing the National Waterways (construction of Jetties/Terminals) Regulations, 2025, under Section 36 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985, along with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5980/18/25]

(B) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2025/03., dated the 25th November, 2025, publishing the Ordinance 28 of 2018 for general information, under sub-section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5981/18/25]

II. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) Annual Report and Accounts of the Sagarmala Finance Corporation Limited

Contents Page

(SMFCL) (formerly known as Sagarmala Development Company Limited), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5517/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 44 of the Major Port Authorities Act, 2021:-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Kamarajar Port Limited, Chennai, Tamil Nadu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5516/18/25]

(ii) (a) Forty-sixth Administration Report and Accounts of the V. O. Chidambaranar Port Authority, Tuticorin, Tamil Nadu, for the year2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Authority.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5508/18/25]

(iii) (a) Thirty-sixth Administration Report of the Jawaharlal Nehru PortAuthority (JNPA), Navi Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru PortAuthority (JNPA), Navi Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Port Authority.

(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Authority.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5511/18/25]

(iv) (a) Administration Report and Annual Accounts of the Visakhapatnam Port Authority (VPA), Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Authority.

Contents Page

(c) Review by Government of the Annual Accounts of theabove Port Authority.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5982/18/25]

Report and Accounts (2023-24) of IICA, Gurugram, Haryana and related papers

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Gurugram, Haryana, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5663/18/25]

Report and Accounts of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited (HVOC), New Delhi for various years and related papers

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) Thirty-eighth Annual Report and Accounts of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited (HVOC), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited (HVOC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(c) Fortieth Annual Report and Accounts of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited (HVOC), New Delhi, for the year 2023-24, together with

Contents Page

the Auditor's Report on the Accounts.

(d) Forty-first Annual Report and Accounts of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited (HVOC), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(e) Review by Government on the working of the above Corporation for the years from 2021-22 to 2024-25.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5802/18/25]

MESSAGES FROM LOK SABHA

The Appropriation (No.4) Bill, 2025

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 15th December, 2025, passed the Appropriation (No.4) Bill, 2025. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the said Bill on the Table.

REPORT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

SHRI KESRIDEVSINH JHALA (Gujarat): Sir, I present the Two Hundred Fifty Sixth Report (in English and Hindi) of the Committee on Subordinate Legislation on the Food Safety & Standards (Labelling & Display) Regulations, 2020 and subsequent amendments.

STATEMENT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON ENERGY

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2025-26)' के संबंध में विभाग-संबंधित ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं

लोक सभा) में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

SHRI SUBHASISH KHUNTIA(Odisha): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Sixth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Railways (2025-26) on 'Increasing freight related earnings of Indian Railways and development of Dedicated Freight Corridors' pertaining to the Ministry of Railways (Railway Board).

STATEMENTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

SHRI SUBHASISH KHUNTIA (Odisha): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the Statements showing Final Action Taken by Government on the recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Railways (Eighteenth Lok Sabha):—

(i) Second Action Taken Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Committee on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in its First Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Railways.

(ii) Fifth Action Taken Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Committee on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in its Third Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' of the Ministry of Railways.

Contents Page

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

डा. कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ :-

(i) Twenty-second Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Committee on Action Taken by the Government on the recommendations contained in its Tenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Functioning of National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR)' (2024-25) pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development); and

(ii) Twenty-third Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Committee on Action Taken by the Government on the recommendations contained in its Eighteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Clean and Green Village: Role of Panchayats' (2024- 25) pertaining to the Ministry of Panchayati Raj.

STATEMENT BY MINISTERS

Status of implementation of Recommendations contained in the One Hundred Fifty-sixth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव): महोदय, मैं 'आयुष मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा' के संबंध में विभाग-संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के एक सौ छप्पनवें प्रतिवेदन और इस समिति के एक सौ छप्पनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी एक सौ बासठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

Contents Page

Status of implementation of the Observations/Recommendations contained in the Sixth, Thirteenth, Second and Ninth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखता हूं:-

(a) Status of implementation of the Observations/Recommendations contained in the Sixth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department related Parliamentary Standing Committee on Finance on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in its Fifty ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Cyber Security and Rising Incidence of Cyber/White Collar Crimes' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services), Ministry of Home Affairs and Ministry of Electronics and Information Technology.

(b) Status of implementation of the Observations/Recommendations contained in the Thirteenth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services).

(c) Status of implementation of the Observations/Recommendations contained in the Second Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Revenue).

(d) Status of implementation of the Observations/Recommendations contained in the Ninth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Revenue).

MR. CHAIRMAN: Now, Matters to be raised with Permission. Dr. Kavita Patidar.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand for setting up a Heritage Fire Safety Fund to protect historic marketplaces

डा. कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो न केवल हमारी विरासत से जुड़ा है, बल्कि लाखों छोटे व्यापारियों के जीवन और आजीविका से भी जुड़ा है। माननीय महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में हम 'विकास भी, विरासत भी' इस मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हमारे शहरों का कायाकल्प हो रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हमने लम्बी छलांग लगाई है, जिसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम आधुनिक मॉल से भी सज्जित हैं, लेकिन हमारी असली धड़कन हमारे सदियों पुराने ऐतिहासिक बाज़ार हैं। चाहे वह दिल्ली का चांदनी चौक हो, वाराणसी की तंग गलियाँ हों या मेरे क्षेत्र इंदौर का पुराना सर्राफा बाज़ार हो - ये न केवल हमारी संस्कृति भी हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के पावर हाउस भी हैं। परंतु एक कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे ये ऐतिहासिक बाज़ार आज बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। इनकी गलियाँ इतनी संकरी हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकतीं। पुरानी वायरिंग और लकड़ी के ढांचे इन्हें और भी असुरक्षित बना देते हैं। एक छोटी-सी चिंगारी इन विरासती बाजारों में भीषण तबाही मचा सकती है, जिससे व्यापारियों की पूरी ज़िंदगी की कमाई खाक हो सकती है और जन-धन की हानि भी एक भीषण त्रासदी में बदल सकती है।

माननीय महोदय, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि एक विशेष हेरिटेज फायर सेफ्टी फंड की स्थापना की जाए। चूंकि हम इन ऐतिहासिक गलियों को ज्यादा चौड़ा करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें आधुनिक तकनीक का सहारा लेना होगा। पाइपलाइन की जगह aerosol fire separation system लगाए जाएं, संकरी गलियों में आग बुझाने के लिए छोटे फायर-फाइटिंग ड्रोन तैयार किए जाएं, अंडरग्राउंड वॉटर रिज़र्व, यानी बाजारों के नीचे पानी के विशेष टैंक बनाए जाएं, सुरक्षा हेतु कड़े नियम बनाकर उनका पालन करवाया जाए, ऐसी कई बातों का समावेश करके इन ऐतिहासिक स्थल बाजारों को सुरक्षित करना अति आवश्यक है। ये बाजार हमारे शहरों की पहचान हैं और हमारे व्यापारी भाई-बहन इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत इकाई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर, सुरक्षा के कड़े नियम बनाकर हमारे बाजारों को सुरक्षित करेगी। इसी आशा के साथ मैं वाणी को विराम देती हूं।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Kavita Patidar: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha),

Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Subhash Barala (Haryana), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Shri Digvijaya Singh.

Demand for independent and comprehensive review of serious irregularities in the organic cotton certification system under the National Programme for Organic Production (NPOP) and implementation of TraceNet 2.0

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, देश में inorganic कृषि उपज को ऑर्गेनिक बताकर APEDA में बहुत बड़े पैमाने पर £चला हुआ है। Inorganic उपज को ऑर्गेनिक बताने के लिए किसानों के समूह बनाए गए हैं और उन किसानों के समूह के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस पूरे £ के प्रकरण में APEDA के लोग £ तौर पर उनके प्रमाण इकट्ठे करते हैं और किसान को मालूम नहीं है कि उनको यह लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार का यह प्रकरण मध्य प्रदेश में कपास को लेकर सामने आया। हमारे निमाड़ क्षेत्र में inorganic कपास पैदा होती है। उस निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर किसानों का समूह बनाया गया और उन किसानों को मालूम तक नहीं था कि वे उसके सदस्य बन चुके हैं। व्यापारियों ने इतना बड़ा £ किया है कि बाजार में कपास की जो फसल 3,000 और 4,000 की बिकती है, उसके संबंध में सर्टिफिकेशन लेने के बाद उसको चार गुना ज्यादा करके विदेशों में भेजते हैं।

महोदय, इसके बारे में मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया था कि उससे किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे देश की छवि बिगड़ रही है। अक्टूबर, 2020 में Global Organic Textile Standard के नकली प्रमाण पत्र पकड़े गए, 11 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया और इसमें बड़े पैमाने पर हमारी बदनामी हुई है। माननीय पीयूष गोयल जी ने स्वीकार किया है कि इसमें भारी £ है। लगभग 500 आईसीएस, जो किसानों का समूह है, उसकी जांच कराई गई और उसमें से केवल दो सही पाए गए, बाकी 498 £ पाए गए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक केवल एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में रजिस्ट्रेशन हुआ है।

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे inorganic एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बताने का जो APEDA में £ चला हुआ है, उस पर जांच बिठाई जाए। इसमें सीबीआई और एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जांच कराई जानी चाहिए और TraceNet 2.0, जो कि उसकी जांच के लिए नियम बनाए गए हैं, घोषणा की गई है, उसके बाद उसको फिर से सस्पेंड कर दिया गया, ताकि भ्रष्ट व्यापारी अपने अधिक से अधिक inorganic माल को ऑर्गेनिक बता कर कमाई कर सकें।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Digvijaya Singh: Shri P. P. Suneer (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Ashok Singh, (Madhya Pradesh), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri G.C. Chandrashekhar (Karnataka), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra) and Shri Sanjay Yadav (Bihar).

Shri Birendra Prasad Baishya.

Demand for conferring Bharat Ratna posthumously upon Late Shri Zubeen Garg

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Thank you, Sir, for allowing me to raise this issue. First of all, I would like to pay homage to the legend Zubeen Garg. He was not just a singer. He was a film producer. He was a film director. He was an actor. He was a social reformer. And, equally important, he was an environment lover. Sir, through you, today, on behalf of the people of Assam, Asom Gana Parishad and my Party President, Shri Atul Bora, I would request the Government to confer Bharat Ratna Award on legend Zubeen Garg. 19th September, 2025 is a tragic day for the nation. The nation lost proud son of the country, Zubeen Garg. He was not only a singer, he was not only a name, but he was also our inspiration, courage and hope for every Assamese. His body is not with us but his creation is totally with us; his creation will always be with us; all over, he would remain with us; and Zubeen Garg will never die.

Contents Page

Sir, in his 30 years career, Zubeen Garg sang more than 38,000 songs. His songs are not only popular in Assam, but are equally popular among the people of entire India, including Hindi, Bengali, Tamil, Malayalam and various other languages. Zubeen Garg is an environment-lover. Through his songs and his work, he always tried to protect animals and environment. Zubeen Garg always stood behind the poor and needy people of the country. It is known to everybody that Assam is a flood-affected area and he always helped the flood-affected people out of his own pocket. Not only that, he helped many poor students in their education. Zubeen Garg always came forward to help in wedding of poor people. Not only that, Zubeen Garg always helped the day labourers financially. Not only that, for their healthcare...

MR. CHAIRMAN: Time is over.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Birendra Prasad Baishya: Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Rwngwra Narzary (Assam), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar),Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Bhubaneswar Kalita (Assam), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Rameswar Teli (Assam), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu) and Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa).

Now, Dr. Kalpana Saini.

Concern over the increasing cyber threats to children and promoting digital safety education

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रदूषण एवं कोरोना महामारी के परिवर्तन में बच्चों की शिक्षा में ऑनलाइन क्लास की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मोबाइल और लैपटॉप की पहुँच आसान एवं अनिवार्य हो गई है, मगर जागरूकता के अभाव में उनके साथ साइबर अपराध एवं उनका शोषण हो रहा है। हालाँकि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के निर्देशन में सरकार लगातार इस विषय में पहले से ही कार्य कर रही है, परंतु मेरा सुझाव है कि स्कूली स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि इसके लिए सरकार उचित दिशानिर्देश जारी करे कि स्कूल में समय-समय पर शिक्षकों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों को समय-समय पर पीटीएम या अन्य किसी माध्यम से जागरूक किया जाए, ताकि

बच्चों का सही दिशा निर्देशन हो। विद्यार्थियों के लिए समय-समय पर स्कूलों द्वारा विशेष गतिविधियाँ, जागरूकता कक्षाएँ एवं कार्यशालाएँ आयोजित किए जाएँ। इसके अलावा, मेरा अनुरोध है कि जहाँ बच्चों के साथ साइबर अपराध एवं शोषण की घटनाएँ होती हैं, वहाँ तुरंत कार्रवाई की जाए। माननीय सभापति महोदय, यदि हम बच्चों को समय रहते साइबर खतरे को पहचानना सिखा देंगे, तो वे इस अपराध से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि स्कूली शिक्षा में साइबर जागरूकता को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित भविष्य दे सकें। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Kalpana Saini: Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Ms. Swati Maliwal.

Need to strengthen animal welfare systems in the country

सुश्री स्वाति मालिवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, हिन्दू धर्म में पशुओं को केवल जीव नहीं, बल्कि धर्म और करुणा का प्रतीक माना गया है। गाय को माँ और कुत्ते को धर्म का प्रहरी माना गया है। यह हमारी खूबसूरत संस्कृति है। लेकिन आज इन बेजुबानों की हालत गंभीर चिंता का विषय है। सर, इल्लीगल डेयरी माफिया गौ माता पर अत्याचार कर रही है। गाय को दूध निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया जाता है। वहाँ वे कूड़ा खाकर बीमार पड़ जाती हैं। सड़क पर उन्हें भी चोट लगती है और लोगों के भी एक्सिडेंट्स होते हैं। सर, मैं उन परिवारों का भी दर्द समझती हूं, जिन्होंने rabies या dog bites से अपने प्रियजन खोए हैं। Dogs का sterilization और vaccination सीधे-सीधे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर वे ढंग से काम करतीं, तो इस देश में एक भी मौत rabies से नहीं होती।

Contents Page

सर, दिल्ली सरकार का कहना है कि 2014 से 2024 के बीच में उसने दिल्ली में 7 लाख dogs sterilized कर दिए। अगर ऐसा हुआ होता, तो आज यहां dogs की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई? मैं इन आंकड़ों की audit की मांग करती हूं। क्यों हम sterilized और vaccinated dogs की geo-tagging नहीं कर सकते? गलती system की है, लेकिन समाधान के नाम पर 'सारे stray dogs को हटा दो' जैसी बातें की जा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर हम उनको हटा भी दें, तो वे कहां जाएंगे? यहां animal shelters न के बराबर हैं और जो हैं, उनकी भी हालत अमानवीय है। सारे कुत्तों को shelters में डाल देने का मतलब उनके लिए slow death होगा।

सर, Lucknow Municipal Corporation ने कुछ zones में शानदार काम किया है। वहां 84 per cent से अधिक dogs vaccinate and sterilize किए हैं। WHO कहता है कि अगर 70 per cent dogs vaccinate and sterilize हो जाएंगे, तो देश से rabies हट जाएगा। तो सर, यही long-term vision पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता? सर, आज यहां न तो पर्याप्त animal hospitals हैं, न 24X7 emergency care है, न ambulances और न ही veterinary staff हैं, तो राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? सर, और तो और, अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ sexual assault करता है, तो Prevention of Cruelty to Animals Act के तहत उसकी सजा है - सिर्फ 50 रुपये का fine. It is only Rs.50! This law has not been amended for the past 65 years. सर, जो इंसान किसी जानवर के साथ ऐसा कर सकता है, तो सोचिए कि वह महिलाओं और बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता होगा? यह सोच कर रूह कांप जाती है कि पता नहीं, आज ऐसे दरिंदे समाज में आज़ाद कैसे घूम रहे हैं।

सर, हमें चाहिए – Number one, हर जिले में animal hospitals, shelters and well-equipped 24X7 ambulances. Number 2, illegal dairy mafia पर कार्रवाई. Number 3, war footing पर एक वर्ष में, देश में 70 per cent dogs का sterilization and vaccination and Number 4, bestiality should be made a cognizable, non-bailable and highly punishable crime.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Ms. Swati Maliwal : Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

Shri Sujeet Kumar.

Contents Page

Demand for establishing an NTA-led indigenous English Proficiency Examination for students seeking overseas education

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, since my Zero Hour submission is related to the education sector, I begin by complimenting the Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan, and the Education Ministry for reaching two major milestones. First, in the recent QS World University Rankings, we now have 54 higher education institutes. This is five times the number since 2015 and double the number since last five years. Secondly, our premier institutes such as the IITs and the IIMs now have expanded India's education footprints abroad by setting up campuses in Tanzania, UAE and now soon in the US.

With this background, I now draw the attention of the Government to a matter affecting lakhs of Indian students going abroad for higher studies, particularly to the English speaking world, US, UK, Canada, New Zealand and Australia. Every year, 13 lakh Indian students sit for English proficiency tests like IELTS and TOEFL and pay over Rs.3,000 crores to entities such as the British Council and the Education Testing Service (ETS) which conducts these tests. IELTS and TOEFL cost about Rs.20,000 per attempt. This is a significant financial burden for any middle class student. Several countries have already built their own English proficiency assessments and have secured international recognitions for them. For example, Canada has developed the Canadian Academic English Language (CAEL) accepted by leading universities globally. Japan's EIKEN is recognized by hundreds of institutions in US, UK and Australia. Japan conducts College English Test (CET) and TEM. South Korea has created TEPS. These examples show that nations have developed domestic English testing services and have negotiated their acceptance internationally. But we are yet to develop such a mechanism. There is no reason why India cannot do so. We have the infrastructure, we have the expertise, we have the capability and we have proven it. Every year we conduct tests for 13 lakh JEE students and 24 lakh NEET students.

So, Sir, through you, I urge the Government to establish an English proficiency assessment conducted by the National Testing Agency (NTA) aligned with international benchmarks and ensure global recognition. It must be priced affordably with full waiver for economically weaker students and should be conducted in every district headquarters nationwide. Also, MEA, in its diplomatic engagement, should ensure that these tests scores are recognized by international universities. Sir, this is about educational sovereignty, our national respect. It is about saving Rs. 3,000 crore every year and it is also about building *Atmanirbhar Bharat*. Thank you, Sir.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sujeet Kumar: Shrimati Sudha Murty (Nominated), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Shri Niranjan Bishi.

Demand for special package and mission-mode programme for all-weather road connectivity in Odisha

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on demand for special package and mission-mode programme for all-weather road connectivity in the State of Odisha. Sir, it is deeply distressing that around 8,300 revenue villages and more than 5,000 non-revenue forest villages in the State of Odisha still remain without basic road connectivity. In the 21st century, when the nation marches confidently towards the vision of *Viksit Bharat*, such a situation reflects a painful development gap that demands immediate national attention.

Road connectivity is not merely an infrastructure component, it is the fundamental right of every citizen--an enabler of economic growth, social inclusion, health access, education and dignity of life. In these cut-off and remote habitations, people still walk miles through forests, hills and rivers even for primary healthcare, schooling of children, essential services, and emergency needs. The absence of roads has severely hampered livelihood opportunities, market access, and mobility of tribal and rural communities. Sir, these villages, rich in natural resources and cultural heritage, remain disconnected from mainstream development solely due to lack of and dependable road communication.

I, therefore, urge upon the Union Government to take up this matter on a priority basis to formulate a special package and mission-mode programme for providing all-weather road connectivity to the zero connectivity villages of Odisha at the earliest, ensuring justice, dignity, and development for my Odisha State. Thank you, Sir.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Niranjan Bishi: Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Subhasish Khuntia, (Odisha), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Saket Gokhale (West Bengal) and Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh).

Shrimati Rekha Sharma.

Need for Central assistance to transform Tau Devi Lal Stadium into a World Class Sports Science and Training Centre

SHRIMATI REKHA SHARMA (Haryana): Hon. Chairman, Sir, I wish to raise the urgent need of upgrading Tau Devi Lal Stadium at Panchkula, which today stands as the key venue in North India's sports journey. सर, हरियाणा की जो population है, वह देश की कुल population का केवल दो प्रतिशत है, फिर भी ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में 40 प्रतिशत मेडल्स हरियाणा लेकर आता है। इसके बावजूद वहाँ sports science support, injury rehabilitation, bio-mechanics assessment, synthetic track, indoor arenas और athletic accommodation जैसी चीजों की कमी है।

Sir, Tau Devi Lal Stadium has already hosted *Khelo* India Youth Games, proving its potential, but the current infrastructure does not match the requirements of modern competitive sports. India spends crores every year on sending athletes abroad for training, physiotherapy and recovery. The same facilities can be developed here at a fraction of the cost. Upgrading the stadium with a Sports Science & Medicine Centre, Indoor High-Performance Arena, Hydro-therapy and Cryo Recovery Units, and Residential Athlete Hostels can transform it into North India's leading Olympic preparation hub, supporting training, rehabilitation and long-term development.

I, therefore, urge upon the Centre Government to provide a special assistance package to convert Tau Devi Lal Stadium into a world-class High-Performance Sports Hub, directly contributing to India's goal of becoming top performing nation in global sports. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Rekha Sharma: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Gulam Ali

(Nominated), Shri Subhash Barala (Haryana), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh) and Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur).

Dr. Sikander Kumar.

Need for a balanced and responsible use of technology among youth

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय - मोबाइल फोन का उपयोग और युवा मानसिक स्वास्थ्य पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज विश्व में तकनीक का विकास अभूतपूर्व है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसरों में तकनीक ने सकारात्मक प्रभाव डाला है। जैसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और डिजिटल शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी तकनीकी और वैश्विक कौशल सीख रही है, वहीं "डिजिटल इंडिया" और "स्किल इंडिया मिशन" ने युवाओं को डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास की नई दिशा दी है। परंतु, इसी तकनीकी युग में हमें एक गंभीर चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है और वह है - मोबाइल फोन एडिक्शन और युवा मानसिक स्वास्थ्य का संकट।

बच्चे और युवा मोबाइल और स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से चिंता, अवसाद, अकेलापन, ध्यान की कमी और सामाजिक दूरी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। छोटे बच्चों के विकास, जैसे, भाषा कौशल तथा सामाजिक बातचीत में कमी और आंखों की सेहत व नींद जैसे शारीरिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। यह समस्या केवल मनोरंजन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे युवाओं की बेहतर जीवन गुणवत्ता और भविष्य की प्रतिबद्धता से भी जुड़ा हुआ है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल साक्षरता को अनिवार्य शिक्षण विषय के रूप में शामिल किया जाए, ताकि युवा समझ सकें कि तकनीक और स्क्रीन का संतुलित तथा स्वस्थ उपयोग कैसे किया जाए। स्क्रीन टाइम नियंत्रण और पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ। इससे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक यह समझ सकेंगे कि तकनीक का संतुलित उपयोग उनकी उत्पादकता, रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मनो-मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्रों का विस्तार इस प्रकार हो कि हर जिले में डिजिटल स्वास्थ्य, साइकोलॉजी और काउंसिलिंग सेवाएँ उपलब्ध हो सकें, ताकि युवा समय रहते सहारा और मदद पा सकें। इससे हमारे युवा तकनीक का संतुलित और सुरक्षित उपयोग सीखेंगे। हमारा लक्ष्य - तकनीक का विकास और जीवन में संतुलन का प्रकाश भी, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sikander Kumar: Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Ms. Indu Bala

Goswami (Himachal Pradesh), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Rajendra Gehlot (Rajasthan), Dr. Laxmikant Bajpayee (Uttar Pradesh), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

Shrimati Renuka Chowdhury.

Demand for expediting the Greenfield Airport at Palvoncha, Bhadradri Kothagudem, Telangana

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Telangana): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this subject. I draw the attention of the House to expedite the development of greenfield airport. Sir, the project report was first done in 2016 and it received clearance and recommendations. After that, the Telangana Government has repeatedly approached the Centre to expedite this. The cost overrun should also be kept in mind. In 2024, 950 acres of land at Palvoncha was further identified and we requested the Airports Authority of India to conduct a pre-feasibility study which was completed in 2025. A year has passed, but nothing has happened on the ground. In the proposed region, with regard to the industrial, economic and social development, Kothagudem has many industrial hubs and establishments such as HCL, KTPS, NMDC, and approximately, about 23,000 people are employed in this very region. This would improve the connectivity for business, facilitate tourism for the Bhadrachalam Temple, which is the only one of its kind in the whole of South and enhance border security. Improving the air connectivity would also enhance and ease travel for residents of industrially and culturally significant region. Given the strategic importance of the project supporting industrial growth, enhancing regional connectivity, boosting tourism, serving border security considerations, the development of this airport cannot be delayed any further. The Telangana Government has further submitted detailed inputs including site location. We had earlier given them some land. I do not know for what reasons they said that it was not adequate. So, we have given them second time also. The land has been identified

Contents Page

and asked for scrutiny. Sir, detailed clearances from the Central Government must be expedited. We talk about building more and more, but if you do not do what has been identified earlier, there is going to be a huge cost overrun besides severe inconvenience for people who live in that region. Also, since they talk so much about *Bhagwan* Ram, Bhadrachalam Temple is one of the oldest and far older than the Ayodhya new temple. At least, for the Lord's sake, for Bhagwan Ram's sake, expedite this Greenfield airport for Telangana.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Renuka Chowdhury: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana) and Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala).

Now, Shrimati Maya Naroliya.

Demand for High-Level Inquiry into poor construction quality and structural damage of the newly built Itarsi-Narmadapuram railway overbridge

श्रीमती माया नारोलिया (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। महोदय, मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर स्थित इटारसी-नर्मदापुरम रेलवे ओवरब्रिज की अत्यंत जर्जर एवं असुरक्षित स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जो जनसुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ओवरब्रिज के बड़े हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साइड वॉल पर गहरी दरारें दिखाई दीं, कंक्रीट परत-दर-परत झड़ रही है और पूरी संरचना में खतरनाक स्तर की अस्थिरता स्पष्ट रूप से सामने आई। यह 28 करोड़ रुपये की परियोजना, जिसे ठेकेदार कंपनी द्वारा कुछ रेलवे एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय में निष्पादित किया गया था, घोर लापरवाही, घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग और बुनियादी इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी का मामला प्रतीत होता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद यह पुल प्रतिदिन इससे गुजरने वाले हजारों यात्रियों के लिए सीधा खतरा बना हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इस पुल की कमजोर स्थिति को लेकर पहले दी गई चेतावनियों को लंबे समय तक नज़रअंदाज़ किया गया और बाद में की गई जांच में भ्रामक जानकारियां देकर £ करने का काम किया गया तथा तथ्यहीन जवाब प्रस्तुत किए गए। यद्यपि अब पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि केवल सतही मरम्मत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पुल की नींव अत्यंत कमज़ोर हो चुकी है। इस प्रकार की जर्जर संरचना पर आवागमन जारी रहना असंख्य नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने जैसा है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि तत्काल कार्रवाई की जाए, मरम्मत कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं स्वतंत्र निगरानी में कराया जाए तथा इसके लिए सख्त समय-सीमा तय की जाए। संबंधित ठेकेदार कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे भविष्य की सरकारी परियोजनाओं से ब्लैकलिस्ट किया जाए। जिन अधिकारियों ने बिना उचित गुणवत्ता जांच के टेंडर स्वीकृत किए, भुगतान पास किए या मामले को छिपाने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह की लापरवाही को बुनियादी ढांचे की विफलता की रोजमर्रा की कहानी बनने नहीं दिया जा सकता, जहां जनता का पैसा व्यर्थ होता है और आम नागरिकों के जीवन को प्रतिदिन टाले जा सकने वाले संकट के किनारे खड़ा कर दिया जाता है . ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Maya Naroliya: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir).

Now, Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade.

Demand for extension of Vande Bharat service from Madgaon up to Kozhikode

SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE (Goa): Mr. Chairman, Sir, I wish to draw the attention of this august House to an important matter concerning railway connectivity between Goa and Kerala. The Vande Bharat Express train numbers 20645 and 20646 currently run only between Madgaon and Mangalore. Many passengers who need to travel further to Kozhikode, a major commercial city in Kerala, are facing difficulty as they have to depend on alternate connections and change trains. This often results in long waiting hours and non-availability of tickets, causing hardship to frequent travellers, especially senior citizens and tourists. The

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

present Vande Bharat service between Madgaon and Mangalore is functioning very well, but it does not meet the growing demand of passengers who need to continue their journey to Kerala.

Goa and Kerala are among India's most popular destinations. Many international tourists plan their itinerary covering both States, and a direct and comfortable connection is essential to support this tourism circuit. Along with this, many people from Goa travel to Kerala for work, studies, medical needs, or family reasons, and people from Kerala also come to Goa in large numbers. These regular travellers strengthen ties between Goa and Kerala. Extending this Vande Bharat service beyond Mangalore up to Kozhikode will provide a smooth and direct journey, without the need to change trains. This will especially help students, senior citizens, tourists, and frequent travellers.

Mr. Chairman, Sir, I humbly request the Government to consider extending the operational jurisdiction and destination of this Vande Bharat Express up to Kozhikode in Kerala. This will improve West Coast connectivity and benefit thousands of passengers travelling regularly between Goa and Kerala. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Rameswar Teli (Assam), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shrimati P. T. Usha (Nominated), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

Dr. Sasmit Patra.

Demand for development of railway connectivity in South Odisha

DR.SASMIT PATRA (Odisha): Hon. Chairman, Sir, the subject of my Zero Hour submission today is the 'Demand for developing railway connectivity in South Odisha". On behalf of my party, the Biju Janata Dal, and our hon. leader, Shri Naveen Patnaik, I rise today to draw the attention of this august House to the urgent and long-pending need for strengthening railway connectivity in South Odisha, particularly across the districts of Ganjam, Gajapati, Rayagada, Koraput, Nabarangpur, Malkangiri, and Kandhaman.

Contents Page

First, the Gopalpur-Rayagada new railway line must move expeditiously from survey to implementation. This approximately 250-kilometre corridor passes through Gopalpur, Digapahandi, Bhismagiri, Mohana, and Adava, and will establish a vital link between the coastal belt and the tribal hinterland, connecting with major junctions such as Gunupur and Rayagada, and integrating these regions into the national railway network. Second, the Naupada-Gunupur-Thiruvali second railway line is extremely crucial to ease congestion on existing routes. Passengers travelling towards Paralakhemundi, Gunupur, and Koraput continue to face overcrowding and capacity constraints, and this second line will significantly enhance their comfort and operational efficiency. Third, the proposed Gopalpur-Digapahandi-Taptapani-Mohana-Padamapur-Singapur road multimodal rail corridor can transform regional connectivity by connecting remote and underserved areas such as Taptapani, Chandragiri, and Padampur with Singapur road junction, thereby effectively bridging the coastal and interior economies of South Odisha.

Fourth, the long-pending Berhampur-Sambalpur railway line via Hinjili, Aska, Bhanjanagar, and Phulbani must be taken up on priority. This crucial route will finally place Kandamal district on India's railway map and establish a direct rail link with Ganjam, substantially reducing travel hardship faced daily by thousands of citizens. Fifth, the Jaipur-Nabarangpur and Jaipur-Malkangiri railway lines have already been sanctioned, but they need to be expedited. It is extremely crucial for the integrated development of Koraput, Nabarangpur, and Malkangiri. Finally, Brahmapur railway station, the principal rail hub of South Odisha, requires modernisation, additional platforms, and a dedicated coaching terminal. I, therefore, urge the Government to take up all of these projects expeditiously on behalf of the people of South Odisha. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sasmit Patra: Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir), Shri Sajjad Ahmad Kichloo (Jammu & Kashmir), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh).

Shri Iranna Kadadi.

Contents Page

Need for an effective system to ensure Direct Benefit Transfer (DBT) of MSP and Market Price difference to farmers

SHRI IRANNA KADADI (Karnataka): & Hon'ble Chairman Sir, the Government of India has announced the Minimum Support Price (MSP) for approximately 23 crops with the objective of safeguarding farmers' intrests against price fluctuations in the open market. This important initiative of the Central Government serves as a protective mechanism to ensure financial security for farmers. However, when market prices fall below the MSP, it is the responsibility of the respective State Governments to open procurement centres and purchase farmers' produce at the MSP declared by the Central Government.

In Karnataka, during the Kharif season, crops were cultivated over 48.7 lakh hectares approximately, including maize, soybean, greengram, blackgram, groundnut and toor dal. Unfortunately, due to excessive rainfall and flooding during this Kharif season, nearly 14 lakh hectares of crops have been damaged, pushing farmers into severe financial distress. At such a critical juncture, the State Government, which was expected to come to the rescue of the farmers by initiating procurement operations, has failed to do so.

It is deeply distressing to note that 2,809 cases of farmer suicides have been reported during the two and a half years of the Congress Government's rule in Karnataka. Instead of addressing this grave agrarian crisis, * while farmers continue to suffer due to neglect and inaction by the Government. As a result of the State Government's failure and delays in procurement, farmers have been compelled to sell their Kharif produce at distress prices, further aggravating their financial hardships. In this scenario, it is imperative that the Central Government intervenes, at least for the forthcoming Rabi season, to provide much-needed support to the farmers.

I request that procurement be undertaken through the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), an institution which falls under the Central Government. The Central Government already is already procuring pulses, oilseeds, dry coconut, and other commodities when market prices fall below MSP through the Price Support Scheme (PSS). Further, I urge the Central

& English translation of the original speech delivered in Kannada.

* Not recorded.

Government to consider implementing the Price Deficiency Payment Scheme (PDPS), whereby the difference between the MSP and the prevailing market price is directly transferred to farmers' bank accounts

Given the exceptional circumstances faced by farmers in Karnataka this year, the Central Government's intervention is crucial. In view of the failure of the State Government and the helpless condition of farmers, Chairman Sir, through you, I appeal to the Central Government, to take immediate steps to support and protect the farmers of Karnataka. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Iranna Kadadi: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Subhasish Khuntia (Odisha) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Now, Shri Haris Beeran.

Concern over the rising suicide among newly married women in the country

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity. Sir, a society is judged not by how it celebrates marriage, but by how it protects its women after marriage. Today, I rise to draw the attention of this House to a deeply disturbing and painful reality of the rising incidents of suicide among newly married women. The NCRB's figure for 2023 reports an alarming 1,71,418 suicidal deaths, and majority of them attributed to marriage-related issues. This is not merely a social issue; it is a moral, legal and institutional failure that demands urgent introspection and decisive action. Sir, as we all know, in Indian tradition, the marriage has always been considered a sacred milestone, a new beginning, a promise of stability, dignity and companionship. Yet for an alarming number of women, marriage has become a phase of silent suffering, isolation and despair. A woman after marriage steps into an entirely new environment, new relationships, new expectations and often unspoken pressures. But, Sir, when support system fails, when harassment replaces harmony, when dowry demands replace dignity and when emotional neglect replaces companionship, the consequences are devastating.

Sir, we are not lacking laws in India. We have got the strongest legal provisions in the world to protect married women. But the harsh truth is that we have failed in implementation. In some cases, we have also witnessed misuse. But I would like to suggest here, Sir that we have to amend the Special Marriage Act so as to include a

Contents Page

mandate of pre-marital counselling and certification before marriage and also the Personal Marriage Law. We must also address the healthcare dimension of this crisis. Dowry-related harassment remains the single most common cause of unnatural deaths among newly married women, despite decades of legislation. Lower education levels of brides, economic stress within the families and maladjustments in new households are all reasons. But, Sir, convictions remain low, investigations slow, and preventive mechanisms are weak. Therefore, what we have to do is: Mental and physical health, which has to be imparted, cannot be ignored. Hormonal changes during menstruation, pregnancy, and lactation significantly affect the emotional well-being. Lack of sensitivity, emotional neglect or marital disharmony during these vulnerable periods often pushes women towards extreme steps. Therefore, family awareness, counselling and community-based support systems are urgently needed. Sir, each suicide is not just the loss of one woman; it is the collapse of a family, the trauma of parents, the lifelong scar on children and a failure of the State. Laws on paper alone will not save lives. What we need is empathetic enforcement, institutional accountability and social reform backed by political will. जुल्म सिर्फ मार-पीट से ही नहीं होता, कभी-कभी खामोशी भी क़त्ल कर देती है। Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Haris Beeran: Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shrimati Sonia Gandhi (Rajasthan), Shrimati Rajani Ashokrao Patil (Maharashtra), Shri Abdul Wahab (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shrimati Renuka Chowdhury (Telangana), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shrimati Rekha Sharma (Haryana), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), and Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala).

Shrimati Sonia Gandhi.

Concern over the working conditions of women frontline workers and vacancies under central schemes

SHRIMATI SONIA GANDHI (Rajasthan): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to take up an important issue. I rise to draw the urgent attention of this House to the continued distress of women workers implementing critical Government programmes, namely, ASHA workers, Anganwadi workers and helpers, and the Community Resource Persons under the National Rural Livelihood Mission. Sir, these initiatives are intended as pathways to women's empowerment. However, despite their vital contribution to public service delivery, these women workers are overburdened and underpaid.

Across the country, ASHA workers undertake immunization, mobilisation, maternal health and family welfare. Yet, they remain volunteers with low honoraria and limited social security. Anganwadi workers are similarly paid a meagre base honorarium of Rs. 4,500 and Rs. 2,250 per month by the Union Government.

Sir, beyond low pay, there are currently near 3 lakh vacancies in the ICDS at various levels. These gaps leave lakhs and lakhs of children and mothers without essential services. Even when filled, these posts fall short of population norms due to the lack of updated Census figures since 2011.

Sir, through you, I urge the Government to work closely with the States to prioritize the following measures. One, filling of all existing vacancies; two, timely remuneration to all workers; three, doubling of Union Government's contribution to the pay of these frontline workers; four, appointment of an additional ASHA worker in villages with a population greater than 2,500; and fifth, doubling of the number of Anganwadi workers to enable early childhood education in addition to existing nutrition and health initiatives. Sir, I wish to emphasize that strengthening, expanding and supporting this workforce is an investment in India's future. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Sonia Gandhi: Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Abdul Wahab (Kerala), Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh),

Contents Page

Shrimati Rajani Ashokrao Patil (Maharashtra), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri G.C. Chandrashekhar (Karnataka), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Debashish Samantaray (Odisha), Shrimati Renuka Chowdhury (Telangana), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shrimati Ranjeet Ranjan (Chhattisgarh) and Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

Dr. Laxmikant Bajpayee.

Concern over the operational delays and safety issues of the Delhi—Meerut RRTS corridor

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मेरठ महानगर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये दोनों विषय माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल पर मेरठ-दिल्ली और मेरठ-प्रयागराज, दोनों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हैं।

पहला विषय, मेरठ-दिल्ली आरआरटीएस का है। यह 82 किलोमीटर का स्पैन है, जिसमें से 56 किलोमीटर का स्पैन चालू किया जा चुका है। शेष स्पैन पर कई बार ट्रायल हो चुका है। रोज़ दिन में चार बार खाली गाड़ी चल रही है। स्टेशन बन चुके हैं, लेकिन वे अब तक चालू नहीं हो पा रहे हैं। इसकी प्रतीक्षा में लाखों लोग हैं। इसके दो फायदे होने वाले हैं - एक तो जनता का समय बचेगा और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरठ शहर को जाम से निजात मिलेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से इसे शीघ्र चालू करने की माँग करता हूँ।

दूसरा विषय गंगा एक्सप्रेसवे का है, जो मेरठ से लेकर प्रयागराज के बीच है। यह 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। इसमें भी समय बचने की बात है। इसे यूपीडा द्वारा विकसित किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि इसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित किया जा रहा है। उस इंडस्ट्रियल एरिया में 12,000, 15,000, 20,000, 23,000 और 2,51,000 वर्ग मीटर के प्लॉट हैं। यानी सरकार की इस पहल के बाद भी एमएसएमई सेक्टर को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 15,000 मीटर के 10 प्लॉट्स, 20,000 मीटर के 26 प्लॉट्स, 33,400 मीटर के 24 प्लॉट्स और 2,51,000 मीटर के 22 प्लॉट्स, यानी बड़े लोग इन प्लॉट्स को लेंगे। उसके बाद सब-प्लॉटिंग

करके एमएसएमई सेक्टर को बेचेंगे। इससे कठिनाइयां बढ़ेंगी, महंगा मिलेगा और सरकार के मिशन की असफलता होगी। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इन प्लॉट्स को छोटा किया जाए और एमएसएमई सेक्टर के हितों की भी रक्षा की जाए।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Dr. Laxmikant Bajpayee: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand) and Dr. John Brittas (Kerala).

Concern over the hardships faced by OBC community in access to higher education

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, it has been eight long years. Eight Union Budgets have come and gone. The cost of living has skyrocketed. Inflation has eroded the value of money and economic conditions have changed dramatically. Yet, the income ceiling for determining the OBC creamy layer remains stuck at eight lakh rupees per annum, a limit set back in 2017, when gold price was Rs. 3,000 per gram. It has now escalated to Rs. 12,000 per gram, a 400 per cent increase. The ceiling should be revised every three years. We are now over two revisions overdue. The National Commission for Backward Classes has recommended increasing the ceiling, but the Government has not done it. Also, the Department of Personnel and Training has a deeply discriminatory practice of calculating an individual's family income by including salary. This illegality is followed in the public sector undertaking and educational institutions, and it is also done by the UPSC. Such practices contradict the 1993 Office Memorandum, which clearly states that salary and agricultural income should be excluded from the computation of creamy layer. This causes severe hardships for candidates trying to avail themselves of reservation and appointment made through UPSC exams and in educational institutions. The OBC Parliamentary Committee, in its 2019 report on the rationalization of creamy layer, condemned this practice and urged the Government to stop it immediately. However, no action has been taken.

Now, let us consider the alarming situation caused by this illegality. Due to the ceiling, about 80 per cent of OBC Professor positions remain vacant in Central Universities. Out of the 2,537 sanctioned Professor posts in Central Universities, a mere 423, that is, 16.67 per cent belongs to OBC. Where is the constitutionally mandated 27 per cent? According to the RTI responses received from 21 IITs, 13 IIMs and 21 IITs, only about 11.2 per cent of the faculty belong to the OBC category, six per cent are to Scheduled Castes and a mere 1.6 per cent to the Scheduled Tribes. In the 13 IIMs, the figures are even more dismal. Just 9.6 per cent of the faculty is

Contents Page

OBC, five per cent SC, and just one per cent ST. In, at least, two IITs and three IIMs, the General category holds about 90 per cent of the faculty positions. In eight IITs and seven IIMs, over 80 per cent of the faculty is from the General category. What is this? Are IIMs an exclusive club? The impact of the ceiling on the staffing pattern of the Union Government is stark. Current Group 'A' officers comprise only 18.07 OBC representation. Among the 90 top bureaucrats in the Union Government, only three are from OBC community and hold less important departments. Out of 322 officers under Central staffing teams in different ministries, 16 belong to SC, 13 belong to ST, 39 belong to OBC, and 254 belong to the Upper Castes. Moreover, SC, ST, OBC candidates are often ingeniously rejected through a manipulative method called as 'candidates not found suitable' during interviews or through a manipulative process...

MR. CHAIRMAN: Time is over.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri P. Wilson: Shri Sukhendu Sekhar Ray (West Bengal), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri P.P. Suneer (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Ms. Sushmita Dev.

Need for robust freight infrastructure and logistics in Assam

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Thank you, Sir, for the opportunity to speak on an important demand of the area of Barak Valley of Assam. Way back in October 2020, the Government of India had assured the State of Assam two Multi-modal Logistics Parks. The work for one has started in Bongaigaon, but till today, the Multi-modal Logistics Park promised in Silchar, Barak Valley, the work has not started. To the best of my information, in April 2021, the DPR was ready. A feasibility report has also been made, but on the ground no action has been taken by the Government of India or the State of Assam.

Sir, in the region of Barak Valley, there are three districts and the population is around 45 lakhs. We don't have a single industry and the only heavy industry, the Hindustan Paper Corporation, which used to function in Barak Valley, was shut down

Contents Page

after the Modi Government came to power, which increased the rate of unemployment in three districts. The Prime Minister himself had promised that there will be industrialization in this area, but it was not done...

MR. CHAIRMAN: Time is over.The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Ms. Sushmita Dev: Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ram Chander Jangra (Haryana) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour.

12.00 **Noon**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Sustainability of Fair Price Shops

*166. SHRI SANDOSH KUMAR P: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the State-wise list of Fair Price Shops in the country as on 30th September 2025;

(b) whether the digitisation of PDS has led to closing down of Fair Price Shops in the country;

(c) whether Government has taken any step to enhance the financial viability of Fair PriceShops in the country; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The State-wise number of Fair Price Shops in the country is at **Annexure**.

Contents Page

(b) to (d) Targeted Public Distribution System (TPDS) under National Food Security Act (NFSA), 2013 is operated under the joint responsibility of the Central and the State/Union Territory (UT) Governments.

Central Government is responsible for procurement, allocation and transportation of foodgrains upto the designated depots of the Food Corporation of India (FCI). The operational responsibilities for allocation of foodgrains within the States/ UTs, identification of eligible beneficiaries, issuance of ration cards to them, distribution of foodgrains to eligible beneficiaries under TPDS, issuance of license to Fair Price Shop dealers, supervision over and monitoring of functioning of FPSs etc. rest with the concerned State/UT Governments.

Accordingly, under sub-clause (7) of clause 9 of the TPDS (Control) Order, 2015, it is the responsibility of the State Government to fix fair price shop owner's margin, and this shall be periodically reviewed for ensuring sustained viability of the fair price shop operations. Thus, the Central Government has no role in fixing the actual rate of fair price shop dealers' margin or payment to the FPS dealers.

The Central Government only provides the assistance to States/UTs for meeting the expenditure towards intra-State movement & handling of foodgrains and fair price shop dealers' margin under the NFSA under the provisions of Food Security (Assistance to State Governments) Rules, 2015 that provides for norms of expenditure and pattern of central sharing. The norms of FPS Dealers margin are as per the details given below:

Category of States	Component of FPS margin	Pre-revised norms (Rate in rupee per quintal) (upto 31st March, 2022)	Revised norms (Rate in rupee per quintal) (w.e.f. 1.4.2022)
General Category States/UTs	Transportation & handling	65	70
	FPS Dealers Margin	70	90
	Additional margin	17	21
Special category States/UTs	Transportation & handling	100	105
	FPS Dealers Margin	143	180
	Additional margin	17	26

Special category states includes Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Ladakh, Uttarakhand, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and seven north east states.

The State Governments are free to fix the actual rates, which can be higher than the norms specified in the rules. Central assistance will be limited to the rates specified in the Rules or the actual average rates for the State as a whole, at which the expenditure was actually incurred by the State Government, whichever is lower.

Further, the Department has linked the payment of additional dealer margins to States/UTs with the requirement that ePoS devices be integrated with e-weighing scales. This measure incentivises States/UTs to adopt the linkage, ensuring that beneficiaries receive the accurately measured quantity of their entitled foodgrains.

As per sub-clause (9) of Clause 9 of the Targeted Public Distribution System (TPDS) Control Order, 2015, the State Government shall allow sale of commodities other than the foodgrains distributed under the TPDS at the fair price shop to improve the viability of the fair price shop operations.

It has been the endeavor of the Government to improve the financial viability of Fair Price Shops (FPSs) by providing additional business avenues to FPS dealers and enhancing beneficiary experience through the provision of value-added services at FPS. To improve the financial viability of FPSs, Government of India had requested all State/UT Governments to take up initiatives through FPSs such as providing banking services through tie-up with banks/corporate Banking Correspondents, banking and citizen-centric services of India Post Payment Bank (IPPB), Retail selling of small (5kg) LPG cylinders, Sale of other commodities/ general store items etc.

The Department has also partnered with the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) to enhance the capacity and confidence of Fair Price Shop (FPS) dealers by equipping them with essential entrepreneurship and business management skills. Under this collaboration, NIESBUD (an autonomous institute under MSDE) has developed a specialised training programme for FPS dealers covering digital and financial literacy, e-commerce, retail management, and basic nutrition. To date, approximately 325 FPS dealers across nine States—Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Telangana, Karnataka, Odisha, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, and Bihar—have undergone this training. As a result, 90 FPS outlets have been converted into Jan Poshan Kendras (JPKs) across five cities: Hyderabad, Ghaziabad, Jaipur, Ahmedabad, and Indore, improving their commercial viability and

Contents Page

community outreach. The Department has further requested MSDE to develop an online training module through an e-learning management system to enable skill development for all 5.5 lakh FPS dealers across the country.

Annexure

State-wise FPSshop as on September 2025		
Sr. No.	**State/UT**	**Total Fair Price Shops**
1	AndamanAnd NicobarIslands	435
2	Andhra Pradesh	29,792
3	ArunachalPradesh	1,987
4	Assam	35,071
5	Bihar	51,965
6	Chandigarh	-
7	Chhattisgarh	13,982
8	Dadar & NagarHaveli & Daman & Diu	115
9	Delhi	1,979
10	Goa	490
11	Gujarat	16,949
12	Haryana	1,094
13	HimachalPradesh	5,405
14	Jammu And Kashmir	6,645
15	Jharkhand	30,849
16	Karnataka	21,379
17	Kerala	13,805
18	Ladakh	409
19	Lakshadweep	38
20	Madhya Pradesh	26,016
21	Maharashtra	59,818
22	Manipur	3,010
23	Meghalaya	4,820
24	Mizoram	1,264
25	Nagaland	1,857
26	Odisha	13,926
27	Puducherry	-
28	Punjab	19,836
29	Rajasthan	27,263
30	Sikkim	2,475
31	Tamil Nadu	34,832
32	Telangana	17,264
33	Tripura	2,076
34	Uttarakhand	9,201
35	Uttar Pradesh	79,216
36	WestBengal	20,997
	Total	556,260

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, it is estimated that there is 28 per cent leakage in PDS - an annual loss of around 20 million tonnes of rice and wheat; loss of around Rs.69,106 crores. Is the Government aware that the State of Kerala, being a consumer State, is providing ration at concessional rate to even non-priority sections of population? In this circumstance, will the Union Government be pleased to increase the tide over quantity of foodgrains considering the demands?

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणियाः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत जनसंख्या को cover करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 80.56 करोड़ beneficiaries को मुफ्त में राशन देती है। यह विश्व का सबसे बड़ा food security programme है, जो पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। सरकार देश के गरीबों की पोषण क्षमता का ध्यान रखती है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि खाद्यान्न लाभार्थी तक पहुँचे। ...(**व्यवधान**)... TPDS नियंत्रण आदेश के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य, जिला, तहसील और fair price shop level पर Vigilance Committee है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, it is so unfortunate that we are not getting any proper answer. I am very sorry to state this.

MR. CHAIRMAN: Please ask your second supplementary.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, in the answer, data of Chandigarh and Puducherry is missing. I hope you must have noticed that. Now, it is estimated that there are 40 lakh ghost cards in the State of Odisha, which was recently revealed by a survey. Now, I would like to ask the hon. Minister one question. We have many reservations on the exercise of SIR. After the SIR exercise in Bihar, 65 lakh of voters or citizens were deleted from the list. Are you going to reduce the foodgrains quota quantity of Bihar in the wake of these developments?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI PRALHAD JOSHI): First of all, the Question is related to the list of Fair Price Shops in the country as on 30th, September, 2025. That is the Question.

Contents Page

श्री संदोष कुमार पी: आपके उत्तर में चंडीगढ़ और पुडुचेरी missing हैं। बिहार में 55,000 shops हैं। My question is very specific. Are you going to reduce the number?

SHRI PRALHAD JOSHI: You have to listen to reply also. Basically, the supplementary is not related to the main Question. That is the first thing. It is related to Fair Price Shop and its viability. To improve the accuracy of beneficiary identification, DFPD has cross-matched the PMGKAY beneficiary data with Aadhaar. उसमें जो deceased हैं, जो मर चुके हैं, all details relating to deceased persons, income-tax, ownership of motor vehicles, GST registration, directors' databases, these are all the details which we have supplied to the States. Ultimately, including the State of Kerala, Tamil Nadu, all other States, it is decided by the State Government which beneficiaries to be included and which beneficiaries are not to be included. The Central Government only decides, as has already been mentioned by the MoS, 50 per cent in urban areas and 75 per cent in rural areas. Remaining eligibility criteria are fixed by them. But, on the basis of the e-KYC, we have digitised almost 100 per cent Fair Price Shops; almost 98.9 per cent beneficiaries have also been digitised and 99 per cent of the ration cards have been digitised and, because of that, we are able to provide all the data to the State Government. Ultimately, the deletion or addition is the responsibility of the State Government. However, after supplying all these things, that is, 100 per cent digitisation of ration cards, 99 per cent Aadhaar seeding of the ration cards, automation of 99.8 per cent of Fair Price Shops and 98.9 per cent Aadhaar authentication, almost all these issues have been brought out and these have been given to the State Government. Because of that, more than nearly about two crore beneficiaries have been deleted by the States. So, if the States want to clean the system, they can clean it. It is up to the State Government. Including Kerala, there are issues regarding this.

MR. CHAIRMAN: Now, Mayankkumar Nayak.

श्री मयंककुमार नायक: चेयरमैन सर, माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास" के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन के लिए मुफ्त राशन देने का काम सरकार कर रही है और वह fair price shops के माध्यम से लाभार्थियों को मिलता है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि उन fair price shops के जो owners हैं, उनको जो मानद वेतन दिया जाता है, गुजरात में यह मानद वेतन कितना दिया जाता है और उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है? कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। Fair price shops की आय बढ़ाने के लिए TPDS नियंत्रण आदेश के तहत राज्य सरकारें fair price shop dealers का margin तय करती हैं। यह margin राज्य सरकार तय करती है और केंद्र सरकार dealers के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, 90 fair price shops जन-पोषण केंद्र में बदल गई हैं, जिनमें वे गैर-PDS items भी बेच सकते हैं। महोदय, देश भर में 40,000 से भी अधिक fair price shops को Common Service Centres के रूप में विकसित किया गया है, जो बैंकिंग सेवाएं-जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। Fair price shops की पहुंच बढ़ाने के लिए जनवरी, 2024 में Open Network for Digital Commerce पर fair price shops को शामिल करने के लिए एक pilot project launch किया गया है।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sanjay Kumar Jha.

श्री संजय कुमार झा: माननीय सभापति महोदय, decentralised procurement के अंतर्गत, Kharif Marketing Season 2025-26 में बिहार में धान खरीद का लक्ष्य घटाकर 36.85 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया, जबकि 15.12.2025 तक राज्य में धान की खरीद 3.87 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से अधिक है। ऐसे में, क्या सरकार बिहार के लिए धान खरीद लक्ष्य को पुनः बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन करने पर विचार कर रही है?

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया: सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Sumer Singh Solanki.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी: माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर। महोदय, हमारी सरकार द्वारा यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बेहतरी के लिए क्रांतिकारी कदम उठे उठाए जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार की समीक्षा के बाद राशन कार्ड की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में सुधार हुआ है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उसमें कितनी प्रगति हुई है?

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की समीक्षा और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित फॉलोअप के बाद आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। देश भर में 99.9 प्रतिशत राशन कार्ड आधार से जुड़ चुके हैं, 99.2 प्रतिशत लाभार्थी भी आधार से जुड़ चुके हैं। देश भर में मई, 2023 में शुरू किया गया ई-केवाईसी ड्राइव अब तक 85.6 प्रतिशत पूरा हो चुका है। लाभार्थी अब देश में किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में और किसी भी फेयर प्राइस शॉप से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, next Question. ...(*Interruptions*)...

Contents Page

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: One minute. Question No. 167 by Shrimati Sagarika Ghose. The hon. Member has withdrawn the Question under Rule 53. So, we are moving on to the next Question. Now, next Question... ...(*Interruptions*)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सभापति महोदय, प्रश्न संख्या 167 के बारे में मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: About Question No. 167? Under which rule? ...(*Interruptions*)... There is no point of order. Please be seated. ...(*Interruptions*)... As per Rule 53, the hon. Member has got the right to withdraw his or her question. कृपया आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** So, please take your seat. We are moving on to Question No. 168.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सभापति महोदय, **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: The question is withdrawn. So, we have to move on to the next question. ...(*Interruptions*)... Why are you all getting up? ...(*Interruptions*)... कृपया आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** What is this? ...(*Interruptions*)... Hon. Member, please do not disturb the House. ...(*Interruptions*)... अग्रवाल जी, कृपया आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** अग्रवाल जी, आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** Please address the Chair. ...(*Interruptions*)... I have already asked the hon. Member to take her seat. ...(*Interruptions*)... You also please take your seat. ...(*Interruptions*)... Now, Question No. 168.

*167. *[Question was withdrawn.]*

Anti-Rabies Vaccine

*168. SHRI HARIS BEERAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Ministry has conducted any expert study on the deaths of people in the State of Kerala from Rabies despite receiving the Anti-Rabies Vaccine (ARV);

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government is aware of the reasons for increase in Rabies cases, if so, the details thereof;

(d) the details of the patient safety risks associated with administering the ARV that has not undergone mandatory quality tests; and

(e) whether Government has any action plan on Immunisation Policy on ARV?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO JADHAV): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) Yes. The Central team comprising of Public Health Specialist, Drug Inspector, Surveillance Officer, Microbiologist, Epidemic Intelligence Service (EIS) officer had conducted investigation into suspected human rabies deaths in Kerala during year 2022 and 2025.

The details of investigations are as under:

Investigation of suspected human rabies deaths in Kerala during year 2022 and 2025

The samples of Anti Rabies Vaccine (ARV) & Anti Rabies Serum (ARS) of the batches used in these cases were collected, tested at Central Drug Laboratory Kasuali and found to be of Standard Quality as defined in the Drugs and Cosmetic Act 1940.

Rabies vaccine is highly effective when given promptly and correctly after exposure. Effectiveness depends on timing and completion of the full schedule.

Anti-Rabies vaccine is highly effective, safe and well tolerated. Other biological, robust Quality Assurance mechanisms are in place for ARV and ARS in India. Central Drugs Standard Control Organization governs manufacturing, import, and marketing licenses for ARV & ARS, enforces Good Manufacturing Practices (GMP) compliance via regular inspections and monitors production, sales, and distribution to prevent shortages. The Central Drug Laboratory (CDL) at Kasauli is the National Control Laboratory for testing of Immuno-biologicals (vaccines and antisera) meant for human use in India. The laboratory has the mandate of National

Contents Page

Regulations of Vaccines produced indigenously for domestic market, immunization programme of the Government of India, export and for those imported to the country. Batches of ARV & ARS are tested at CDL before supplying in the system/market as per the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

The States/UTs are advised to ensure the procurement of quality tested ARV/ARS through various guidelines/advisories.

(Link-https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2025/12/Guidance-for-Preventing-Shortage-of-ARV-ARS.pdf)

For anti-rabies vaccination (immunization using ARV), the National Guidelines for Rabies Prophylaxis 2019 are being implemented under National Rabies Control Program in all the States/UTs.

(Link-https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2025/06/Rabies-Guidelines.pdf)

Health is a State subject. The responsibility of strengthening public health care system lies with respective State/ Union Territories (UTs) Governments.

To strengthen surveillance, the States/Union Territories (UTs) have been advised to notify rabies as a notifiable disease. As of now, 26 States/UTs have notified rabies in their respective jurisdictions. The details may be seen at the following link:

(Link-https://ncdc.mohfw.gov.in/wpcontent/uploads/2025/12/Letter-from-MoHFW-for-Rabies-Notification-to-the-states.pdf).

Under National Rabies Control Programme (NRCP) for prevention and control of Rabies, strategies includes training on appropriate animal bite management, surveillance and inter-sectoral coordination, strengthening surveillance of Animal Bites, provision of procurement of Anti-Rabies Vaccine for animal bite victims through the National Free Drug Initiative and Information, Education & Communication (IEC) activities and awareness videos have been developed and disseminated to State/Union Territories to promote public awareness on rabies prevention and the importance of timely Post- Exposure Prophylaxis (PEP). IEC resources also emphasize community responsibility regarding stray dog vaccination and responsible pet ownership, including the need for vaccination and registration of both pet and stray dogs. The IEC resources may be accessed at the link:

https://rabiesfreeindia.mohfw.gov.in/resources/uploads/PageContentPdf/169391566040.pdf

A total of 279 Model Anti-Rabies Clinics have been established in the last three years, improving access to standardized case management and wound-washing facilities.

Fourteen government diagnostic laboratories across country have been supported to enhance rabies diagnosis and laboratory-based surveillance.

Under the 'National Rabies Control Program', the "National Action Plan for Dog-Mediated Rabies Elimination by 2030" (NAPRE) was conceptualized and jointly launched by the Ministry of Health and Family Welfare in collaboration with the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, part (a) of my question is this. I want to know whether the Ministry has conducted any expert study on the deaths of people in the State of Kerala from Rabies despite receiving the Anti-Rabies Vaccine (ARV). In his reply, the hon. Minister has said that they have conducted an extensive study but with regard to the answer given after that, I could not make it as to what the actual reason or the cause of death of people despite administering the Anti Rabies Vaccine is. I would like to hon. Member to enlighten the House, at least, on the floor of the House, as to what the actual reason for the death of these people is, whether it is maladministration of drugs or there is some problem with the vaccine. What is the actual reason?

श्री प्रतावराव जाधवः सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यहाँ पर जो सवाल उपस्थित किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि रेबीज़ के कारण ये जो मौतें हुई हैं, उनका कोई अध्ययन किया गया है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँता हूँ कि 2022 और 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केरल में रेबीज़ से होने वाली संदिग्ध मानव मृत्यु के मामलों की जाँच की गई थी और इस मामले में प्रयुक्त एंटी-रेबीज़ वैक्सीन और एंटी-रेबीज़ सीरम के नमूनों को एकत्र किया गया था। उनका केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली में प्रशिक्षण भी किया गया और उन्हें औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 में परिभाषित मानव गुणवत्ता का पाया गया। केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराती है और इसकी खरीदी करना राज्यों की जिम्मेदारी है।

सर, केरल से जो शिकायत आई थी, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी जाँच की। उसमें जो कारण सामने आए थे, वे यह थे कि वहाँ पर जो मौतें हुईं या देश में जो भी मौतें होती हैं, उनमें से केवल 31 प्रतिशत मामलों में घाव को तुरंत साफ किया गया था। सभापति महोदय, रेबीज़ का परिणाम यह होता है कि जब भी कोई कुत्ता या रेबीज़ इफेक्टेड कुत्ता किसी को काट लेता है, तो घाव को तुरंत साफ करना चाहिए। उसकी जो ARV और ARS वैक्सींस होती हैं, उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल में जाकर लेना चाहिए। इन मौतों के कारणों में यह बात सामने आई कि केवल 5 प्रतिशत रोगियों को ही ARV का पूरा कोर्स दिया गया और 13 प्रतिशत को ARS की डोज़ टाइम पर दी गई। बाकी लोगों के द्वारा टाइम पर डोज़ न लेने से उनकी वहाँ पर मौतें हुईं। उसमें उपचार में देरी, घाव को पूरी तरह से साफ न करना और अपूर्ण PEP प्रोटोकॉल के कारण वहाँ पर अधिकतर मौतें हुई हैं। रेबीज़ से होने वाली मौतें अधिकतर PEP के पूरे न होने या गलत विधि से टीके देने के कारण होती हैं, न कि टीके की विफलता के कारण होती हैं।

SHRI HARIS BEERAN: Sir, in the answer, they have said that the Central Drug Laboratory at Kasauli is a National Council Laboratory. Now, the CDL, Kasauli had issued a 'Not of Standard Quality', NSQ, alert for a batch of rabies antiserum in September, 2024. The CAG Report No. 6 of 2024 flagged that the Kerala Medical Services Corporation failed to maintain cold chain integrity for biologicals. Sir, my question is this. Can it be placed on record the exact name of the manufacturer of the failed antiserum batch, the total number of vials from this specific batch that were distributed to the State of Kerala and whether the Ministry has conducted a retrospective potency audit of the specific vaccine vials administered to the three children who died of rabies in 2025 to definitely rule out the supply chain failure? Also, since hon. Nadda ji is here, AIIMS in Kerala is a huge long-standing demand. I would be thankful if there is any status update about establishing AIIMS in Kerala. Thank you.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I would like to enlighten the Member and, through him, to all the Members and to the country about the disease of rabies. First of all, we have to understand that this is a very fatal disease and we have to take a dog bite very seriously because once the virus -- as it is a viral disease -- enters into the nerves, there is no remedy for it and it becomes fatal. So, what we have to understand is that dog bite has to be taken very seriously and what is needed is timely washing of the wound and timely treatment. If the timely treatment is given, then, the vaccine or the serum is very effective. So, what is important is that the dosage should be complete. The question which you had asked was about Kerala. When we sent the Central

team, the record says that we investigated 21 cases. The record of one case was not available, so we had 20 cases. Fifteen cases did not have vaccination or had incomplete vaccination. So, this was the cause of the death. Three died before completing the vaccination because of the fatal exposure. वह दांत इतना गहरा चला जाता है कि उसकी वॉशिंग ठीक से न होने के कारण वह fatal हो जाता है। One started the vaccination after onset of the symptoms, and as I said, when the symptoms are there, frankly speaking, death is confirmed. So, what we have to do is, we have to start the dosage in time, proper time and proper washing is very important as far as the dog bite is concerned. Then, about the rabies death in 2025, when we sent the second team for investigation, 15 cases were listed. Out of them, 14 cases did not have vaccination or had incomplete vaccination. One who had completed the vaccination died due to the fatal exposure. Again the same thing happened. Batches of vaccines used on both the occasions were tested by the Central Drug Laboratory and all were found to be of standard quality. So the drug is not the issue. The issue is when it is administered, whether the people are reaching hospitals in time and getting their wound cleaned at the right time and whether the vaccination process is complete. Another thing that you have asked is about a certain company and you have questioned about that certain company. We don't have the record here about that. If you ask about that in a separate question, we will answer it. As far as AIIMS is concerned, for that, you ask a separate question. The question of Dr. John Brittas is very dear to me and I will answer accordingly.

श्री महेंद्र भट्टः मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विगत दिनों आवारा कुत्तों द्वारा काटने की घटनाओं के बाद देश में 279 एंटी-रेबीज क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जिन राज्यों में रेबीज के मरीजों की संख्या अधिक है, क्या वहां सरकार एंटी-रेबीज क्लिनिक की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है? साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने एंटी-रेबीज क्लिनिक खोले गए हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डाः महोदय, मूल प्रश्न केरल से संबंधित है। मैंने उत्तर केरल के बारे में दिया है, लेकिन हमने देश के सभी क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था की है। आर्थिक व्यवस्था, सर्विलांस की व्यवस्था तथा मरीजों के इलाज की भी पूरी व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य यदि उत्तराखंड के बारे में अलग से प्रश्न पूछेंगे, तो हम उन्हें उसका उत्तर दे देंगे।

डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः महोदय, मैं आरोग्य मंत्रालय का मन से अभिनंदन करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रिसर्च के क्षेत्र में देशभर में बहुत बड़े कार्य किए गए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। महोदय, सामान्य जनता को रेबीज वैक्सीन के बारे में जानकारी है, लेकिन एंटी-रेबीज सीरम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। किसी rabid dog bite के 24 से 48 घंटे के भीतर, इसे मरीज के जख्म

Contents Page

की जगह पर 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत इंट्रामस्क्युलर दिया जाना आवश्यक होता है। इसमें हॉर्स सीरम तथा ह्यूमन एंटी-रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन शामिल होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि देशभर में रेबीज से होने वाली बड़ी संख्या में मौतों को रोकने के लिए, कुत्ते के काटने के बाद तुरंत ARS देने संबंधी public awareness कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ताकि rabid dog bite से होने वाली मौतों को रोका जा सके।

श्री जगत प्रकाश नड्डाः माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक राज्य को हमने टेक्निकल सपोर्ट भी दी है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी है। जब हम टेक्निकल सपोर्ट की बात करते हैं, तो रेबीज के administer के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है, इसका ध्यान रखते हैं। समय पर दवाइयां पहुंचें, कोल्ड चेन मेंटेन रहे, वैक्सीन और सीरम समय पर उपलब्ध हों - इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त IEC (Information, Education and Communication) गतिविधियों के लिए भी अलग से फंडिंग की जाती है। इन सभी योजनाओं को implement करने का कार्य राज्य सरकारों का होता है। इसलिए हम सभी राज्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे IEC गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करें, लोगों को जागरूक करें और सही जानकारी दें। भारत सरकार की ओर से पूरा टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है।

DR. V. SIVADASAN: Sir, in this answer, respected Minister told that animal bites are one of the major reasons for rabies. Stray dogs are one of the major categories of animals causing rabies in human beings. This is threatening the life of human beings because they are spreading rabies in many areas. So, we have a lot of experience. We are staying in nearby residential estate. But there also, street dogs are creating a lot of problems. My question is: Does the Government have any plan to control the stray dogs and other animals spreading rabies? This is my question. I expect a clear answer from the Minister.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, this question does not pertain to my Ministry. It is to be seen by the urban local bodies about stray dogs and they have to answer it. As far as dog bite is concerned, our role comes only when a dog bite takes place. So, cure part is with us and I have deliberated, in detail, about the cure part.

MR. CHAIRMAN: Q.No. 169- Shri Golla Baburao; not present. Any supplementaries?

**169. [The questioner was absent.]*

Indoor stadium at Indian Maritime University, Visakhapatnam

*169. SHRI GOLLABABURAO: Will the Minister of PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS be pleased to state:

(a) when the proposal for construction of Indoor Stadium with Multipurpose Hall at Indian Maritime University in Visakhapatnam was sanctioned;

(b) the total amount sanctioned, released and utilized; and

(c) the status of work completed so far and by when the entire work would be completed?

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The proposal for the construction of Indoor stadium with Multipurpose hall at Indian Maritime University in Visakhapatnam was sanctioned on 14.03.2024.

(b) The sanctioned amount as per tender isRs.5,92,00,000/-, of which an amount of Rs.5,28,56,722/- has been releasedby Ministry of Youth, Affairs and Sports (MoYAS) under Khelo India scheme to IMU. The entire amount of Rs.5,28,56,722/- has been transferred to Central Public Words Department, Visakhapatnam (Implementing Agency of this project) by Indian Maritime University (IMU).

(c) The physical progress of 95% has been achieved andthe work is expected to be completed by 30.01.2026.

MS. DOLA SEN: Sir, everyone knows that the Union Government has the policy of corporatization, privatization and disinvestment, especially from 2009 onwards, in all Government concerns, in Railways, etc. In airlines, we have seen its effects a few days back. It is also in BSNL, ports and all over.

MR. CHAIRMAN: Please be specific about your question.

MS. DOLA SEN: All port jetty and other things are being privatized.

Contents Page

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please be specific about your question.

MS. DOLA SEN: Sir, through you, I would like to know from the concerned Minister whether they can leave the policy of privatizing, at least, the port hospitals in Kolkata, in other places and all over the country. It is badly affecting patients, officers, staff, employees, workers, retired pensioners, families and all.

SHRI SHANTANU THAKUR: Mr. Chairman, Sir, I would like to say that this question is not directly related to the main question. This is a different question asked by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I have a specific question for the hon. Minister. It is good that about Rs. 6 crore has been sanctioned for the purpose of construction of an indoor stadium at the Indian Maritime University in Visakhapatnam. I come from the State of Odisha which is the neighbouring State. We have three major ports — Paradip, Dhamra and Gopalpur. Though it is not directly related, but if the hon. Minister likes to take the question, will the hon. Minister consider the strategic importance of ports in Odisha and think about having a similar institute of maritime on the coast of Odisha in Paradip, which happens to be the largest cargo handling port of the country?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Chairman, Sir, as you know, in the last 11 years, hon. Prime Minister has given a lot of emphasis to promotion of sports in the country. That is why, two flagship schemes are there — Khelo India and Fit India. All these programmes are now on the ground and people of the country have wholeheartedly accepted them for better health, fitness and overall growth of the nation. If you have good health, then you can extend your service to the society and the nation. Health is wealth. That is why, for the holistic healthcare system, hon. Prime Minister is always advocating and promoting it through the concerned Ministries. That is why, he gave us this direction and special encouragement that from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we should also develop infrastructure facilities in all the campuses of Indian Maritime University. That is the reason why, we already have adopted this particular scheme in the campus of the Indian Maritime University at Visakhapatnam.

Contents Page

As you have said, this kind of request has come from different coastal States. I do appreciate it because we want ports to grow faster. Because of hon. Prime Minister's vision and collective policy and initiative, in the last 11 years, there are so many exemplary stories created in the field of sports like the Target Olympics Podium Scheme or any other global podiums. Either from an Olympic podium or any other global podiums, our sportsmen are performing significantly well. That is why, now everywhere, particularly in the villages, towns, hills and valleys, people are adopting sports just to live a life of happiness and fitness. I believe, whatever question you have raised, definitely, I would ask the Indian Maritime University to make a survey on it.

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, the hon. Minister has outlined the present stage of work and the expected date of completion. However, the Compliance Audit Report of the CAG No.3 of 2020 contains specific observations on project management and contract execution issues in the Vishakhapatnam campus of this IMU and the CAG Report No.16 of 2021 notes gaps in physical verification of fixed assets at the IMU Chennai campus. These repeated audit flags across campuses point to systemic weaknesses in monitoring capital works. In light of this, what policy level mechanism has the Ministry instituted to ensure enforceable timelines, stronger project supervision, and timely completion of infrastructural works across the IMU campuses including the Visakhapatnam Indoor Stadium?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, to prioritize the timely completion of student use infrastructure, a project monitoring group is constituted which conducts periodic review meetings and joint site inspection to closely monitor project's progress. Additionally, IMU officials and CPWD engineers hold regular coordination meetings to ensure adherence to approved schedule and timely completion of work.

MR. CHAIRMAN: Now, Q.No.170.

Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan

#*170. SHRIMATI RAMILABEN BECHARBHAI BARA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

Original notice of the question was received in Hindi.

Contents Page

(a) the latest details of antenatal check-ups provided to pregnant women so far under thePradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA), State/UT-wise;

(b) the steps being taken to ensure timely coverage and follow-up care of high-risk pregnancy identified under PMSMA;

(c) whether any challenges have been faced in ensuring regular PMSMA check-ups in aspirational districts, tribal areas and remote rural areas;

(d) if so, the corrective efforts being undertaken to address them; and

(e) whether Government intends to expand digital tools, availability of experts, Public-Private-Partnerships under PMSMA, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The State/UT-wise antenatal check-ups provided to the pregnant women under Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) since inception of the programme in 2016 is placed at Annexure.

(b) Under the National Health Mission (NHM), the Government of India has undertaken several measures to ensure comprehensive antenatal care, timely follow-up, and appropriate management of High-Risk Pregnancies (HRPs) identified under the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA). The key steps are as follows:

- PMSMA is based on a fixed day strategy, and it provides free of cost assured and quality antenatal check up by a Specialist/Medical Officer on the 9th day of every month.
- Early identification and clinical management of High-Risk Pregnancies (HRPs) through comprehensive antenatal check-ups.

Contents Page

- Name-based tracking of every identified High-Risk Pregnancy until 45 days after delivery, ensuring healthy outcome for both the mother and the new-born across all States/UTs.

- Provision of three additional antenatal check-ups for all HRPs, screened by medical officers /obstetricians to monitor maternal and foetal well-being.

- Automated SMS alerts to beneficiaries and ASHAs at the time of HRP registration, reminders for scheduled visits, and follow-up appointments.

- Linkage of HRPs to the nearest First Referral Units (FRUs) to ensure safe delivery and timely management of complications.

- Provision of incentives for High-Risk Pregnant Women towards free transportation to attend follow-up ANC visits.

(c) and (d) To address implementation challenges, including social and cultural barriers, and to ensure regular coverage under PMSMA, the Government of India (GoI) undertaken the following measures:

- Provision of additional PMSMA sessions beyond the fixed monthly sessions held on the 9th of every month, to ensure complete coverage and saturation of all beneficiaries.

- Capacity-building of Medical Officers at PHCs/CHCs in Basic Emergency Obstetric and Newborn Care (BEmONC) to strengthen clinical competencies and improve the quality of antenatal services during PMSMA sessions.

- Case-based ASHA incentives for mobilizing High-Risk Pregnant Women, along with transport incentives for beneficiaries, to facilitate attendance of scheduled follow-up ANC visits.

- Mobile Medical Units (MMUs) are operational in hard-to-reach and tribal areas to deliver essential services such as antenatal check-ups, postnatal care, screening and referral of high-risk pregnancy. In addition, alternative transport arrangements such as Palki, Boat Ambulance, and Bike Ambulance etc. are also in place to improve last-mile connectivity.

- Organization of outreach activities including Ayushman Arogya Shivirs, RCH camps, and monthly Village Health, Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs) to reach

Contents Page

marginalized populations, enhance community mobilization, and ensure follow-up of high-risk pregnancies.

- Distribution of the Maternal and Child Protection (MCP) Card and Safe Motherhood Booklet, providing pregnant women with essential information on diet, rest, birth preparedness, danger signs, ANC/PNC schedules, and government benefit schemes.

- Intensified Information Education Communication (IEC) and Behaviour Change Communication (BCC) efforts through mass media, community-based campaigns, and interpersonal communication to raise awareness on the importance of regular PMSMA check-ups and institutional care.

- Active engagement of frontline workers, including Auxiliary Nurse Midwives (ANMs), Accredited Social Health Activists (ASHAs), and Community Health Officers (CHOs), to promote PMSMA services at the community level and ensure timely tracking and follow-up of pregnant women.

(e) The Government of India has developed a centralized PMSMA Portal to facilitate the engagement of private doctors and specialists as volunteers under the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA). After registering on the portal, their details are shared with the respective State and district authorities. The district PMSMA Nodal Officers subsequently coordinate and communicate the required follow-up actions to ensure effective service delivery.

Annexure

State/UT-wise Pregnant women received antenatal care under PMSMA (Source-PMSMA Portal) since inception of the programme in 2016

S. No.	State/UT	Total No. of Pregnant Women who received antenatal care (ANC) under PMSMA
	India	6,87,70,846
1	Andaman & Nicobar Islands	26,739
2	Andhra Pradesh	56,86,786
3	Arunachal Pradesh	32,960

S. No.	State/UT	Total No. of Pregnant Women who received antenatal care (ANC) under PMSMA
4	Assam	6,98,723
5	Bihar	70,87,440
6	Chandigarh	84,428
7	Chhattisgarh	22,26,336
8	Delhi	6,50,583
9	Goa	89,289
10	Gujarat	33,67,359
11	Haryana	26,03,970
12	Himachal Pradesh	5,27,166
13	Jammu and Kashmir	5,03,536
14	Jharkhand	16,54,011
15	Karnataka	32,29,616
16	Kerala	49,000
17	Ladakh	17,012
18	Lakshadweep	7,357
19	Madhya Pradesh	54,95,367
20	Maharashtra	38,40,224
21	Manipur	91,395
22	Meghalaya	2,96,530
23	Mizoram	74,040
24	Nagaland	22,544
25	Odisha	22,35,677
26	Puducherry	36,550
27	Punjab	11,75,314
28	Rajasthan	45,56,844

S. No.	State/UT	Total No. of Pregnant Women who received antenatal care (ANC) under PMSMA
29	Sikkim	11,784
30	Tamil Nadu	31,47,235
31	Telangana	20,82,700
32	The Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1,16,010
33	Tripura	1,44,114
34	Uttarakhand	1,90,092
35	Uttar Pradesh	1,48,59,143
36	West Bengal	18,52,972

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा: माननीय सभापति जी, मोदी सरकार गरीब महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है। उन्होंने सुरक्षित मातृत्व के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वर्ष 2016 से 'प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' आरंभ किया गया है। मैं देख रही थी कि इस कार्यक्रम के तहत प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं ने लाभ प्राप्त किया है, मैं इसके लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी को यह बताना चाहती हूँ कि महिलाएँ अपने परिवार के साथ सीज़नल कामकाज के लिए स्थानांतरित होती हैं, अर्थात पलायन करती हैं, कई महिलाएँ रोजगार के लिए दूसरे शहरों में भी जाती हैं। मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ऐसी महिलाओं को प्रसव-पूर्व देखभाल उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई प्रोविज़न है तथा उनकी देखभाल किस प्रकार की जाती है, मैं इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सभापति जी, माननीय सदस्या ने बिल्कुल ठीक कहा है कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और खास तौर से सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम Reproductive, Maternal, Child, Adolescent Health and Nutrition की स्ट्राटेजी का पालन करते हैं। इसके तहत अंतर्गत एक continuum of care प्रोवाइड की जाती है। हमारी केवल एक नहीं, बल्कि बहुत सारी योजनाएँ हैं। इनमें से हमारी एक बेहतर योजना 'प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' है। इस योजना के तहत हमारी यह कोशिश है कि हर महीने की एक निश्चित तिथि, अर्थात प्रत्येक माह की 9 तारीख को, गर्भवती महिलाओं की एक specialist doctor के माध्यम से एंटीनेटल चेक-अप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। महोदय, 'प्रधान

मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' का पूरा कार्यक्रम इसी सोच के तहत लाया गया है कि किसी भी गर्भवती महिला को यदि गर्भावस्था के दौरान एक बार विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा जाँच की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो उसे किसी भी प्रकार के potential complications से बचाया जा सकता है। यह सुविधा एनएचएम के तहत सभी राज्यों में संचालित है। इसके तहत आज देश भर में 23,000 से अधिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि सीएचसी और पीएचसी - ये सभी शामिल हैं। हमने इसमें सरकारी डॉक्टरों के साथ-साथ प्राइवेट डॉक्टरों को भी रजिस्टर किया हुआ है। इसके लिए 8,990 से ज़्यादा डॉक्टर अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्या ने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि जो कामकाजी महिलाएँ हैं या माइग्रेट करके कहीं दूसरी जगह जा सकती हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो भी सरकारी फैसिलिटीज़ हैं, वे भी हर महीने की एक फिक्स तारीख को इसका लाभ उठा सकती हैं। कई ऐसे राज्य हैं, जो इन सुविधाओं को नाइंथ ऑफ एवरी मंथ के अलावा अन्य तिथियों पर भी, यानी एक दिन से ज्यादा भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही, जो हाई-रिस्क प्रेग्नेंसीज़ होती है, हम उन्हें डिजिटली ट्रैक करते हैं। हम आरसीएच पोर्टल पर हर गर्भवती महिला को ट्रैक करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि गाँव में जो आशा वर्कर्स हैं, उनके द्वारा ऐसी कोई भी महिला छूट न पाए, जिसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा एंटीनेटल चेकअप की सुविधा सुनिश्चित की जानी है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara.

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा: सभापति जी, माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा सवाल है कि दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में जो आदिवासी महिलाएँ रहती हैं, उन्हें ये सेवाएँ कैसे प्राप्त होती हैं?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर गर्भवती महिला को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसल्टेशन का लाभ पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जो दूर-दराज के इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, उनके लिए हमारी आरसीएस की पद्धति के तहत स्पेशल आउटरीच कैम्प्स लगाए जाते हैं, जिनमें हमारी मोबाइल मेडिकल टीम ऐसे दूरगामी इलाकों तक पहुँचती है और अवेयरनेस जनरेशन के साथ-साथ हमारी आदिवासी ग्रामीण महिलाओं तक मैटरनल हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएँ पहुँचाने की कोशिश करती है। महोदय, हमारे दो और कार्यक्रम हैं, जो मेरे मंत्रालय से सीधे संबंधित नहीं हैं। एक है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस कार्यक्रम के तहत भी आदिवासी इलाकों में 750 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार हमारा एक और कार्यक्रम है - धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत 154 स्पेशल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स खास तौर से आदिवासी इलाकों में जा रही हैं। एक भी आदिवासी महिला, एक भी ग्रामीण महिला, एक भी गर्भवती महिला छूट न पाए - इसके लिए हमारी मोबाइल हेल्थ टीम्स स्वयं महिलाओं तक जाती हैं और उन्हें जागरूक करने के साथ-साथ, गर्भवती महिलाओं के लिए जितनी भी मैटरनल हेल्थ की योजनाएँ हैं, उनका लाभ उन तक पहुँचाने का काम करती हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shrimati Ranjeet Ranjan.

Contents Page

श्रीमती रंजीत रंजन: सभापति जी, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, उसमें सेविका-सहायिका, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों की अति आवश्यकता है। अभी मैडम सोनिया गांधी जी ने ज़ीरो ऑवर में आंगनवाड़ी की सेविका-सहायिका की बात की। वे बहुत परेशान हैं। आप उन्हें बहुत सारे काम देते हैं। वे प्रसूति वाली महिलाओं को देखती हैं, उन्हें सूखा राशन मुहैया कराती हैं, पर वे अपना खुद की और अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगी? आप उन्हें 4,200 रुपये या 4,500 रुपये देते हैं। महोदय, दूसरी बात आशा वर्कर्स के संबंध में है। आप उन्हें मिनिमम वेजेज़ देते हैं और उन्हें नौ महीने तक गर्भवती महिला के साथ रहना पड़ता है। अगर वे रात में महिला को अस्पताल लेकर जाती हैं, तो रात में उन्हें न तो रूम मिलता है, न शौचालय मिलता है - यह उनकी स्थिति है।

MR. CHAIRMAN: Be specific.

श्रीमती रंजीत रंजन: सभापति जी, मातृत्व सुविधाओं का लाभ तब ही होगा, जब ज़िलों में गायनेकोलॉजी डॉक्टर होंगे।

MR. CHAIRMAN: Come to your question please.

श्रीमती रंजीत रंजन: मंत्री साहिबा हमारे बिहार और छत्तीसगढ़ के बारे में बता दें कि क्या वहाँ हर जिले में गायनेकोलॉजिस्ट हैं?

MR. CHAIRMAN: Be specific about your question, please. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन: आप उपचार केंद्र को छोड़ दीजिए। क्या सदर अस्पताल में महिला गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं? हमारी जानकारी में 60 प्रतिशत डॉक्टर भी नहीं हैं, तो इलाज कैसे होगा?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछे हैं, वे मूल प्रश्न से संबंधित नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूं। ...(**व्यवधान**)... आप सुन तो लीजिए। Have some patience, I am answering you.

श्री सभापति: आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Please address the Chair.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सभापति जी, इन्होंने पहला सवाल आंगनवाड़ी सहायिकाओं या कार्यकर्त्रियों के संबंध में पूछा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, उनको आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर उनके भी स्वास्थ्य और सेहत की चिंता की है, तो यह यह नरेन्द्र मोदी सरकार ने की है। आशा के संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि आशा को हम फाइनेंशली इन्सेंटिवाइज़ करते हैं। कोई भी गर्भवती महिला, जिसे specialist consultation के

लिए लेकर जाना है, तो हम आशा को हर विजिट के लिए, महिला को मोबिलाइज़ करवाकर फैसिलिटी तक ले जाने के लिए फाइनेंशियल इन्सेंटिव देते हैं। ...(**व्यवधान**)... हमने आशाओं की सेहत का भी ख्याल रखा है। प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हमने की है।

तीसरा, आपने कहा कि हमारे राज्यों में gynaecologists की कमी है, तो मैं संदर्भ में इतना कहना चाहती हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत - अभी माननीय नड्डा साहब भी कह रहे थे कि हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और राज्यों में एचआर की भर्ती के लिए भारत सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। हम राज्यों को वित्तीय सहायता देते हैं। यहां तक की specialists के लिए हमने 'You Quote, We Pay' जैसे प्रावधान को भी सम्मिलित किया है। अब यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वह ज्यादा से ज्यादा specialists की नियुक्ति करे। महिलाओं के चेक-अप को लेकर gynaecologists और specialists की कमी न आने पाए, इसलिए मैंने कहा कि हमने centralized PMSMA portal जो बनाया है, उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स को भी हम as volunteers रजिस्टर कर रहे हैं। देश भर के 8,990 डॉक्टर्स आज ऐसी महिलाओं के लिए, उनके सुरक्षित मातृत्व के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं माननीय सांसद महोदया जी और सभी माननीय सांसदगण से आग्रह करूंगी कि अपने-अपने क्षेत्रों में आप डॉक्टर्स के साथ, specialist doctors के साथ, gynaecologists के साथ, radiologists के साथ संपर्क कीजिए और उनको सादर अनुरोध कीजिए कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की इस मुहिम में भारत सरकार का सहयोग करें और voluntary services देने का काम करें।

MR. CHAIRMAN: Next supplementary; Shrimati Sudha Murty.

SHRIMATI SUDHA MURTY: Madam, I want to ask the following question. Since you are checking in trimester, there may be many birth defects including down syndrome, congenital heart defects, neural tube defects, etc., which can be scanned in the first three months of pregnancy. When you say that you are going to check, is it a routine check of urine, blood test, blood pressure or other things, or are you finding out all these birth defects in the first three months of pregnancy? It will be a great help for the pregnant women and their families. May I know the data of these tests and results?

श्रीमती अनुप्रिया पटेलः सभापति जी, antenatal check up minimum four, हर महिला के लिए होते हैं और second and third trimester हम PMSMA की सुविधा देते हैं। माननीय सांसद महोदया जी ने विषय उठाया कि तमाम congenital defects होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं इसके संबंध में बताना चाहूंगी कि पहले जब फिफ्थ एएनसी होता था, इसमें केवल 10 रिस्क फैक्टर्स को चेक करते थे। अब हमने उन 10 का दायरा बढ़ाकर 25 फैक्टर्स तक ले जाने का काम किया है और इन 25 फैक्टर्स में बहुत सारी ऐसी diseases and defects होते हैं, उनकी जांच specialists के द्वारा हो जाती है। उसके आधार पर ही अगर कोई हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी

आईडेंटिफाई होती है, तो उसे हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी को हम तुरंत अपने डेटाबेस पर, अपने PMSMA portal पर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद हम आशा को एसोसिएट करते हैं। हम उसकी नेम-बेस्ड ट्रैकिंग करते हैं, 45 डेज़ तक करते हैं, till a safe delivery is achieved और यहां तक कि जो हमारे FRUs होते हैं, उनसे हम उस हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी को लिंक-अप भी करते हैं। आपने जो विषय उठाया है, तो 25 फैक्टर्स की स्क्रीनिंग के जरिए उसे एड्रेस किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shri A. A. Rahim.

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I thank you for giving me this opportunity. My concern and my question is particularly, regarding maternal mortality. I can proudly say that in Kerala, the maternal mortality rate is very less as compared to the other States. Sir, through you, I want to know the maternal mortality rate during the last three years in the country. Kindly provide the State-wise data.

श्रीमती अनुप्रिया पटेलः सर, Maternal Mortality Rate की decline इंडिया की one of the success stories है। I have great pride in saying one thing. With the number of initiatives that this Government has taken, starting from Janani Suraksha Yojana to Janani Shishu Suraksha Karyakram, LaQshya, National Nutrition Mission, PMSMA and Extended PMSMA, we can provide continuum of care. Sir, the impact of these interventions has been that today India's rate of decline of MMR has surpassed the global rate of decline; while our rate of decline is 86 per cent, that of the global decline is only 48 per cent. And, the Sample Registration System, 2021-23, says that Maternal Mortality Rate in India has come down from 130 per lakh live births to 88 per lakh live births. Sir, I have a long list of all the States with me. If you allow me to read, it will take so much of time. But, I can read out the MMR figures for each and every State of India. All I want to say is, we have done very well. Our efforts are continuing and we will make sure that we reach our SDG targets.

SHRI A.A. RAHIM: Can you provide the data to me?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: I will give it to you. Or, I can read out.

MR. CHAIRMAN: You can send it to him.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: I can give it to him, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 171.

Contents Page

Revised procurement targets for Paddy and Rice

*171. SHRI RITABRATA BANERJEE: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the revised procurement targets fixed by Government for each State for Paddy and Rice in 2024—25; and

(b) whether any State has protested or appealed against procurement curbs, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI PRALHAD JOSHI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The State-wise revised paddy procurement estimates fixed by Government of India (GoI) for Central Pool during KMS 2024-25 (cumulative of Kharif and Rabi crops) are placed at **Annexure**.

(b) There are no curbs imposed by the Government of India on procurement of paddy by the State Governments.The estimates for procurement of paddy are finalized by the GoI after consultations with the respective State Governments, before the commencement of each marketing season, taking into accounta range of factors including estimated production, past years' procurement, and marketable surplus.

Annexure

(Figures in Lakh Metric Tonnes — (LMT))

Paddy Procurement Estimates (in terms of Rice) for KMS 2024-25 (cumulative of Kharif and Rabi crops)				
S.No.	**State/UT**	**Original Approved Estimates**	**Estimates after revision (if any)**	**Remarks**
1.	Punjab (including Chandigarh)	124.00	124.00	--
2.	Chhattisgarh	70.00	78.00	Revised Estimate

Contents Page

3.	Uttar Pradesh	41.00	41.00	--
4.	Odisha	50.00	58.00	Revised Estimate
5.	Haryana	40.00	40.00	--
6.	Telangana	71.00	71.00	--
7.	Madhya Pradesh	30.00	30.00	--
8.	Andhra Pradesh	35.00	35.00	--
9.	Bihar	23.00	30.00	Revised Estimate
10.	West Bengal	19.00	20.65	Revised Estimate
11.	Tamil Nadu	25.00	32.69	Revised Estimate
12.	Maharashtra	11.00	13.25	Revised Estimate
13.	Uttarakhand	5.00	5.00	--
14.	Jharkhand	2.50	2.50	--
15.	Assam	3.30	6.40	Revised Estimate
16.	Kerala	3.94	3.94	--
17.	Karnataka	1.79	5.29	Revised Estimate
18.	Gujarat	0.34	0.34	--
19.	J&K	0.19	0.19	--
20.	Himachal Pradesh	0.18	0.18	--
21.	Tripura	0.45	0.45	--
22.	Puducherry	0.12	0.12	--

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, through you, I want to know from the hon. Minister whether he can provide us with the State-wise details of all pending procurement related dues from the Centre to the States for KMS 2023-24 and 2024-25 and whether the accumulating arrears are deliberately being used as leverage to restrict procurement targets for surplus producing States.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as far as dues are concerned, there are two types - One is DCP and another one is Non-DCP. Sir, as far as dues are concerned, as of now, I

can supply the details to him. But, as far as West Bengal is concerned, in particular, जहाँ तक आज के दिन में जानकारी है, there are no dues. All the dues have been cleared.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, I will be very happy if the hon. Minister supplies me the details. My second supplementary, Sir, is this. I would like to know hether the Government is aware that there is 207 per cent increase in storage losses of wheat and rice in FCI depots between 2024 and 2025 and 2025-2026 till October, 2025. Will the hon. Minister explain why a country like India, as the world's largest producer of these two staples, still lacks adequate scientific storage capacity?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as far as storage loss is concerned, both storage and transit losses have considerably decreased, especially due to technology-driven activities in the overall system, such as, *depot-darpan*, *anna-darpan,* etc. With the help of technology and the development of the portal, I can monitor storage in remote States from Delhi. There is, absolutely, no issue in this regard. Though this question relates to a different aspect, but as far as my knowledge goes, the overall loss has come down to 0.22 per cent. It has decreased remarkably, both in storage and transit loss.

As far as due is concerned, I would like to say here that some States, including West Bengal, have improved after our repeated reminders. We provide 5 kg of grains, either rice or wheat, free of cost to each person in the targeted poor households. However, some States like West Bengal, Karnataka, and Tamil Nadu do not want to put on the receipt the name of *Pradhan Mantri Gareeb Kalyana Yohjana*. This is not acceptable, Sir. When the receipt is given, it is shown as 'zero'. It is also said that it is free of cost, which is borne by the Central Government. We insist on receipts to track whether the benefits are being provided free of cost as intended. But, they are not maintaining this record and only in those cases some of the dues are pending for some States. Despite that, we remind them and release the money as soon as they comply, Sir. There is no issue with the money. Procurement is done through FCI for non-decentralized States, and for decentralised States, payment is made as soon as the goods are distributed. Thank you, Chairman, Sir.

SHRI KANAD PURKAYASTHA: Mr. Chairman, Sir, I want to know from the hon. Minister what the existing policy of food grains procurement is and what the scheme of decentralized procurement of food grains is.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the principle of procurement of food grains has broad objectives, ensuring the availability of food grains to the weaker sections. And, the Central Government extends price support to paddy, coarse grain, and wheat, through the Food Corporation of India and State agencies. The procurement policy is open-ended. All food grains conforming to the prescribed specifications, that is, fair average quality norms, are offered for sale at specified centres and are bought by the public procurement agencies. The farmers have the option to sell their produce to FCI and the State agencies at the support prices in the open market, whichever is advantageous to them. Additionally, Sir, the scheme of decentralised procurement of food grains was introduced by the Government in 1997-98 with a view to enhancing the efficiency of procurement and PDS, and encouraging local procurement to the maximum extent by extending the benefit of MSP to local farmers, as well as to save the transit costs. Furthermore, whenever we decide the quantity to be purchased from each State, we consider factors such as what is sown, expected production and, after consultation with the State Government, the quantity is decided.

श्रीमती सुलता देवः चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ओडिशा में व्यवस्थित रूप से कितनी मंडियां खुली हैं, कितने PACS खुले हैं तथा कितना procurement हुआ है? आज तक बहुत सारी मंडियों में पानी नहीं है, लाइट नहीं है और procurement है ही नहीं। तो वहां कितना procurement हुआ है और कितने procurement का target है तथा उस procurement में, paddy procurement में मक्का, भुट्टा और maize शामिल हैं या नहीं?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, creation of infrastructure is the responsibility of every State Government. I will send the details of exactly how many *mandis* are working in the State Government to the hon. Member, Sir. As far as undertaking the specified procurement operation on behalf of the Government, a commission is paid to either the societies, or the cooperatives, or the *aaditiyas*. Procurement processes, such as supervision, procurement activities, proper display of MSP, FAQ norms, arrangement of basic amenities, like, drinking water, toilets, cleaning, and winnowing of the farmers' produce, are facilitated by the installation of required equipments, including a calibrated digital weighing machine and thread for stitching filled bags. These responsibilities are handled by agents or the societies appointed or recognised by the State Government when the produce is brought to the *mandi*. The Central Government, along with the Food Corporation of India, regularly monitors this. However, if there are specific complaints, the hon. Member may write to me and I will

Contents Page

definitely and positively look into them. The estimate of procurement is finalized by the Government of India after consultation with the respective State Governments.

DR. VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Sir, I would like to ask the hon. Minister कि पंजाब में अभी दो दिक्कतें बहुत आ रही हैं। This morning, we have 20 million tonnes of old stocks, paddy और wheat का। लास्ट नवंबर में भी यह प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जब हम evacuate नहीं करेंगे, तो procurement पर बाधा आती है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार उसके लिए क्या special steps ले रही है?

सर, अभी जूट बैग्स की भी बहुत शॉर्टेज़ है, अभी allocation भी आधा कर दिया गया है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि जूट बैग की सप्लाई होगी या HDPE/PP allow होगा? But the main thing is that there is a high stock in the godowns.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I would like to highlight one important thing. The point is that procurement is happening in a big way. In 2014-15, 478 lakh metric tonnes of paddy was procured and the MSP paid was Rs.66,949/- crores. For wheat, an amount of Rs.39,382/- crores was paid. Whereas, in 2024-25, 813 LMT of paddy was procured. Ten years back, it was 478 LMT. Today, it is 813 LMT. And, the total amount paid to the farmers is Rs.1,88,821/- crores, means we have paid three times more to the farmers. Because of this increase in MSP by the hon. Prime Minister-led Government, this Government, farmers themselves have increased their production capacity. However, the policy of the Government is to procure whatever comes either to *mandi* or the society. We are procuring everything. Because of that, today, there is excess quantity of paddy and wheat in the country. I am requesting all the State Governments -- even Punjab Chief Minister has met me many a times-- to create storing facilities, more godowns. All these things have to be looked after by the State Governments. We are providing funds and also facilitating them. In one or the other way, we are helping them. So, keeping that in mind, I would like to request all the State Governments and all the MPs also, use your good offices, create more stocking facilities, godown facilities. Procurement is being done. Sometimes, it is more than what is required by us. So, keep the stock. Every State is now requesting for enhancement of their procurement. We are doing it after consultation with the State Government because Modi Government is always pro-farmers and pro-poor. With all command at my level, I am requesting all the Chief Ministers to create storage facilities.

MR. CHAIRMAN: Question No. 172.

Contents Page

Cancer cases in Delhi and Punjab

*172. MS. SWATI MALIWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the latest Age-Adjusted Incidence Rate (AAIR) of Cancer in Delhi and Punjab, gender- wise, how these figures compare with other major metropolitan cities;

(b) the number of Cancer cases detected in Delhi and Punjab during the last three years, Cancer type-wise such as Lung, Breast, Oral, Cervical and Prostate and gender-wise;

(c) the details of specific preventive, screening and early-diagnosis programmes implemented by Government in Delhi and Punjab along with the funds allocated, released and utilised; and

(d) whether any targeted action plan or inter-Ministerial initiative has been formulated, the details and timeline thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO JADHAV): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the Indian Council of Medical Research (ICMR) report, the Age Adjusted Incidence Rates (AAIR) of cancer per 100000 (2015-2019) across Population Based Cancer Registries (PBCRs) in various specific areas of Delhi, Punjab and some other Metropolitan cities are as below :-

Registry	**Male**	**Female**
Delhi	146.7	132.5
Patiala	69.6	80.7
Bangalore	127.7	151.3
Chennai	125.7	138.9
Hyderabad	114.7	153.8

Mumbai	108.9	114.2
Kolkata	105.5	98.6
Ahmedabad urban	103.3	83.1
Pune	86.1	100.8

Note: Comparison of AAIR across the population was performed based on the World Standard Population

(b) As per the ICMR -National Cancer Registry Programme (NCRP), the estimated number of incidence in Delhi and Punjab during the last three years, Cancer type-wise such as Lung, Breast, Oral, Cervical and Prostate and gender-wise is placed at **Annexure**.

(c) The Department of Health and Family Welfare, under National Health Mission (NHM), provides technical and financial support to States/UTs for the National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NP-NCD). The programme focuses on strengthening infrastructure, human resource development, screening, early diagnosis, referral, treatment, and health promotion for Non-Communicable Diseases (NCDs) including cancer. Under NP-NCD, 770 District NCD Clinics, 233 Cardiac Care Units, 364 District Day Care Centres, and 6,410 NCD clinics at CHCs have been set up.

A population-based initiative for prevention, control and screening for common NCDs including three common cancers has been rolled out. Under this initiative, persons more than 30 years of age are targeted for their screening for the common NCDs including three common cancers i.e oral, breast and cervical.

The preventive aspect of Cancer is strengthened under Comprehensive Primary Health Care through Ayushman Arogya Mandirs (AAM) by promotion of wellness activities. Under National Health Mission (NHM), funds are provided to States & Union Territories for awareness generation activities as per their Programme Implementation Plans (PIPs).

Since health is a State Subject in addition to expenditure by the State, the details of expenditure for National Programme-Non Communicable Diseases (NP-NCD) under NHM during the period of F.Y. 2022-23 to F.Y. 2024-25 for Delhi and the State of Punjab is given as below:-

Contents Page

(Rs. In lakhs)

Year	**Delhi**	**Punjab**
	Expenditure	**Expenditure**
2022-23	21.97	559.97
2023-24	27.22	1796.11
2024-25	89.05	323.83

(d) As per the announcement of Union Budget 2025-26, the government plans to set up Day Care Cancer Centres (DCCCs) in district hospitals in the next 3 years. Across the country, in the financial year 2025-26, the Department of Health and Family Welfare has approved 297 DCCCs for establishment.

In addition, initiatives of other Ministries/departments also support cancer prevention. The Eat Right India movement of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) encourages reduced intake of salt, sugar and trans-fats. The Fit India movement of the Ministry of Youth Affairs and Sports, and various Yoga-related activities undertaken by the Ministry of AYUSH promote healthier lifestyles, which are helpful in reducing risk factors associated with cancer.

Annexure

Estimated Incidence of cancer cases (2023-2025) -Delhi							
Year	Males			Females			
	Lung	Oral	Prostate	Lung	Oral	Breast	Cervix
2023	1668	2429	1168	604	472	3198	741
2024	1740	2569	1233	644	482	3260	716
2025	1814	2717	1301	686	491	3321	692

Contents Page

Estimated Incidence of cancer cases (2023-2025) -Punjab							
Year	Males			Females			
	Lung	Oral	Prostate	Lung	Oral	Breast	Cervix
2023	705	1145	1160	304	273	3342	1296
2024	709	1152	1167	306	275	3365	1305
2025	713	1159	1174	308	277	3388	1314

सुश्री स्वाति मालिवाल: सर, दिल्ली में कैंसर हॉस्पिटल्स का बड़ा ही बुरा हाल है। मैंने खुद Delhi State Cancer Hospital में विज़िट किया है। वहाँ पर उस हॉस्पिटल के बाहर लोग पूरी रात ठंड में कराहते रहते हैं, पेशंट्स सड़कों पर पड़े हैं। वहाँ न तो वेटिंग रूम है और बेड्स की बहुत ही ज्यादा कमी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहती हूँ कि क्या वे दिल्ली में दिल्ली सरकार के साथ मिल कर अब कैंसर हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ाएँगे और दिल्ली में स्पेशली जो देहात का इलाका है, वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल्स खोले जाएँगे?

सर, एक बात और है कि पंजाब में आज भी यही हाल है और लोगों को कैंसर ट्रेन में बैठ कर आस-पास के स्टेट्स में इलाज कराने जाना पड़ता है, तो क्या माननीय मंत्री जी दिल्ली और पंजाब, दोनों जगहों पर कैंसर हॉस्पिटल्स खुलवाएँगे?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री प्रतापराव जाधव: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल्ली और पंजाब के कैंसर रोगियों के लिए यह सवाल पूछा है और इन्होंने पूछा है कि केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिल कर कैंसर हॉस्पिटल्स की सुविधा को बढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से उपचार देने के लिए क्या मदद कर सकती है? तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि SCI के लिए 120 करोड़ और TCCC के लिए 45 करोड़ का केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम है।

MR. CHAIRMAN: Statement by Minister correcting Answer to Question. Shri Harsh Malhotra.

STATEMENT BY MINISTER CORRECTING ANSWER TO QUESTION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI HARSH MALHOTRA): Sir, I I lay a Statement (in English and Hindi) correcting the answer to Unstarred Question No. 229 given in the Rajya Sabha on the 02nd December, 2025 regarding 'Cases filed under various forums'.

I rise to correct the parts (b) and (c) of the answer to Unstarred Question no. 229 in the Rajya Sabha on the 2nd December 2025 regarding "CASES FILED UNDER VARIOUS FORUMS" as follows:

<table>
<tr><th>Parts of the Question answered</th><th>For
(Previous Reply)</th><th>Read
(Corrected Reply)</th></tr>
<tr><td>(b)</td><td>The details of budgetary allocation and actual budget utilisation, for the last three Financial Years (FY) in NCLT and DRT are as follows:
<table>
<tr><th>Particulars</th><th>NCLT</th><th>DRT</th></tr>
<tr><td colspan="3">FY 2022-23</td></tr>
<tr><td>a. Budgetary Allocation (₹ Cr)</td><td>86.80</td><td>155.72</td></tr>
<tr><td>b. Actual Budget Utilisation (₹ Cr)</td><td>86.27</td><td>154.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">FY 2023-24</td></tr>
<tr><td>a. Budgetary Allocation (₹ Cr)</td><td>108.37</td><td>171.95</td></tr>
<tr><td>b. Actual Budget Utilisation (₹ Cr)</td><td>99.85</td><td>175.55</td></tr>
<tr><td colspan="3">FY 2024-25</td></tr>
<tr><td>a. Budgetary Allocation (₹ Cr)</td><td>135.87</td><td>212.07</td></tr>
<tr><td>b. Actual Budget Utilisation (₹ Cr)</td><td>122.59</td><td>183.63</td></tr>
</table></td><td>The details of budgetary allocation and actual budget utilisation, for the last three Financial Years (FY) in NCLT and DRT are as follows:
<table>
<tr><th>Particulars</th><th>NCLT</th><th>DRT</th></tr>
<tr><td colspan="3">FY 2022-23</td></tr>
<tr><td>a. Budgetary Allocation (₹ Cr)</td><td>86.80</td><td>155.72</td></tr>
<tr><td>b. Actual Budget Utilisation (₹ Cr)</td><td>86.27</td><td>154.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">FY 2023-24</td></tr>
<tr><td>a. Budgetary Allocation (₹ Cr)</td><td>108.37</td><td>175.55</td></tr>
<tr><td>b. Actual Budget Utilisation (₹ Cr)</td><td>99.85</td><td>171.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">FY 2024-25</td></tr>
<tr><td>a. Budgetary Allocation (₹ Cr)</td><td>135.87</td><td>212.07</td></tr>
<tr><td>b. Actual Budget Utilisation (₹ Cr)</td><td>122.59</td><td>183.63</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(c)</td><td>The financial year – wise details of total amount recovered by DRT is as under:
<table>
<tr><th>S No</th><th>Period</th><th>Cases disposed</th><th>Amount Recovered (Rs. in crores)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2022-23</td><td>29,124</td><td>7,669.16</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2023-24</td><td>36,395</td><td>10,090.71</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2024-25</td><td>30,Z397</td><td>9,332.18</td></tr>
</table></td><td>The financial year – wise details of total amount recovered by DRT is as under:
<table>
<tr><th>S No</th><th>Period</th><th>Cases disposed</th><th>Amount Recovered (Rs. in crores)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2022-23</td><td>29,124</td><td>7,669.16</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2023-24</td><td>36,395</td><td>11,116.66</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2024-25</td><td>30,397</td><td>12,075.27</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

"विभिन्न मंचों पर दायर मामले"

के संबंध में 02.12.2025 को राज्य सभा में दिए गएअतारांकित प्रश्न संख्या 229 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संशोधन करने संबंधी कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिया जाने वाला विवरण

मैं "विभिन्न मंचों पर दायर मामले" के संबंध में 02.12.2025 को राज्य सभा में दिए गएअतारांकित प्रश्न संख्या 229 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निम्नानुसार संशोधन करने का अनुरोध करता हूँ:

<table>
<tr><th>प्रश्न का भाग जिसका उत्तर दिया गया</th><th>के स्थान पर
(पहले दिया गया उत्तर)</th><th>पढ़ें
(संशोधित उत्तर)</th></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>एनसीएलटी और डीआरटी में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) के लिए बजटीय आवंटन और वास्तविक बजट उपयोग का विवरण इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>एनसीएलटी</th><th>डीआरटी</th></tr>
<tr><td colspan="3">वित्तीय वर्ष 2022-23</td></tr>
<tr><td>क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)</td><td>86.80</td><td>155.72</td></tr>
<tr><td>ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)</td><td>86.27</td><td>154.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">वित्त वर्ष 2023-24</td></tr>
<tr><td>क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)</td><td>108.37</td><td>171.95</td></tr>
<tr><td>ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)</td><td>99.85</td><td>175.55</td></tr>
<tr><td colspan="3">वित्तीय वर्ष 2024-25</td></tr>
<tr><td>क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)</td><td>135.87</td><td>212.07</td></tr>
<tr><td>ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)</td><td>122.59</td><td>183.63</td></tr>
</table></td><td>एनसीएलटी और डीआरटी में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) के लिए बजटीय आवंटन और वास्तविक बजट उपयोग का विवरण इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>एनसीएलटी</th><th>डीआरटी</th></tr>
<tr><td colspan="3">वित्तीय वर्ष 2022-23</td></tr>
<tr><td>क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)</td><td>86.80</td><td>155.72</td></tr>
<tr><td>ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)</td><td>86.27</td><td>154.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">वित्त वर्ष 2023-24</td></tr>
<tr><td>क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)</td><td>108.37</td><td>175.55</td></tr>
<tr><td>ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)</td><td>99.85</td><td>171.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">वित्तीय वर्ष 2024-25</td></tr>
<tr><td>क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)</td><td>135.87</td><td>212.07</td></tr>
<tr><td>ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)</td><td>122.59</td><td>183.63</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Contents Page

(ख): एनसीएलटी और डीआरटी में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) के लिए बजटीय वास्तविक बजट उपयोग का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	एनसीएलटी	डीआरटी
वित्तीय वर्ष 2022-23		
क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)	86.80	155.72
ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)	86.27	154.79
वित्त वर्ष 2023-24		
क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)	108.37	175.55
ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)	99.85	171.95
वित्तीय वर्ष 2024-25		
क. बजटीय आवंटन (₹ करोड़)	135.87	212.07
ख. वास्तविक बजट उपयोग (₹ करोड़)	122.59	183.63

मामलों की प्रकृति और प्रकार, उनकी जटिलता, इसमें शामिल चरण-वार प्रक्रियाएं और अन्य प्रचालनात्मक चरों में अंतर के साथ-साथ किसी भी मान्य सूत्र या तंत्र की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्रचालन लागत के आंकड़े या निपटाए गए प्रति मामले की औसत लागत का आंकड़ा निकालने के लिए ऐसी गणना से संसाधन उपयोग का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।

(ग): डीआरटी द्वारा वसूल की गई कुल राशि का वित्तीय वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अवधि	निपटाए गए मामले	वसूल की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1.	2022-23	29,124	7,669.16
2.	2023-24	36,395	11,116.66
3.	2024-25	30,397	12,075.27

एनसीएलटी दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कंपनियों के समाधान से संबंधित है। आईबीसी के तहत समाधान के माध्यम से प्राप्त होने वाली कुल राशि का वित्तीय वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

राशि (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अवधि	समाधान की संख्या	कुल स्वीकृत दावे	कुल वसूली योग्य मूल्य	वसूली योग्य मूल्य % के रूप में		
					स्वीकृत दावे	परिसमापन मूल्य	उचित मूल्य
1.	2022-23	186	1,53,567	55,361	36%	128%	85%
2.	2023-24	263	1,68,927	46,176	27%	136%	94%
3.	2024-25	259	1,62,746	55,821	34%	230%	157%

(घ): एनसीएलटी का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनसीएलटी को आईबीसी के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। एनसीएलटी ऐसे अधिनियमों, नियमों और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है।

*****

Contents Page

1.00 P.M.

$DISCUSSION ON ELECTION REFORMS

MR. CHAIRMAN: Further discussion on Election Reforms raised by Shri Ajay Makan on 11th December, 2025. I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Ramji.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपने मुझे चुनाव सुधार की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही, मैं अपनी पार्टी की मुखिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, चुनाव सुधार की चर्चा पर हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से यह कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में अन्य सुधारों को लाने के साथ-साथ तीन खास सुधार लाने बहुत जरूरी हैं। एसआईआर को लेकर पूरे देश में जो व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Please keep the House in order. Those who want to discuss some important matter, they can go to the lobby and discuss, please.

श्री रामजी: परंतु, बीएसपी का यह कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो प्रक्रिया होनी है, उसके लिए जो समय-सीमा निर्धारित की गई है, वह बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर काफी दबाव है। कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहां करोड़ों मतदाता हैं, वहां बीएलओ को उचित समय मिलना चाहिए। खासतौर से, उत्तर प्रदेश, जहां जल्द ही कोई भी चुनाव नहीं है, वहां लगभग 15.40 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं। अगर वहां एसआईआर का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी, तो इसका नतीजा यह होगा कि अनेक वैध मतदाता, खास तौर पर, जो गरीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। ...(**व्यवधान**)...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

श्री उपसभापति: प्लीज़, अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी: फिर, यह बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को वोट डालने के दिए गए संवैधानिक अधिकार से उन्हें वंचित कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। अतः ऐसे में, एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करने में जल्दबाजी न करते हुए उचित समय दिया जाना अति आवश्यक है। अर्थात्, वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाना भी आवश्यक है।

$ Further discussion continued from the 11th December, 2025.

Contents Page

इसके साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे लोग, जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है, उन्हें अपने हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्योरा देना होगा और इसके साथ-साथ स्थानीय अखबारों में भी इसका पूरा विवरण प्रकाशित करना होगा। वे जिस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस राजनीतिक पार्टी की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे इसकी सूचना अपने स्तर से भी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करेंगी। इस संबंध में बीएसपी का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट या सिंबल दिया जाता है, उनमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बताते हैं तथा कुछ लोगों के संबंध में स्क्रूटनी के समय ही पार्टी को मालूम हो पाता है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास है। ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को पार्टी की ओर से छपवाने की जो जिम्मेवारी दी गई है, इस संबंध में हमारी पार्टी सुझाव है कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेवारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, न कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। अगर आगे चलकर यह मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है, तो उससे संबंधित हर प्रकार की कानूनी लायबिलिटी और जिम्मेदारी उसी पर होनी चाहिए, न कि पार्टी के ऊपर।

मान्यवर, इसके अलावा, हमारी पार्टी का यह भी सुझाव है कि ईवीएम के संबंध में लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत, जो चुनाव के दौरान और उसके बाद व्यक्त की जाती है, उसे दूर करने और चुनाव प्रक्रिया में सभी को पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब ईवीएम के द्वारा वोट डलवाने की जगह बैलेट पेपर से वोट डलवाने की प्रक्रिया पुनः लागू की जाए। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री रामजी: अगर किसी वजह से अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम वोट डालते समय वीवीपैट के डिब्बे में जो पर्ची गिरती है, उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों पर करके ईवीएम के वोटों से मिलान करना अति आवश्यक है। ...(**समय की घंटी**)... ऐसा न करने का कारण इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह बताया जाता है कि इसमें काफी समय लग जाता है, जबकि इनका यह तर्क बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ कुछ घंटे गिनती में लग जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, रामजी। अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। माननीय सदस्य, अभी काफी वक्ता हैं, आप कृपया अपने समय का पालन करें।

श्री रामजी: मान्यवर, मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। वोट डालने की प्रक्रिया महीनों तक चलती है। ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, 10 सेकंड।

श्री उपसभापति: आप जल्दी कन्क्लूड कीजिए। अभी बहुत सारे वक्ता हैं।

श्री रामजी: बस, हो गया मान्यवर। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे देश की आम जनता का चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय प्रदीप कुमार वर्मा, आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी। कृपया अपने समय का पालन करें।

श्री प्रदीप कुमार वर्मा (झारखंड): आदरणीय उपसभापति महोदय, आज जब मैं चुनाव सुधार के विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मेरे मन में भारतीय लोकतंत्र के प्रति गहरा विश्वास है और मैं मानता हूं कि हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत, प्रगतिशील और जीवंत लोकतंत्र है। हर मजबूत भवन की नींव को समय-समय पर मज़बूत बनाए रखने के लिए उसकी मरम्मत और देख-रेख की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में चुनाव सुधार की प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र के इस भवन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उपसभापति महोदय, सबसे पहले हम बात करते हैं मतदाता सूची के शुद्धीकरण की, जिसे SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के माध्यम से किया जा रहा है। हम अपने घर में भी समय-समय पर टूटे हुए पुराने फर्नीचर, पर्दे और गैर-ज़रूरी सामान को बदलते रहते हैं। तो क्या इस देश की मतदाता सूची, जिसके आधार पर हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे समय-समय पर ठीक करने की आवश्यकता नहीं है? 2002 और 2004 में हमारे देश में यह प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद लंबे समय तक यह गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया न होने के कारण मतदाता सूची में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नाम इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें हटाना आवश्यक था। जून से सितंबर 2025 तक बिहार में हुए इस अभियान ने एक इतिहास रचा। 7 करोड़, 42 लाख मतदाता एसआईआर के बाद चुनाव में भाग लेने के लिए उपयुक्त पाए गए। 65 लाख अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम सूची से हटाए गए। 21 लाख से अधिक वैध मतदाताओं को जोड़ा गया। यही एक संतुलित दृष्टिकोण है। कोई इसका विरोध कैसे कर सकता है? एक लाख बीएलओ, 11 राजनीतिक दलों के डेढ़ लाख से अधिक बीएलए इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे। नतीजा हम सबके सामने है। महोदय, विगत बिहार चुनाव में, कुल 90,740 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ और एक भी मतदान केंद्र पर पुनः मतदान कराने की स्थिति नहीं आई। किसी भी राजनीतिक दल ने पुनः मतदान की मांग नहीं की। यह अपने आप में दर्शाता है कि बिहार चुनाव में पूरी चुनाव प्रक्रिया कितने पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। हाल ही में बिहार में हुए चुनावों में 67 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से सर्वाधिक है। वर्तमान में यह अभियान 12 राज्यों में और चलाया जा रहा है। 51 करोड़ मतदाता, 321 जिले और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। उद्देश्य एकदम स्पष्ट है - डुप्लीकेट नामों को हटाना और जो नए पात्र मतदाता हैं, उनके नाम जोड़ना, ताकि मतदाता सूची पूरी शुद्धता के साथ प्रकाशित हो सके। इससे चुनाव में गलत मतदाताओं के नामों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। उनके नाम से होने वाला फर्जी मतदान रुकेगा और 'एक वोट, एक मूल्य' का हमारा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

विभाजन के बाद से 1971 तक लगातार इस देश में करोड़ों शरणार्थी और प्रवासी आए और उसके बाद भी अवैध प्रवासन घुसपैठ के रूप में जारी रहा। कई एजेंसियों एवं गृह मंत्रालय के

Contents Page

अनुमान के अनुसार, भारत में लगभग 2 करोड़ से अधिक ऐसे लोग रह रहे हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। इससे देश की जनसंख्या का स्वरूप बिगड़ा है और इसके कई दुष्परिणाम देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। एसआईआर इन खामियों को भी दूर कर रहा है। एसआईआर के माध्यम से ऐसे अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना, हर दृष्टि से लंबे समय तक हमारी आंतरिक सुरक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है।

संविधान का अनुच्छेद 326 भी कहता है कि मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही है। जनप्रतिनिधित्व कानून, 1925 भी यही कहता है। SIR मृत, डुप्लीकेट, अवैध प्रविष्टियां हटाकर इसकी रक्षा करता है। यह चुनाव की पूरी प्रक्रिया की शुद्धता को भी सुनिश्चित करता है। 2002 और 2004 के बाद फिर से इतने व्यापक पैमाने पर एसआईआर की प्रक्रिया देश में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में इंद्रजीत बरुआ के मामले में एसआईआर का समर्थन किया था और नागरिक सत्यापन की प्रक्रिया को भी वैध माना था। बिहार मामले में भी इस बार कोर्ट ने आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन किया। चुनाव सुधार की दृष्टि से ही एक राष्ट्र, एक चुनाव की बात हम कर रहे हैं। हमारे देश में हर साल कोई न कोई चुनाव होता रहता है और इस चुनावी तूफान में विकास रुकता है, पैसे की बरबादी होती है और सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के सरकारी शिक्षा तंत्र को झेलना पड़ता है। आज भी इस देश के बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी शिक्षकों को बार-बार चुनावी प्रक्रिया में लगाने से हमारे देश के सरकारी शिक्षा तंत्र को बहुत नुकसान होता है। हम वन नेशन, वन इलेक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं कि देश में एक बार चुनाव होने से हम इन सारी कमियों को दूर कर पाएंगे और पैसे की बचत अलग से होगी। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी में भी 1.5 परसेंट की बढ़ोतरी होगी। साढ़े चार लाख करोड़ का अतिरिक्त योगदान हमारी जीडीपी में होगा, अगर वन नेशन, वन इलेक्शन की प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। इससे सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, निवेश सुरक्षित होंगे और मुद्रा स्फीति भी नियंत्रित होगी।

उपसभापति महोदय, राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगाना भी हमारी चुनाव सुधार प्रक्रिया का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। बोहरा समिति ने 1993 में अपराध राजनीतिक गठजोड़ पर चिंता व्यक्त की थी। हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान में 130वां संशोधन लाकर गंभीर आरोपों पर 30 दिन गिरफ्तारी होने पर मंत्री पद छोड़ने का प्रावधान किया है। प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री को भी इस प्रावधान के दायरे में लाया गया है। इससे सार्वजनिक जीवन में शुद्धता बढ़ेगी और अपराध राजनीतिक गठजोड़ के मार्ग में एक बहुत प्रभावी बाधा हम पैदा कर सकेंगे। पिछले कई दशकों में कई समितियां बनीं। विधि आयोग की 170वीं समिति 1999 में बनी। 244वीं समिति 2014 में बनी, गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति आदि सभी ने भारत में राजनीति और अपराध के गठजोड़ को रोकने के लिए कई बार कई प्रकार के प्रावधान किए, लेकिन हमारी सरकार ने पहली बार एक बहुत निर्णायक कदम उठाया है। जो भी हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्यार करता है, हमारी इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहता है, वह इन सुधारों का स्वागत करेगा। अब तो इंडि अलायंस के कई नेताओं ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया का समर्थन किया है और ईवीएम को भी समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में भी कई इंडि अलायंस के नेताओं ने खुलकर कहा है कि वे चार-चार बार से इसी ईवीएम के माध्यम से

Contents Page

चुनकर आए हैं, तो वे ईवीएम का विरोध कैसे कर सकते हैं। यह वही देश था, जहां बिहार में एक बड़े नेता ने एक बार कहा था कि मैं मत पेटियों से जिन्न निकालता हूं। ईवीएम ने इस जिन्नों का निकलना बंद किया है। आज पारदर्शी तरीके से न केवल हम मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करा पाते हैं, बल्कि त्वरित गणना करने की भी स्थिति में हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद बहुत कम समय में हम चुनाव परिणाम को देश की जनता के सामने रख पाते हैं। मेरा एक सुझाव है कि मतदाता सूची के साथ-साथ सभी मतदाताओं के मोबाईल नंबर को भी लिंक किया जाए और मतदान के दिन और उससे पूर्व उनको एसएमएस के माध्यम से मतदान केन्द्र की सूचना भेजी जाए और उनको बार-बार मैसेज देकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाए।

हम समझते हैं कि इसके द्वारा मतदान के प्रतिशत को और बढ़ा सकेंगे। इस देश में कुल मिलाकर चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया विगत 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने प्रारंभ की है, वह हमारे देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगी।

उपसभापति जी, मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः प्रदीप कुमार वर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप अपना भाषण प्रारंभ कीजिए।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र)ः उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का समय प्रदान किया है। मैं इसके लिए आपकी आभारी हूं।

सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूं और महाराष्ट्र में हमने संविधान और इलेक्शन का दुरुपयोग करते हुए देखा है। *महोदय, दुख इस बात का होता है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की एकाउंटेबेलिटी तय हो, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने वह स्वरूप देखा है, * सर, उन्होंने तीन हमले किए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सरकार को ही दोष दूंगी। तीन हमले हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि वोट चोरी की बात तो सभी कर रहे हैं, * यही आज देश की हकीकत है और हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बिहार में भी– महोदय, मैं जैसे ही बिहार बोलूंगी, शायद आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे कि यह मैटर सब-ज्यूडिस है।

श्री उपसभापतिः आप जानती हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बोलना है।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः उपसभापति जी, यह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही है।

श्री उपसभापतिः ऑनरेबल चेयरमैन ने बहुत पहले scope of discussion बता दिया था। वे जो कहेंगे, वही बात रिकॉर्ड पर जाएगी।

---

* Not recorded.

Contents Page

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: उपसभापति जी, बिहार का आउटकम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही आता है।

श्री उपसभापति: प्रियंका जी, SIR sub judice है, as per rule, I can quote it.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: उपसभापति जी, sub judice तो हमारी पार्टी का मामला भी था, मैंने उसको भी उठाया था, लेकिन आपने उस पर आपत्ति नहीं जताई।

श्री उपसभापति: नही। मैंने आपको पूरा बताया है कि माननीय चेयरमैन ने डिस्कशन से पहले ही scope of discussion बता दिया था and all Members are supposed to follow this.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी : सर, मेरे पास सिर्फ तीन मिनट हैं।

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, मैं बस यही कहना चाहती हूं कि समय की मांग है * सरकार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का बचाव करती है, वह ठीक नहीं है। * उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम्।

श्री उपसभापति: प्रियंका जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का समय प्रदान किया है। मैं आज इस सदन में एक प्रस्ताव पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं।

महोदय, मैं यहाँ पर सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि उस समाज के दबे, कुचले, शोषित और वंचित वर्ग के सदस्य के रूप में खड़ी हूँ, जिसने पंचायत की दरी, फट्टी से लेकर संसद की मखमली कुर्सी तक का सफर तय किया है। महोदय, मैं उस वर्ग की पीड़ा जानती हूँ, जहाँ पर दशकों तक वोट देना एक सजा थी और चुनाव में भाग लेना एक अपराध था। महोदय, उस दौर में यदि गाँव के किसी सरकारी स्कूल मास्टर या बाबू के पास इलेक्शन ड्यूटी की चिट्ठी आती थी, तो उसके घर में मातम छा जाता था, उनके घर में डर का माहौल बन जाता था, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। घर में कमाने वाला व्यक्ति सकुशल घर वापस आ जाए, घरवाले यही प्रार्थना करते थे। यदि चुनाव में धांधली हो जाती थी, तो चुनाव में बैठने वाला मास्टर या बाबू अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता था। जब से ईवीएम मशीन आई है, मत-पेटी बदलने वाले और मत-पेटी लूटने वाले गायब हो गए हैं।

महोदय, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हर भारतीय नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी देशों से आए घुसपैठियों से, भारत को आंतरिक खतरे से सावधान करता है।

---

* Not recorded.

आज जब मैं चुनाव सुधार की प्रक्रिया को देखती हूँ, तो पाती हूँ कि सबसे ज़्यादा महिलाएं, युवतियां और उम्रदराज़ महिलाएं बिना किसी डर के कतारों में खड़ी होकर मतदान करती हैं। महोदय, यदि चुनाव आंकड़ों पर एक नज़र डालें, तो 2024 के आम चुनाव में देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान कर राष्ट्र को मजबूत किया है। महोदय, दलितों और गरीबों के लिए लोकतंत्र एक महापर्व है। मैं यही कहना चाहती हूं कि वह दौर बैलेट का नहीं था, बुलेट और बाहुबलियों का था, जिसके बारे में विपक्ष में बैठे हुए हमसे वरिष्ठ सदस्यों को भी पता है। महोदय, एक कहावत याद आती है – 'मनुष्य बलि नहीं होत है, होत समय बलवान।' अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यह सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि हमारा सुरक्षा कवच भी है। बदलाव होना ही था। यह बदलाव हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी ने जहां अमीरों को सुरक्षा दी है, वहाँ मध्यम वर्ग और गरीबों को भी सुरक्षा दी है। जो लोग गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं, उन्हें आज भी डर है और आगे भी अपने जनाधार समाप्त होने का डर है। यह डर बहुत अच्छा है। मोदी जी ने देश की जनता को डर से बाहर निकाला है।

महोदय, एक पंक्ति याद आती है – 'सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, मोदी जी ने कहा, कश्ती वहीं ले चलो जहां तूफान आया है।' महोदय, आपको याद होगा कि 2014 में मोदी जी ने झाड़ू उठाई थी और कहा था कि मैं भारत को स्वच्छ करके रहूँगा, जितना कूड़ा कचरा है, उसे साफ करके रहूँगा। आपने इसका पहला फेज़ गहन पुनरीक्षण के रूप में देख भी लिया है। बिहार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 'इब्तिदा-ए-इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या।' विपक्ष रिफॉर्म की बात करता है। असली रिफॉर्म कागज़ों पर नहीं, नीयत पर होते हैं, जो मोदी सरकार ने करके दिखाए हैं। हमने लोकतंत्र को केवल स्वस्थ लोगों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि आज दिव्यांगजन के लिए रैम्प, व्हीलचेयर और घर से वोटिंग की सुविधा भी दी गई है। महोदय, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उन लाखों फर्जी नामों को हटाया है, जो हमारे दलित और अशिक्षित भाई-बहनों के अधिकारों पर डाका डाल रहे थे। उस ईवीएम मशीन को गाली मत दीजिए, जिसने गूंगों को जुबान दी है। हम बुलेट से बैलेट तक और डर से उत्सव तक का सफर तय कर चुके हैं। इसका जश्न मनाइए, इस पर शक मत कीजिए और साथ दीजिए, नहीं तो बाबा साहेब अम्बेडकर आपको माफ नहीं करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Masthan Rao Yadav Beedha; not present. Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Preamble of the Constitution begins with the words 'We the People'. So, 'The People' is the ultimate factor in a democracy and we are the mother of democracy. But as far as right to vote is concerned, it is not mentioned either as fundamental right or the constitutional right. There have been various judgements of the Supreme Court. Some say that it is the statutory right, some say that it is the constitutional right, while some say that voting itself is an integral part and basic feature of the Constitution. So, there is no

clarity about the right of the people to vote. I would suggest, at this point of time, the right to vote should be made a fundamental right in the Constitution itself.

Now, Sir, the fundamental motto of the Election Commission is: 'everyone should vote'. If our motto is 'everyone should vote", all Indian citizens, who are entitled to vote, should be eligible to vote. We have around 40 crore migrant labourers in the country who are unable to vote because they are not in their particular native place or the constituency where they have to cast their vote. Similar is the case of the Non-Resident Indians who have gone outside the country for the purpose of employment. There have been instances in the past where a Bill was introduced in the Lok Sabha, which was passed by the Lok Sabha, saying that there has to be remote voting facility for the Non-Resident Indians as well as for the migrant labourers. I would recommend that this particular category of Indian citizens should be entitled to vote. Now, Sir, as far as electoral process is concerned, transparency is the key. If there is no transparency, the public will lose faith. There have been several instances where in the electoral process transparency has lost sight of. Why did the Government scuttle the Supreme Court decision that Chief Justice of India should also be a part of the committee for electing the Chief Election Commissioner? Why was he kept out, Sir? Why is this model Code of Conduct not being made applicable fairly to all political parties uniformly? Why are these hate speeches allowed in election campaigns? We saw, Sir, * There is a provision in the Representation of the People Act that if there is a hate campaign, that particular election itself should be made void. So, all the elections of these BJP MPs would have been void if that particular provision under the Representation of the People Act had been invoked. But nothing is being invoked, although we have got the law. Now, Sir, there are peculiar situations. You always see the Election Commission taking a decision and it is the BJP coming up and defending that particular decision of the Election Commission. Sir, they are two different entities altogether. Why should the BJP come in? Here also, in this discussion, it was the Treasury Benches who are up in arms saying that the SIR has to be done and whatever the Election Commission is doing is correct. It is not their role. It is the role of the Election Commission to come up and say that, yes, we are doing a good role; we are doing it in a transparent manner. But then, there is no difference as far as the Election Commission and the BJP are concerned from whatever voices we are hearing from the Treasury Benches. ...(*Time-bell rings.*)... Sir, just 30 seconds more.

---

* Not recorded.

Contents Page

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, there has to be a level playing field. The Election Commission should actually engage with the Opposition. We have a lot to say, but they are not engaging with us. This is a democracy, Sir. This is a democratic process. The money power of the political parties is a major concern. * These are the problems which we are facing. I recommend that these suggestions be incorporated into the electoral reforms. Thank you, Sir.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, पिछले सत्र और इस सत्र में एसआईआर को लेकर सदन को बार-बार बाधित किया गया और पिछला सत्र तो ऑलमोस्ट वॉशआउट हो गया था। उसमें कोई काम ही नहीं हो पाया। मैं सबसे पहले भारत सरकार को, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को बधाई देना चाहूंगा। संविधान में इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके बावजूद चुनाव रिफॉर्म्स पर, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा करने के लिए रास्ता निकाला और आज हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय उपसभापति जी, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की मांग करते थे, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के बासुदेव आचार्य जी ने 14 दिसंबर, 1988 को, उस समय तीन स्टेट्स के इलेक्शंस की डेट जारी हुई थी, उसको लेकर लोक सभा में सवाल उठाया था और उस समय लोक सभा के स्पीकर बलराम जाखड़ जी थे, उन्होंने जो अपनी रूलिंग दी थी, मैं उसका भी आज जिक्र करना चाहूंगा।। quote, "Mr. Acharya, you know that I cannot comment upon the actions and decisions of the Election Commission, which is an autonomous body. Never before have I done it, nor will I do it now. Until and unless you change the Constitution and bring the Election Commission under parliamentary purview, we cannot comment upon its actions." 'I am only concerned with this that the Election Commission is an autonomous body and its decision cannot be discussed.' ये हैं उस समय के स्पीकर! लेकिन इस सबके बावजूद भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म पर चर्चा करना स्वीकार किया, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारे सदन के नेता बैठे हैं, मैं उनको भी और संसदीय कार्य मंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपसभापति जी, यहां बार-बार वोट चोरी की चर्चा की गई, विपक्ष की तरफ से भी वोट चोरी की चर्चा की गई। खरगे साहब यहां नहीं है। उन्हें अम्बेडकर साहब की बड़ी चिंता रहती है, अम्बेडकर साहब को लेकर वे हमेशा बात करते हैं। लेकिन अगर इस देश में सबसे पहले वोट चोरी की गई, -- मैं समझ सकता हूं कि इनका यह दर्द भी क्यों है? -- अगर इस देश में सबसे पहले वोट चोरी की गई, तो 1952 का जो पहला इलेक्शन था, उसमें जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, बाबा साहेब अम्बेडकर, जब वे इलेक्शन लड़े, तो उनके साथ क्या किया गया! 74,000 बैलेट्स इनवैलिड कर दिए गए और बाबा साहेब को चुनाव हरा दिया गया। बाबा साहेब के साथ

---

* Not recorded.

Contents Page

यह आप लोगों ने किया है। ...(**व्यवधान**)... मैं अभी आता हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं अभी आता हूं। ...(**व्यवधान**)... अभी आगे भी है। मेरे पास और भी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, प्लीज़।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः बाबा साहेब के साथ यह आपने किया। बाबा साहेब के पंचतीर्थ तो आपको नहीं दिखते हैं, जिनके लिए मोदी जी ने काम किया। लेकिन जो सच्चाई है, वह सुननी पड़ेगी।

सर, जे. बी. कृपलानी, उनके साथ आपने क्या किया? जे.बी. कृपलानी साहब पहला चुनाव फैजाबाद से लड़े। उनके साथ आपने क्या किया? यह बहुत लंबा है। उसके ऊपर तो उनकी एक पूरी किताब है, जिसका हिन्दी अनुवाद अरविंद मोहन ने किया है। यह पेज नंबर 76 और 79 पर है। उसमें उनके साथ क्या किया गया? एक नहीं, दो-दो बार उनके साथ क्या किया गया? जब वे चुनाव लड़ने के लिए गए, तो उन्होंने इस किताब में लिखा है, "फिर वही हुआ। मतपेटियां जब फैजाबाद लाई गईं," -- आप लोग दोबारा मतपेटियों पर, बैलेट पेपर पर जाना चाहते हैं। यह उसी समय से है। उसी समय का ज़िक्र कृपलानी जी ने अपनी किताब में किया है। -- "फिर वही हुआ। मतपेटियां जब फैजाबाद लाई गईं, तो उसके सील टूटे पाए गए और कहा गया कि बक्सों को बैलगाड़ी से लाया गया है, इसलिए हिलने-डुलने से सील टूट गए हैं।" यह कृपलानी जी ने कहा है। "जब कई बक्सों को खोला गया, तो बाहर कोई और निशान मिला।" -- पहले बक्सों पर बाहर निशान लगता था। जयराम जी, यह ध्यान होगा, बाहर बक्सों पर निशान लगता था, जब वोट पड़ता था। -- "जब कई बक्सों को खोला गया, तो बाहर कोई और निशान चिपका मिला और अंदर दूसरी मोहर वाले मतपत्र पाए गए।" यह आपने कृपलानी जी के साथ वोट चोरी की। आपने न अम्बेडकर जी को बख्शा, न आचार्य कृपलानी को बख्शा। इसके आगे भी जब कृपलानी जी तीसरा चुनाव लड़े, वे उत्तर मुम्बई से चुनाव लड़े, तब आपने उनके साथ क्या किया? आप कहते हैं कि आज चुनाव में पैसे का रोल है! आप आरोप लगाते हैं कि पैसे से वोट खरीदे जा सकते हैं! और कोई नहीं, इस देश में इसकी शुरुआत आपने की है। कृपलानी जी ने अपनी किताब में लिखा है। वे क्या कहते हैं? कृपलानी जी कहते हैं कि जब वे उत्तर मुम्बई में चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे चुनाव क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के दूध वाले भैया लोगों के अनेक ठिकाने, बसावटें थीं। नगरपालिका की भी उनको वहां से उजाड़ कर बाहर बसाने की योजना थी। मुझे वोट देने का वादा किया गया था। परंतु जब कांग्रेस के नेताओं ने उनसे वादा किया कि अगर आप लोग मेनन को वोट डालेंगे, तो उसे उखाड़ा नहीं जाएगा। इसी प्रकार बांद्रा में मांस का काम करने वालों ने कसाईबाड़े बनाए थे। उनको भी आश्वासन दिया गया कि आप मेनन को वोट देंगे, तो वे भी नहीं उजाड़े जाएंगे और उनको वहां से नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा क्या किया गया है? आज आप बिहार की बात करते हैं, लेकिन किया क्या आपने?

आपने चुनाव क्षेत्र में गरीबों के बीच साड़ी बांटने का काम किया और इसके अलावा, आपने धोती-कमीज मुफ्त बांटे। इससे बढ़ कर तो आपने आर्मी का भी दुरुपयोग किया। मेनन साहब के प्रचार के लिए आर्मी के अधिकारी भी आए। यह है - आपकी वोट चोरी और यह है - राजनीति में

Contents Page

भ्रष्टाचार। अगर इस देश में किसी ने लालच को बढ़ावा देने का काम किया और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है, तो वह कांग्रेस है।

उपसभापति महोदय, मैं इससे आगे भी जाना चाहूंगा। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। चुनाव आयुक्त की बात हुई, निष्पक्षता की बात हुई। उस पर मैं बहुत जल्दी-जल्दी कहना चाहूंगा। पहले चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती थी, आप जानते हैं कि कांग्रेस के समय में प्रधान मंत्री करते थे। अब इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी है, जिसमें मंत्री हैं, प्रधान मंत्री जी हैं, लीडर ऑफ दि अपोजिशन हैं। लेकिन मैं उनका डर समझ सकता हूं। आखिर वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस पर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। उसमें लीडर ऑफ दि अपोजिशन तो हैं ही। सर, इनको डर है, इनको यह डर है कि देश की जनता का जो मूड है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अगले 25 सालों तक ये शासन में आने वाले नहीं हैं और जो चिंता कर ले, उनकी उम्र निकल जाएगी और उनको कभी मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। सर, इसीलिए वे उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं! मेरे पास पूरी लिस्ट है। * उपसभापति जी, मैं आखिर में बिहार पर जरूर आना चाहूंगा। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा। यहां पर बिहार के चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा है।

श्री उपसभापतिः आपकी पार्टी से ही समय जाएगा, प्लीज़।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः बस एक मिनट का समय और लूंगा। सर, अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है, उसमें SIR, SIR की बहुत बातें की गईं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप बिहार के मतदाताओं का और खास तौर से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने इन 10,000 रुपयों की वजह से वोट नहीं दिया है। मैं बताता हूं कि बिहार के लोगों ने वोट क्यों दिया है। बिहार के लोगों ने वोट इसलिए दिया है - हमारे अखिलेश जी यहां बैठे हैं। वे बिहार की स्थिति को जानते होंगे। एक इंसान की सबसे पहली जो जरूरत है, वह है – छत, मकान। उसके बाद महिलाओं के सम्मान के लिए चाहिए - उस मकान में शौचालय। उसके बाद उसकी अपेक्षा होती है कि उस मकान में कम से कम बिजली हो और एक लट्टू लग जाए तथा उसके बाद वहां स्वच्छ पीने का पानी मिल जाए। ...(**व्यवधान**)... वह देने का काम अगर किसी ने किया है, तो नीमो की सरकार ने, नीतीश जी और मोदी जी की सरकार ने बिहार में देने का काम किया, इसीलिए हम वहां जीते हैं। इसके अलावा एक और चीज है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि तालाब में कूदने से कभी वोट नहीं मिलते हैं। तालाब में डुबकी लगाने से कभी वोट नहीं मिलते हैं। वोट तो गरीबों की सेवा करने से मिलते हैं। ...(**समय की घंटी**)...

सर, मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे भी बिहार चुनाव में वहां जाने का मौका मिला। मैं एक दिन आरा में खड़ा था। अखिलेश जी, आप वहां के बारे में जानते हैं। मैं होटल से बाहर निकला, तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था। वहां मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां सड़क पर दौड़ लगा रही थीं। मेरे मन में उत्सुकता हुई और मैंने उससे पूछा कि यहां

---

* Not recorded.

इतनी लड़कियां जो दौड़ लगा रही हैं, ये कौन हैं? उसने बोला – साहब, ये लड़कियां फोर्स में जाने के लिए तैयारियां कर रही हैं। ...(**समय की घंटी**)... उसने कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने फोर्स में उनको 35 परसेंट रिजर्वेशन देने का काम किया है। यह काम निष्पक्ष तरीके से किया है और एनडीए की सरकार ने किया है, ...(**समय की घंटी**)... इसीलिए आज ये लड़कियां सड़क पर दौड़ लगा रही हैं। इनको 35 परसेंट आरक्षण देने का काम किया गया है। उसने बाद में क्या कहा? उसने कहा – साहब, मेरे बच्चे को भी लाभ मिला है। मैं जाति में काम नहीं करता हूं। लेकिन अंत में उसने कहा कि साहब, लाभ तो मिला है। ...(**समय की घंटी**)... उसने खुद बताया कि साहब, मैं जाति से यादव हूं। उसने अपनी जाति भी बताई, लेकिन उसने स्वीकार किया कि आज अगर इन महिलाओं के वोट मिलने हैं, तो महिलाओं के लिए जो काम नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया है, इसीलिए हम बिहार में जीते हैं। हम किसी के रहमोकरम से, वोट चोरी करके नहीं जीते हैं।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः आपने ही वोट चोरी करके बाबा साहेब को हराया, कृपलानी जी को हराया, बहुगुणा जी को हराया।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, नागर जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः यह आपका इतिहास है। यह भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं है, यह नरेंद्र मोदी सरकार का इतिहास नहीं है। हम काम के आधार पर जीते हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री स्वाति मालिवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)**:** सर, आज देश की महिलाएँ राजनीति में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इस बार के लोक सभा चुनाव और बिहार विधान सभा चुनाव, दोनों में महिलाओं ने पुरुषों से कहीं ज्यादा वोट किया, लेकिन केवल participation, representation नहीं होता है। आज भी देश की लोक सभा में महिलाएँ सिर्फ 13.6 परसेंट हैं, इस सदन में सिर्फ 17 परसेंट महिलाएँ हैं और देश की Assemblies में तो केवल 9 परसेंट महिलाएँ हैं। सर, यह हमारे लोकतंत्र की सबसे स्पष्ट असमानता है। ऐसे में, मैं सरकार और सदन, दोनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वह Women's Reservation Act, जो ऐतिहासिक है, उसको यहाँ पर पारित किया गया। सर, मेरा यह मानना है कि जब यह कानून जमीन पर implement होगा, तो देश में जरूर क्रांति आएगी। पर, विश्व भर में महिलाएँ, जो भी राजनीति में आती हैं, उनकी जिंदगियों में बहुत चुनौतियाँ आती हैं। सर, 2016 की Inter-Parliamentary Union, UN Women की रिपोर्ट है, जो यह बताती है that 80 per cent of women parliamentarians across the globe face psychological abuse, 50 परसेंट को रेप और डेथ थ्रेट्स मिलते हैं और 25 परसेंट

Contents Page

महिला सांसदों को विश्व भर में फिजिकल वायलेंस झेलनी पड़ती है। This is a global issue और यह तो मैंने बहुत करीब से देखा है। *...**(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः कृपया विषय पर बोलिए, वही रिकॉर्ड पर जाएगा, प्लीज़।

सुश्री स्वाति मालिवालः ***...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is discussion on electoral reforms. Only that would go on record. ...*(Interruptions)*...

सुश्री स्वाति मालिवालः सर, मैं केस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ***...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please come to the subject. ...*(Interruptions)*...

सुश्री स्वाति मालिवालः ***...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Chairman ने already कह रखा है कि scope of the debate ही record पर जाएगा। **...(व्यवधान)...**

सुश्री स्वाति मालिवालः ***...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It would not go on the record. ...*(Interruptions)*... Please sum up.

सुश्री स्वाति मालिवालः सर, ठीक है, मैं sum up कर रही हूँ। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः कृपया आप विषय पर बोलें। It is on electoral reforms.

सुश्री स्वाति मालिवालः सर, मैं केस के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। I am talking about electoral reforms only. Let me speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, speak on electoral reforms. ...*(Interruptions)*...

सुश्री स्वाति मालिवालः ***...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it would not go on record.

सुश्री स्वाति मालिवालः सर, मैं issue पर आ रही हूँ। ***...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः स्वाति जी, यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। Swati*ji*, please. ...*(Interruptions)*... It would not go on the record. ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

Contents Page

सुश्री स्वाति मालिवाल: सर, मैं issue पर आ रही हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अब आपके पास 38 सेकंड का समय है, प्लीज़।

सुश्री स्वाति मालिवाल: सर, मैं दो बहुत ही स्पेसिफिक रिफॉर्म्स बताना चाह रही हूं। सर, नंबर वन, हर पॉलिटिकल पार्टी में internal complaints committee अनिवार्य होनी चाहिए और independent grievance redressal mechanisms होना चाहिए। सर, जितनी भी महिलाओं के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं, उन कंप्लेंट्स का एनुअल पब्लिक डिस्क्लोज़र होना चाहिए और हर कंप्लेंट के ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। सर, अगर हम महिला सांसदों के ऊपर हिंसा नॉर्मलाइज करेंगे, तो हम यह जो 33 परसेंट रिजर्वेशन करने जा रहे हैं, हो सकता है कि उसके लिए महिलाएँ आगे न आ पाएँ। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

सुश्री स्वाति मालिवाल: सर, मुझे बस एक लाइन बोलने दीजिए। मैं बहुत देर से सुन रही हूं। कोई महिलाओं के इश्यू पर नहीं बोला है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Concluding line please.

सुश्री स्वाति मालिवाल: सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटों की नहीं, डिग्निटी की ट्रांसपेरेंसी भी डेमोक्रेसी मांगती है। सर, जब महिलाएँ सुरक्षित होंगी, तो वे संसद और विधानसभाओं में आएँगी और जब वे अपनी जगह बनाएँगी ...(**समय की घंटी**)... तो महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा की आवाज पूरे देश में गूंजेगी और अपने आप देश में बदलाव आएगा, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Masthan Rao Yadav Beedha, not present. Shri Ramdas Athawale , not present. Now, Shri Upendra Kushwaha.

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (बिहार): महोदय, 3 मिनट का समय है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी में दो-तीन बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हृदय से अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने "One Nation, One Election" की बात की शुरुआत की और आज आलम यह है कि हर जगह सदन से लेकर सड़क तक इसकी चर्चा हो रही है। हम अपनी पार्टी की ओर से इस थ्योरी का भरपूर समर्थन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर पक्ष, जो इससे संबंधित है, इलेक्शन कमीशन हो, सरकार हो, इस पर सब मिल कर जल्दी-से-जल्दी निर्णय करेंगे और "One Nation, One Election" की थ्योरी पर यह देश आगे बढ़ेगा।

महोदय, विपक्ष के जो बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, कल से या उसके पहले से इस विषय पर मैं इनको सुन रहा हूँ और मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ, जब एक वरिष्ठ साथी, जो विपक्ष के, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब बिहार का रिजल्ट आया, तब मैं सुन कर अचंभित हो गया। महोदय,

बिहार के रिजल्ट के बारे में इस तरह की बात, जो विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा की जा रही है, यह एक तरह से बिहार के जनादेश का अपमान है, बिहार की करोड़ों जनता का अपमान है। अगर हम आंकड़ों में देखें, तो कहीं पर भी इनकी बात टिकती नहीं है। महोदय, अब जनता इनको नकार रही है, तो उसका दोष ये सिस्टम पर दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर दे रहे हैं।

महोदय, मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं। इसके हिसाब से लगभग 63 कांस्टीट्यूएंसीज़ आउट ऑफ 243, इसमें विपक्ष के लोगों को 2020 के मुकाबले 4% से ज्यादा वोट अभी मिले हैं। लगभग 100 सीटें ऐसी हैं, जहां इनको 2020 के मुकाबले 2025 के विधान सभा चुनाव में इनको प्रतिशत में वोट ज्यादा मिला है। अगर वोट चोरी की बात होती, तो कैसे इनको वोट ज्यादा मिलता?

महोदय, अगर हम कुछ विशेष आंकड़ों में जाएँ, तो पता चलता है कि पारू विधान सभा क्षेत्र में 2020 में इनके उम्मीदवार को मात्र 13,861 वोट मिले थे और इस बार 2025 में 95,272 वोट मिले हैं। कहां से वोट चोरी हो गई? नालंदा विधान सभा क्षेत्र में इनके उम्मीदवार को पिछली बार मात्र 17,293 वोट मिले थे, इस बार 72,424 वोट मिले हैं। कौन-सा वोट चोरी हो गया? महोदय, वाल्मीकिनगर में पहले इनको मात्र 53,321 वोट मिले थे, जबकि इस बार 1,07,730 वोट इनको मिले हैं। ...(**समय का घंटी**)... मेरे पास और भी आंकड़े हैं, लेकिन समय का अभाव है, मैं उनको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस तरह से वोट चोरी की बात ये बोलते हैं, लेकिन डेटा कुछ और बोलता है। वोट चोरी अगर हो गई होती, तो आपके वोट में जो इतना इजाफा हुआ है, वह नहीं हुआ होता, यह साफ है। इसलिए मेरा विपक्ष के लोगों से आग्रह है कि आप यह कहना बंद कीजिए। ...(**समय का घंटी**)...

महोदय, अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज जो भौतिकवाद का दुष्प्रभाव है, यह किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर, पूरे देश पर और आदमी के जीवन के हर क्षेत्र पर इसका जो दुष्प्रभाव है, उसका नतीजा धीरे-धीरे इस ओर बढ़ रहा है कि कल अगर इलेक्शन कमीशन की ओर से इसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो किसी भी पार्टी का जो साधारण कार्यकर्ता है, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ...(**समय का घंटी**)...

श्री उपसभापतिः अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री उपेन्द्र कुशवाहाः मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, महोदय। अब आगे चलकर ऐसी स्थिति आने वाली है कि जिसके पास अकूत संपत्ति होगी, वही व्यक्ति चुनाव में लड़ने और जीतने के बारे में सोच पाएगा, वरना साधारण परिवार का सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इलेक्शन कमीशन को इस विषय पर निश्चित रूप से गौर करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र)**:** माननीय उपसभापति महोदय, चुनाव सुधारों पर यह चर्चा हो रही है और इस पार्श्वभूमि पर हो रही है कि आजकल देश में एसआईआर, वोट चोरी, ये सब मुहावरे बार-बार सबके कानों में गूंज रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि एक बार स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम रहे कि सच्चाई क्या है।

सर, संविधान के निर्माताओं की ओर से हम सभी को जो वोट का अधिकार मिला है, यह इस देश की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है और इसीलिए आज देश 78 सालों की आजादी के बाद एक है, अखंड है। उसके पीछे हमारा संविधान है और सबको वोट का अधिकार है, यह बात सबसे बड़े महत्व की है।

महोदय, मुझे याद है कि कई बार EVM में कुछ गड़बड़ होती है, वोट की बदली हो जाती है, बटन कोई दबाओ और वोट किसी और को मिलता है। यह चर्चा आम तौर पर पिछले कई वर्षों से होती रही है। सब लोगों को यह भी स्मरण कर लेना चाहिए कि पहले EVM कौन लाया और कब लाया, क्योंकि EVM 2014 के बाद नहीं आईं, यह 2014 से पहले भी कई चुनावों में थीं, जब वे लोग भी जीते थे और इधर बैठे लोग हारे थे। जीत-हार आज भी होती रहती है। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण यह है कि वर्ष 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो नतीजे आए, वे हम लोगों को भी चौंकाने वाले थे। क्योंकि एक ओर हमको लग रहा था कि हमारी शानदार विजय होगी, लेकिन चूंकि उस वक्त देश में एक गलत वातावरण बनाया गया कि संविधान बदलने वाला है, जिस वजह से कई वर्गों में एक आशंका निर्मित हुई, डर पैदा हुआ। अगर वोट चोरी करना होता या EVM के माध्यम से गड़बड़ी करनी होती, तो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव के ये नतीजे नहीं आए होते। यह बात उनको इसलिए स्मरण करना ज़रूरी है कि वर्ष 2019 में उनके नेता जहां से लड़कर हारे, वही नेता 2024 में वहीं से लड़कर जीते। अभी केरल में चुनाव हुए, वहां बहुत शानदार विजय प्राप्त हुई और वहीं पर उनके सहयोगी - यहां हमारे विकास जी बोल रहे थे कि वहां बहुत बड़ी धांधली हुई है, तो कौन सही है, कौन गलत है, यह इसी से समझ में आ जाता है कि EVM के बारे में कितनी सच्चाई है या वोट चोरी के बारे में सच्चाई है। सर, मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों को और किसी भी व्यक्ति को खुला आह्वान किया था कि आप हमारे सामने पेश होइए और हमें बताइए कि EVM में चोरी कैसे होती है या कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर किसी के पास प्रूफ है तो आकर ज़रूर दीजिए। वहां कोई नहीं पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए, उसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब यह है कि यहां बैठकर आप कुछ भी बातें करें, सड़कों पर जाकर लोगों को कुछ भी बातें कहें, - यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। यह केवल आज की सरकार की बात नहीं है। यह देश चलता रहेगा और हमारे यहां चुनाव की प्रक्रिया होती रहेगी। अगर हम अपने लोगों को ही इस तरह से भ्रमित करेंगे कि चुनाव में आप वोट डालोगे और आपका वोट बदल जाएगा, तो यह कोई अच्छी परंपरा नहीं है। मैं दिग्विजय सिंह जी से खास तौर पर इस बारे में निवेदन करता हूं, क्योंकि वे बार-बार इस बारे में आशंका व्यक्त करते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, सीट पर बैठ कर आपस में बात न करें।

श्री प्रफुल्ल पटेलः यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि चुनाव में आप लोगों ने प्रलोभन दे दिया, इसलिए जीत गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई प्रलोभन की बात नहीं है, सरकार की योजनाओं की बात है। क्या पहली बार सरकार की योजनाएं दी गई हैं? हम भी पहले सरकारों में रहे हैं। हम लोगों ने भी लोगों के भले के लिए कई योजनाएं चुनाव के दौरान भी और पांच सालों में भी तब इनके सहयोग के साथ लागू की थीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक)**:** किसकी सरकार में?

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आपस में बात न करें।

श्री प्रफुल्ल पटेलः मैं बोल रहा हूं कि आपके सहयोग में ही लागू की थीं। इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। यह जो अभी कहा जा रहा है कि कुछ दे दिया और इसी वजह ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN**:** Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... सिर्फ प्रफुल्ल पटेल जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। Please.

श्री प्रफुल्ल पटेलः महोदय, मैं व्यवधान के कारण एक मिनट का समय और लूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह तर्क सही नहीं है कि हम लोगों ने अमुक चुनाव में अमुक स्कीम के तहत indirectly वोट चोरी कर ली। इतने वर्षों तक सरकारों की कई योजनाओं के तहत आपको वोट मिले, तब आपको वह प्रलोभन नहीं नज़र आया। सरकार का काम होता है कि जनता के हित में जो भी अच्छी योजना ला सके, वह ज़रूर लाए और यही काम हुआ है। क्या आप लोगों ने पिछले चुनावों में कर्णाटक, तेलंगाना, राजस्थान या हिमाचल में अच्छी-अच्छी योजनाओं की घोषणा करके लोगों के वोट प्राप्त नहीं किए? तो क्या वह वोट चोरी था? या वह गलत था? और अगर महाराष्ट्र या बिहार में कुछ होता है, तो आप कहते हैं कि नहीं-नहीं, यह तो गलत तरीके से हुआ, अनैतिक है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। प्रधान मंत्री जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' होना चाहिए। क्योंकि रोज़-रोज़ चुनावों से जो बवंडर मचता है, उस पर कहीं न कहीं रोक लगेगी और एक discipline आएगा कि जो कहना है, एक बार कह दो और फिर पांच साल तक अच्छा प्रशासन करो। इसी वजह से यह किया जा रहा है। हमारी कुछ बहनें कहती हैं कि चुनावों में हम लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी रहेगी। इसीलिए सरकार ने 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण लाने का काम किया। यह विषय कई बार पूर्व की सरकारों में चर्चा में आया, लेकिन विरोध के कारण दबा दिया गया। ...(**व्यवधान**)... आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, बल्कि दीदी पहले से यही चाहती थी कि 33 प्रतिशत महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... जो बात गलत है, वह गलत है और जो सही है, वह सही है। कौन उसको लास्ट मिनट पर डीरेल करता था, हमारे साथी जानते हैं। इन सब बातों को लेकर हम कहीं न कहीं चुनाव में सही में सुधार चाहते हैं, तो हमें आरोप करने की परंपराओं को ...(**समय की घंटी**)...

सर, मैं आखिर में SIR के बारे में बोलना चाहता हूं। SIR क्या चीज़ है? यह बोलना बहुत आसान है कि SIR हो रहा है, SIR हो रहा है। आपके प्रांत में भी आपने सुना होगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This issue is *sub judice*.

SHRI PRAFUL PATEL: I will take just last minute to finish. I am just concluding. Sir, I told you one minute because of all the disturbances. I am just closing my speech. सर,

समझिए मेरे यहां बिहार से आकर मुबंई में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं और उन दो व्यक्तियों का नाम महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए आ गया है और बिहार की सूची में भी उनका नाम है। उसका एक जगह नाम रहेगा और एक जगह नाम कटेगा। अगर इसको भी हम बोलेंगे कि SIR है और इसमें हमारे लोगों का अधिकार वंचित रखा जाता है, तो यह बात नहीं हो सकती है। दो वोट का अधिकार किसी को नहीं है। ...(**समय की घंटी**)... कोई मर गया है, उसका नाम डिलीट नहीं हुआ है, कोई और किसी जगह रहने चला गया है या दो जगह नाम है, तो इस तरह से ...(**व्यवधान**)... SIR को और इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, अगर हम उसको बदनाम करेंगे, तो आपको विश्वास किस पर रखना है? ...(**व्यवधान**)... आप कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलेंगे, फिर किसी और के बारे में बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः थैंक यू प्रफुल्ल जी।

श्री प्रफुल्ल पटेल : यह नहीं रुकने वाली बात है ...(**समय की घंटी**)... इसलिए चुनाव सुधार होने चाहिए और हमारा इलेक्शन कमीशन सही तरीके से जो प्रक्रिया कर रहा है, उसमें वह जरूर सुधार कर ...(**समय की घंटी**)... लेकिन आरोप और टीका-टिप्पणी बंद करे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Praful*ji*. Now, Shri Derek O' Brien.

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, I am glad we are having a discussion on Electoral Reforms because we have been trying it from the last Session of Parliament. When I say, 'we', I mean, Members of the Opposition to have a discussion on Electoral Reforms or the Election Commission in the broader sense. We were told in the last Session, it could not be discussed because it cannot be discussed in Parliament. Then we produced nine reasons why it has been discussed before in Parliament. So, it is good that we are discussing this in Parliament. Parliament and India must also know what was discussed at the All-Party meeting. Yes; we wanted a discussion on Electoral Reforms. We, the Opposition, also wanted a discussion on two more very important issues.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please come to the subject. Only that will go on record.

SHRI DEREK O' BRIEN: We all saw what happened in Vande Mataram debate. Sir, let me begin this discussion. Everything I say is on Electoral Reform. And, let me start by what the hon. Home Minister said in the other House. He came up with three 'D's, sounded catchy. To quote him, he said, 'Detect, Delete, Deport'. These are his words. No, Sir! The actual 'D's are not 'Detect, Delete, Deport'. These are 'Divide,

* Not recorded.

Distract, Deflect'. If he can use three Ds here, I will tell you about my three 'D's. Divide, polarise the electorate on the basis of religion and language.

2.00 P.M.

We all know our respective languages. If I speak in Bengali, they will brand me as Bangladeshi." So, on language -- you speak Bengali in other States, in some other States, you are targeted as being Bangladeshi. So that is the 'divide', Sir. And, then, you illegally deport them, but sometimes a pregnant woman is brought back to her country as a proud woman. Coming to 'distract', I am glad and I want to remind the hon. Home Minister, 'distract'. Yes, to distract from your own failures, you come up with a whole lot of other distractions. Coming to 'deflect', I have one point on 'deflect', Sir, because the big thing is 'infiltrators'. Simple, who is in charge of the borders? Which chief Minister? No Chief Minister! Sir, class 8 civics tells you, it is the Home Minister of this country.

Now, I come to election reforms. There is one party. And, I want more parties to have this in their manifesto. Our party had this since 2009 in our manifesto, then 'nine' always. It is a very simple suggestion. Everything I say is on electoral reforms. Government funding of elections is the route. And I am very happy that there are other political parties, like, the Indian National Congress who included in their manifesto in 2014. But, the Chairperson of the All India Trinamool Congress, Ms. Mamata Banerjee, included that in her manifesto in 2009. That is our suggestion.

Sir, on elections, let us play by the rules. The rules are there. Are we following the rules? Rule one -- the Model Code of Conduct. One campaign is on television, say, the Prime Minister of India is campaigning, and the neighbouring campaign is showing that television byte in the State where the voting is going on. Sir, the rules are there and the implementation of the Model Code of Conduct is crucial. Now, a lot of people are saying the 'M' in the Model Code of Conduct stands for...! We leave it there. When one Election Commissioner objected, he was asked to resign. And, the central agencies and central forces! I can carry on for 20 minutes, but I will give you one example because it happened in my State: &So, there is no point in discussing reforms if we are not implementing the existing rules. What are we doing to the existing rules? &*...(Interruptions)...*

& English translation of the original speech delivered in Bengali.

Contents Page

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There should be no comments on EC. It will not go on record. *...(Interruptions)...* Please speak on the subject. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am talking about rules. I am on the subject. The rules are there. A Bill is passed by this Government. I am giving just one example. Please don't tell me this is off the subject because I am trying to prove that you have the rules, but you do not implement them. You talk, but you do not implement them. Take the Women's Reservation Bill. The day you bring 33 percent women reservation into Parliament, then, you talk to Madam Mamata Banerjee and the All India Trinamool Congress.

"Sir, now let me speak a little in Bengali. They are talking big. We have won, they have lost, so you listen. Now listen to me. Who won in 2011? Mamata Banerjee, Trinamool Congress. Who lost in 2014? BJP in Bengal. Who lost in 2016? BJP! They lost miserably. Who lost in 2019 in Bengal? BJP! In 2021, BJP fell flat on its face in Bengal. We have won, listen to our words a little. Just lecturing from this side and that side, that won't work. Sir, the Minister is sitting there listening, I am addressing you, Sir. Let me mention my leader's words once here... *...(Interruptions)...* I am speaking on electoral reform only, Sir. Win or loss, we speak less. It is because we don't win, Sir; it is the people of Bengal who win. And listen to this! The draft list, which was supposed to be out a week ago, came out today. What did my leader Mamata Banerjee say before this? If the name of even one person from Bengal is dropped from the voter's list, there will be agitation. We will go to Delhi and agitate. Sir, these are not big words. This is reality. I have given you a few suggestions. I can give many more suggestions, Sir. But in the end, I have to pay tribute, Sir. And I have one minute of time left and I want to pay tribute, in my time, in the Trinamool Congress's time. I will not say anything after this. The BLOs (Booth Level Officers) who..." They were martyred. They died while doing their job. I have 30 seconds on the clock. I will not say a word more, Sir; hold on; I will complete my speech after these 20 seconds. Please, Sir, just 20 seconds. This is my time, my silence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is already...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, it is our way...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That has to be used as per the procedure.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please.

Contents Page

श्री उपसभापतिः देरेक जी, आपका समय भी रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत ही इस्तेमाल होगा। ...(**व्यवधान**)... आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। प्लीज़ प्लीज़। ... (**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, people have died. Sir, people who have spoken before me took two, three minutes extra. I took 10 seconds to pay tribute.

श्री उपसभापतिः मैंने सबको कंट्रोल किया है। You might have seen. ...*(Interruptions)*... Please do not blame the Chair. मैं सबसे समय में बोलने की बात करता हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ।

श्री देरेक ओब्राईनः सर, दस घंटे डिबेट हो गई है। वंदे मातरम्, जय बांग्ला।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Masthan Rao Yadav Beedha; not present. Shri Ramdas Athawale. श्री रामदास अठावले जी, आपके पास बोलने के लिए सिर्फ तीन मिनट का समय है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले)ः डिप्टी चेयरमैन सरः

"एसआईआर की चर्चा के वक्त मैं करता हूँ डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद,
एसआईआर की चर्चा के वक्त मैं करता हूँ भारत रत्न डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद,
लोकतंत्र का विरोध करने वालों को करता हूँ मैं बर्बाद,
नरेन्द्र मोदी जी के काम पर मत करो विवाद,
उनके विकास को करना होगा आप सभी को याद,
लोकतंत्र मजबूत करने के लिए है एसआईआर,
अपनी-अपनी नौका करो तुम पार,
हम चुनाव में नहीं मानते हार,
नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बनेंगे चौथी बार,
तीन मिनट में मैं क्या बोलूँ?"

श्री उपसभापतिः जी, वही तय समय है।

श्री रामदास अठावलेः

"तीन मिनट में क्या बोलूँ?
काँग्रेस की पोल मैं कैसे खोलूँ,
मैं तो नहीं हूँ ज्यादा चालू,

Contents Page

मैं तीन मिनट में क्या बोलूँ,

संसद में अब नहीं हैं लालू,

इसलिए मैं नहीं खाता हूँ आलू।"

श्री उपसभापतिः प्लीज़ जो व्यक्ति मौजूद नहीं हैं, उनका नाम न लें। यह संसद की मर्यादा है।

श्री रामदास अठावलेः

"वोट नहीं होता है चोरी,

झूठी है ये काँग्रेस की स्टोरी,

नरेन्द्र मोदी जी के हाथ में है सत्ता की डोरी,

इसलिए वे आरोप लगा रहे हैं कि वोट होता है चोरी।"

मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया था और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाने को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सुझाव दिया था। डिप्टी चेयरमैन सर, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं होता है, बल्कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की वोटर लिस्ट को लेकर निर्णय लेने का अधिकार है। जो लोग दो बार वोटिंग करते हैं, तीन बार वोटिंग करते हैं, जिन लोगों ने गलत सर्टिफिकेट देकर वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया है, वैसे लोगों का पता करने के लिए एसआईआर है। यह आप विरोधी पक्ष के लोगों के लोगों के लिए नहीं है। हमारे देरेक जी अभी बोल रहे थे। ममता जी को लेकर हमें बहुत आदर है। ...(**व्यवधान**)... काँग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया था।

ममता जी को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी थी। ...(**समय की घंटी**)... ममता दीदी को - इससे पहले जो चुनाव हुआ था ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः थैंक यू, आप विषय पर बोलिए, वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावलेः उनको अच्छी सफलता मिली थी। उनको अच्छी सीटें मिली थीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आपका समय खत्म हुआ। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावलेः भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छी सीटें मिली थीं, लेकिन उस समय यह हुआ था कि कांग्रेस पार्टी और सीपीआई और सीपीई(एम) को वोट नहीं मिला था। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः अठावले जी, आपका समय खत्म हुआ। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावले: पूरा वोट ममता दीदी को मिला था। आपको लोकतंत्र में सत्ता मिली। यह अच्छी बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहां आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। आप समय का पालन करें। प्लीज़...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावले: कांग्रेस पार्टी आज तक सत्ता में रही थी, तो क्या वह वोट की चोरी करके रही थी। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: मैं अब दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा।

श्री रामदास अठावले: कांग्रेस पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में रही थी। ...(**व्यवधान**)... हमें भी 50 साल सत्ता में रहने दो। ...(**व्यवधान**)... हम लोग भी यहां काम कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अब मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी। Shri Kartikeya Sharma; not present. माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी, आपके बोलने का समय तीन मिनट है।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े-बड़े नारे, वादे:

"समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं,

मगर साहिल पर टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं।"

*...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, विषय चुनाव सुधार पर बोलें। वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: *

श्री उपसभापति: इन सारी चीज़ों को आप ऑथेंटिकेट करेंगे। ...(**व्यवधान**)... इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो आरोप लगाया है, उसे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: सर, मैं यह तो नहीं कहता ...(**व्यवधान**)... Sir, I will authenticate. ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप जो विषय पर बोलेंगे, वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: *...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यह माननीय चेयरमैन ने बहस के पूर्व में आपको बताया था। ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: सर, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। मेरा टाइम बहुत थोड़ा है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: टाइम थोड़ा है, तो आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: सर, मैं चुनाव सुधार पर बात कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप, चुनाव सुधार पर बोलिए। वही रिकॉर्ड पर जाएगा ...(**व्यवधान**)... आप चुनाव आयोग के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : *

"कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन

उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है।"

*...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप विषय पर ही बोलिए, वही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: * ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपको चुनाव सुधार पर बात करनी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: * ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप जो चुनाव सुधार पर बोलेंगे, वही बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: * ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप चुनाव सुधार पर ही बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: सर, बंगाल की रिंकू तरफदार हों, मणि सिंह हों, नमिता हांसदा हों...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: सर, मेरा टाइम ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपका टाइम खत्म हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: सर, मैं चुनाव सुधार पर बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

---
* Not recorded.

Contents Page

श्री उपसभापतिः अगर आप विषय पर नहीं बोलेंगे, तो मैं इन्टरवीन करूंगा। **...(व्यवधान)...** आप कन्क्लूड कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, अगर नहीं बोलने देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, मैं बीएलओज़ का नाम ले रहा हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः आप विषय को कन्क्लूड कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, यह विषय ही है। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः नहीं, यह विषय नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः नहीं, प्लीज़ **...(व्यवधान)...**

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः * **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः आपको चुनाव सुधार पर बात करनी है। **...(व्यवधान)...**

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आपको चुनाव सुधार पर बात करनी है। **...(व्यवधान)...** आप इन चीज़ों पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो **...(व्यवधान)...**

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, क्या यह रिलेटेड नहीं हैं? **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः आप सिर्फ चुनाव सुधार पर बोलिए। **...(व्यवधान)...**

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः ***...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः मैंने कहा है कि चुनाव सुधार के बारे में बोलने का प्रावधान है। **...(व्यवधान)...**

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, चुनाव सुधार जिनको करना है, उनको कमियां नहीं गिनाएंगे। **...(व्यवधान)...** इलाज तभी होगा, जब बीमारी बताई जाएगी। **...(व्यवधान)...**

* Not recorded.

श्री उपसभापतिः मैं अब दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। ...(**व्यवधान**)... आपका समय खत्म हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, अगर आप न बोलने दें, तो यह अलग बात है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय बंशीलाल गुर्जर। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप अपने समय का कोई भी दुरुपयोग न करें। आप इसी विषय पर बोलेंगे - pros and cons. प्लीज़, आप इसके पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे।

श्री बंशीलाल गुर्जर (मध्य प्रदेश)**:** उपसभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी को और अपने नेता, माननीय नड्डा जी को भी धन्यवाद देता हूं।

महोदय, इस अवसर पर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे देश की हवा में और मिट्टी के कण-कण में प्रजातंत्र बसता है। मुझे याद आता है कि इस देश के राजा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उनके नौ पुत्र थे और नौ पुत्रों में से उनको अपना एक उत्तराधिकारी चुनना था, तो उनको वे नौ पुत्र ही योग्य नहीं मिले, तब उन्होंने जनता के बीच से एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुना। यह हमारे प्रजातंत्र की जो गहरी जड़े हैं, उन जड़ों को दर्शाता है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे देश में प्रजातंत्र आया, तो उस प्रजातंत्र के प्रारंभिक काल में हाथ खड़े करके मत प्राप्त करने की भी व्यवस्था थी। लेकिन इस व्यवस्था में भी जब दोष आने लगा, तो उस दोष के बाद मतपत्र का जमाना आया। जब हम मतपत्र प्राप्त करने लगे, तो मतपत्रों को प्राप्त करते हुए उसमें भी धाँधली होने लगी, तब जाकर मशीनी युग आया, हम ईवीएम के माध्यम से वोट देने लगे और निर्वाचन आयोग इसके माध्यम से चुनाव कराने लगा। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ईवीएम नहीं थी और वोट का जमाना था, तो एक-एक व्यक्ति दो-दो, तीन-तीन विधान सभाएं जिताने का ठेका लेता था। कुछ बाहुबली मिल कर सरकारें बनवा देते थे। वह व्यक्ति, जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति का वोट उसके जाने के पहले ही हो जाता था। जब वह मतदान केंद्र पर आता था, तो उसको कह दिया जाता था कि आपका वोट हो गया है, आपको वोट करने की जरूरत नहीं है। वह जमाना हमने देखा है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनाव सुधार बहुत ही आवश्यक है। मैं सरकार को और प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सामने हमारे जो साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पिछला पूरा सत्र एसआईआर की बलि चढ़ गया, लेकिन एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे साथी अब बता नहीं रहे हैं, जब एसआईआर पर चर्चा हो रही है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब एसआईआर हो रहा है, तो बिहार जैसे राज्य का उदाहरण हमारे सामने है। वहां एसआईआर होने के बाद मत प्रतिशत भी 67 प्रतिशत हुआ और परिणाम भी हम सबके सामने है। मैं उसका ही एक और उदाहरण देना चाहता हूं और निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कानून-व्यवस्था है और मतदाताओं की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा को भी जिस मुस्तैदी से हमारी सरकार ने तय किया है,

उसके कारण बिहार के चुनाव में एक भी मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पहले कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की घटनाएं होती थीं, लेकिन अभी बिहार के चुनाव में एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की घटना नहीं हुई।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

यह इस बात को परिलक्षित करता है कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण हुआ है, उसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और वास्तव में जिस व्यक्ति को मताधिकार का हक मिलना चाहिए, उसने अपना मत दिया है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव हो और एक मतदाता सूची हो। अभी हमने देखा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में जो व्यक्ति वोट करता था, वही व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनाव में भी वोट करता था, वही व्यक्ति विधान सभा के चुनाव में भी वोट करता था और लोक सभा के चुनाव में भी वोट करता था। आज एसआईआर के माध्यम से केवल एक मतदाता सूची होगी और उसी मतदाता सूची के माध्यम से निकायों के चुनाव भी होंगे, पंचायतों के चुनाव भी होंगे, विधान सभा और लोक सभा के चुनाव भी होंगे। अब मतदाताओं का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और मतदान के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए एसआईआर जरूरी है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारत के निर्वाचन आयोग ने तरक्की की है। अभी सात और आठ चरणों में बिहार जैसे राज्य के चुनाव होते थे और लोक सभा के चुनाव तो 15, 16, 17 चरणों में होते थे।

आज चुनाव सुधारों के कारण ही, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद, अब बिहार के चुनाव मात्र दो चरणों में कर दिए गए। यह हमारे चुनाव सुधार का परिणाम है।

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude.

श्री बंशीलाल गुर्जर: महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब इन चुनाव सुधारों के परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री बंशीलाल गुर्जर: हमारे वोटों की जो गिनती है, वह 24 घंटे से पहले ही संपन्न हो जाती है और लोक सभा जैसे बड़े चुनाव का परिणाम सामने होते हैं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री बंशीलाल गुर्जर: हमने देखा है कि वर्ष 2000 में अमेरिका में जो चुनाव हुआ, तो वहां का जो निर्वाचन आयोग है, वह वहां के राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम 36 दिनों में भी घोषित नहीं कर पाया था।

MR. CHAIRMAN: Shri Jagat Prakash Nadda.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री; तथा सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे Election Reforms की चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। महोदय, आज जब हम Election Reforms की चर्चा कर रहे हैं, तो election से प्रजातंत्र को मजबूत करने और प्रजातंत्र को एक रूप देने का काम इलेक्शन कमीशन और Election Reforms के माध्यम से होता है। जब हम प्रजातंत्र की चर्चा करते हैं, तो हमें democracy सिर्फ संविधान के अनुच्छेदों और संविधान के प्रावधानों से ही प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि प्रजातंत्र हमारी संस्कृति में, हमारी जीवन शैली में, हमारे ethos में रचा-बसा है। हम यहां तक भी कहते हैं कि भारत, it is not only democracy, but India is the mother of democracy. इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जहां प्रजातंत्र के प्रति हमारा सारा देश समर्पित है, वहीं हम वोट का महत्व भी जानते हैं। यह एक-एक वोट, देश की दिशा, देश की दशा, country's direction और destiny को तय करता है। इसलिए हम सब लोग इसके प्रति जागरूक होकर कि किस तरीके से चुनाव के reforms समय-समय पर आते रहें, ताकि प्रजातंत्र मजबूत हो, उसकी जड़ें और मजबूत हों - यह सतत प्रयास, यह continuous प्रयास, हम सब लोग करते रहते हैं।

महोदय, हमारी संवैधानिक बॉडी Election Commission of India, हमारी संवैधानिक बॉडी Supreme Court of India, judiciary - ये सभी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जैसे-जैसे मजबूत होती हैं, वैसे-वैसे निश्चित रूप से प्रजातंत्र की जड़ें भी मजबूत होती हैं और इसीलिए यह हम सब की जिम्मेवारी बन जाती है कि इन constitutional bodies की sanctity और constitutional bodies की sanctity के साथ-साथ, इनके प्रति प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर भी ध्यान देते हुए, हमको बहुत जिम्मेवारी के साथ अपना वक्तव्य रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि Election Commission of India ने reforms के साथ जो एक लंबी यात्रा की है, उस लंबी यात्रा में शुचिता के साथ, देश एक के बाद एक चुनाव कराता चला गया है। इसके लिए Election Commission of India को न ही सिर्फ मेरी तरफ से, बल्कि कंप्लीट हाउस की तरफ से भी बहुत-बहुत बधाई देनी चाहिए, जिसने इस काम को किया है। दुनिया की निगाहों में भी Election Commission of India का एक अपना स्थान है। 1.4 plus billion population का, जनसंख्या का चुनाव कराना और वह भी चुनाव में उनके दिए गए मत को पूरे तरीके से और हिफाजत से results में convert करना - यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह दुनिया में अद्वितीय है। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो सतत प्रयास किया है.... अभी-अभी सुरेन्द्र नागर जी ने चर्चा की। उन्होंने चर्चा की कि कृपलानी के समय में चुनाव आयोग की क्या स्थिति थी। उन्होंने चर्चा की कि बाबा साहेब के चुनाव में किस तरीके की बातें हुईं। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर टंडन साहब ने चुनाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी थी - ये सारी बातें हम सबके सामने हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दशकों तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर और इलेक्शन कमीशन के काम को देखने की जिम्मेवारी एक पार्टी की थी और वह पार्टी लंबे समय तक राज में रही और मैं उसको और सीमित

करूँ, तो वह एक पार्टी नहीं, बल्कि एक परिवार के पास थी, तब तो कभी इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ, तब तो कोई प्रश्न खड़ा करने की बात नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि इस संसद के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति, जिसकी चर्चा हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, देरेक ओब्राईन ने भी की और उन्होंने कहा कि हम एसआईआर पर चर्चा चाहते थे। मैं आपके माध्यम से देश को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी किसी भी विषय पर चर्चा से नहीं हटती है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। अब यह एसआईआर का विषय आया। Special Intensive Revision. अब यह Special Intensive Revision कौन करता है? यह इलेक्शन कमीशन करता है। अब इलेक्शन कमीशन का यहाँ कौन रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका जवाब दे? इसलिए बहस उस पर हो सकती है, जिसका हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आपने electoral reforms के नाम पर चर्चा मांगी, तब सरकार तुरंत तैयार हुई और आज 57 स्पीकर्स बोल चुके हैं, मैं 58वाँ स्पीकर हूँ, जो बोल रहा हूँ। यह डिबेट लगभग 10 घंटे चली है। जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो एसआईआर के बारे में पिछले चार महीने में देश में एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे बहुत बड़ी धांधली हो रही है और आप जैसे जिम्मेवार पार्टी, मुझे तो कभी दुख होता है, जयराम जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली की शब्दावली - 'वोट चोरी', 'वोट चोर' - जिसको कभी सुभाष चन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल - ऐसे लोगों ने.... आप उनके resolutions पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए, तो समझ में आ जाता है कि कितना पानी गंगा, यमुना से बह चुका है।

जब मैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में चर्चा करता हूँ, तब मैं स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन आर्टिकल 324 के तहत हुई और इस संवैधानिक संस्था को इलेक्शन के लिए पावर दिया गया कि यह electoral process को पूरा करे, वोटर का डेफिनेशन तय करे, वोटर लिस्ट को prepare करे और समय-समय पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करे। यह इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है। आज एसआईआर पर चर्चा चल रही है। एसआईआर है क्या? Special Intensive Revision. It is under the constitutional power of the Election Commission to purify and to rectify the Voter List from time to time. यह उसका काम है। यह उसको मैंडेट है। Constitution में उसको यह responsibility assign किया गया कि Election Commission of India free and fair elections कराए, तो वह free and fair elections कराने का काम कर रही है।

जब यह responsibility, यानी preparing of the voter list की बात आती है, तो आर्टिकल 324, पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन को यह ताकत देता है कि वह लोक सभा, राज्य सभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस कंप्लीट कंट्रोल में करवाए। इस आर्टिकल ने यह ताकत उसको दी है। आर्टिकल 325 ने यह ताकत दी है कि वह एनश्योर करे कि no eligible voter should be excluded from the voter list and no ineligible voter should be included in the voter list.

Contents Page

आर्टिकल 326 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह Special Intensive Revision (SIR) को डिफाइन करता है कि वह उसकी eligibility, qualification and conditions for being a voter तय करे। इन तीन आधारों पर वह तय करेगा। वह वोटर की eligibility, qualification and conditions को डिफाइन करेगा और conditions क्या हैं? अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली condition है - He or she should be a citizen of the Republic of India. उसको सिटिज़न होना पड़ेगा। वह 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई क्राइम और करप्शन में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मैंडेट है कि वह इस एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया को स्ट्रिक्टली पूरा करे।

अब ये पूछते हैं कि एसआईआर क्यों? एसआईआर क्यों? एसआईआर क्यों? यह एसआईआर कोई नया नहीं है। यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 1952 से शुरू हुआ था। 1952 में जब यह हुआ, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे। जब यह 1957 में हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे। जब यह 1961 में हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे। जब यह 1965 में हुआ, तब लालबहादुर शास्त्री जी प्रधान मंत्री थे। जब यह 1983 में हुआ, तो इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं। जब यह 1987-89 में हुआ, तो राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे। जब यह 1992 में हुआ, तो नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे। जब यह 2002 में हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। जब यह 2004 में हुआ, तो मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे। अब अगर आप देखें, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुए एसआईआर को छोड़कर, बाकी सारे एसआईआर्स आपके ही प्रधान मंत्रित्व काल में हुए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।

जब हम 2004 की बात करते हैं, तो यह बात सामने आती है कि आखिर, 2004 के बाद 2025 तक जो एसआईआर होना चाहिए था, वह क्यों नहीं हुआ और अब होने की क्या आवश्यकता आ गई, वह भी हमको समझ लेना चाहिए। एक तो वर्ष 2000 में विचार में भी किसी पार्टी ने अपोज़ नहीं किया। यह प्रोसेस उस वोटर लिस्ट को ठीक करने का एक तरीका है, जो vitiated होती है। यह एक purification of voter list का तरीका है। यह पीरियॉडिक है और ईसीआई को पूरा अधिकार है, जो वह कर रहा है। इस पर बार-बार वोट चोरी और एसआईआर, एसआईआर, एसआईआर की चर्चा चलती है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि हम यहां हों न हों, आप वहां हों न हों, एसआईआर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और यह एसआईआर चलता रहेगा, प्रजातंत्र चलता रहेगा।

सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। अब देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कैसे होते हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर साहब आए और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, जिसके तहत यह कहा गया कि "No Returning Officer will have the right to delete the names from the voter list." This is a shift from the course of action which the Election Commission was taking. आज जब हम 2025 में खड़े हैं, तब तक नेम्स का डिलीट होना नहीं हुआ। इसके कारण a huge number of votes, which were to be deleted, were not deleted, because somebody died, somebody got married and shifted to another place, somebody got transferred,

Contents Page

somebody moved out from the State. लेकिन, 2004 से 2025, यानी अभी तक वोटर लिस्ट से डिलीट करने का वह अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर से ले लिया गया।

सभापति महोदय, आप बताइए कि ऐसे समय में SIR का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है या नहीं? It becomes more important to have a Special Intensive Revision because from 2010 till 2025, you have not deleted the voters who got married and went to different places, who left the place and moved out to another State, who died, who are no more in this world. आपको उसे intensive revision में लेने की आवश्यकता होती ही है, जिस काम को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। What is Special Intensive Revision? It is to remove the names of the dead, selectively delete the names of foreign nationals and cut the names of the double voters. अब double voters भी हैं, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा ...(**व्यवधान**)... Tiruchi Siva ji wants to intervene.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I just want to clarify one thing. None of us is against the SIR. The processes, of course, have to be conducted. But the manner and method of doing them is only the question. That is our contention.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): So, one aspect is clear that they are not against SIR. ...(*Interruptions*)... Let me complete my submission. ...(*Interruptions*)...

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Kindly make the ...(*Interruptions*)...

श्री जगत प्रकाश नड्डाः महोदय, अब SIR में एक बहुत बड़ी बात आती है, वह यह है कि क्या हम foreign nationals और infiltrators को अपनी वोटर लिस्ट में स्थान दें? अगर हमको purify करना है, तो हमें उसे पूरी letter and spirit में purify करने की आवश्यकता है। शुद्धिकरण के लिए ही वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, मैं आगे इस पर बात करूंगा। सर, ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये चुनाव के नतीजे इनको तकलीफ ज़रूर देते हैं, लेकिन ये दरमा कहीं और लगा रहे हैं, मर्ज़ कहीं और है। इनको अपना मर्ज़ ढूंढ़ना पड़ेगा और सिर्फ अपने कैडर को शांत करने के लिए गलत भ्रम फैलाना कि हम इलेक्शन इसलिए हार रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ी कर रहा है। मुझे लगता है कि आप पार्टी के interest के साथ-साथ देश के interest में भी compromise कर रहे हैं। यह बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। जब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को क्या अथॉरिटी है। The Election Commission does not have any authority. The case of 1995, the Lal Babu Hussein versus Voter Registration Officer, reached the Supreme Court of India. The judgement came in 1995 in the Lal Babu Hussein and the Voter Registration Officer case, and the Supreme Court clearly stated, "Wherever the voter's name is registered, the Returning Officer can ensure whether the applicant is a citizen of India or not. How will the Election Commission decide this is their duty and not our decision. This has to

be done." यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी foreign nationals के बारे में decide करने के बारे में Lal Babu Hussein versus Voters Registration judgement of 1995 में इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया गया था।

कई लोगों ने कहीं ऐटम बम गिराया है, कहीं हाइड्रोजन बम गिराया है। ...(**व्यवधान**)... अभी आपने चर्चा की कि एक ही मकान में 200 वोट आए, इलेक्शन कमीशन ने आपको जवाब भी दे दिया कि वह एक एकड़ का प्लॉट है, उसमें कई घर हैं, वे सभी घर 501 के नाम से जाने जाते हैं। आपने मिंता देवी का विषय उठाया, उसका जवाब भी बड़े स्पष्ट शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। आपने रोहतास की रंजू देवी का विषय उठाया। रंजू देवी ने खुद ही कह दिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि इस तरह का बयान दो। ...(**व्यवधान**)... मैं जानना चाहता हूं कि देश की जिम्मेवार विपक्षी पार्टी ने ऐसे मुद्दों को लाकर देश को भटकाने का काम जो शुरू किया है, क्या यह देश के हित में है?

क्या ऐसी चीज़ों को हम चलने देंगे और इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी से लेकर, Election Commission propriety से लेकर उसकी integrity पर प्रश्न उठाना, यह सब हम लोगों ने देखा है और उसको हम लोगों ने जाना है, जिसका पूरा जवाब दिया गया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने 24 जून, 2025 को cleaning up of electoral rolls का काम शुरू किया था। यह काम 22 साल बाद शुरू हुआ और 7.89 करोड़ electors थे और जो draft roll पब्लिश हुआ, वे 7.24 करोड़ हो गए। यानी 65 लाख नाम काटे गए, जिसमें से 22 लाख की death हो गई, 36 लाख permanent shift हो गए, 7 लाख duplicate थे और मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि यह SIR purification किस तरीके से कर रहा है। जब ये ऑब्जेक्शन्स आए, तो ऑब्जेक्शन्स के बाद 3.66 लाख further deletions थे, वे ineligible पाए गए और addition भी हुए। नए वोट ऐड भी हुए। वे 21 लाख, 53 हजार हुए, जो eligible voters थे, उनको add किया गया। Total electoral list 7.42 करोड़ की बनी और net deletions 47 लाख हुए। मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का इतना पारदर्शी काम है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार किसलिए लगाई कि 1.6 लाख एजेंट नियुक्त होने के बावजूद भी सिर्फ दो आपत्तियां आईं। Two objections only. We can understand how fairly the Election Commission has been working और उसके कारण आज हमें यह देखने को मिल रहा है। मैं इसके बारे में आपके साथ जरूर चर्चा करना चाहता हूं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि Tarnishing the image of Election Commission is tarnishing the image of democracy. No doubt आप लोगों ने इसकी कोशिश की है कि उसकी image tarnish हो। मैं आपको सिर्फ एक ही नतीजे से बता रहा हूं कि किस तरीके से clarity रही है। अब आपने इलेक्शन कमीशन के साथ-साथ ईवीएम का विषय उठा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि ईवीएम राजीव गांधी जी के टाइम पर ही आया था और वह स्टेजेज़ में आया था। ऐसा तो हुआ नहीं था कि वह एक दिन में आ गया। उस पर ट्रायल्स हुए। ट्रायल्स होने के बाद उस पर petitions भी लगीं। 5-Judge Bench of the Supreme Court ने EVM पर upheld किया कि यह legal change है और 2002 में उसको legal change के स्वरूप में माना। इसके बाद पहली बार 2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव,

जहां दस साल आपने राज किया, वह ईवीएम के माध्यम से ही हुआ था। यह तरीका ठीक नहीं है कि जब जीत जाओ, तो हम सिकंदर और जब हार जाओ, तो अंपायर खराब।

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, may I intervene?

श्री जगत प्रकाश नड्डाः चलिए, ठीक है।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the issue is simple. EVMs, before VVPAT came in, did not have a software which could recognise a symbol. It happened only after VVPAT came in. And VVPAT came in because the Supreme Court judgment said in 2013 that Voter Verifiable Paper Audit Trail is important. That is the issue. We have been requesting and demanding this. Series of requests have been made saying let us know about the software in that VVPAT. This is number one. ...*(Interruptions)*... Two, no machine which has a microprocessor will follow the command of the person. But it follows the command of the software. That is why we are demanding that VVPAT slips should not be dropped in the box. It should be given in our hands. That will be the receipt. We are quite happy with the EVMs. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him answer. ...*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डाः एक मिनट रुकिए। ...(**व्यवधान**)... मैं पश्चिमी बंगाल पर भी आऊंगा। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं। Process of purification is a continuous process. That is number one. Secondly, reforms is a continuous process. 2002 में - जब इलेक्शन कमीशन ने उसको green signal दिया, तब VVPAT नहीं था, 2004 में नहीं था, VVPAT बाद में आया है। अगर VVPAT में भी कोई सुधार करने की जरूरत है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जरूर दें।

श्री दिग्विजय सिंहः सर, दे चुके हैं। जवाब नहीं मिला।...(**व्यवधान**)...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Now, I am not going to yield. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please, let us conclude. ...(*Interruptions*)... We are already running late.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The Election Commission decided that five per cent of EVM and VVPAT results would be compared. 16,000 machines of VVPATs have been matched. Not a single mismatch has come out. अब आप ही बताइए कि आपके पोलिंग एजेंट्स जब ईवीएम मशीन स्टार्ट करते हैं, तो उस समय उसको एक बार चैक करते हैं या नहीं करते हैं, वहाँ साइन करते हैं या नहीं करते हैं, सारे दिन के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद, जब हम उसे सील करते हैं, तब आप उस समय उसको चैक करते हैं या नहीं करते हैं, चैक करने

Contents Page

के बाद आप उस पर साइन करते हैं या नहीं करते हैं? पोलिंग एजेंट्स द्वारा यह सब कुछ करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि दस स्टेट्स में 2009 में for tampering, एक चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने दिया - No one could tamper with them. ...(*Interruptions*)... उसी तरीके से 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ईवीएम उनके ऑफिस में तीन दिन तक रखा हुआ है, and invited to hack them. ...(*Interruptions*)... Now, I am not yielding because I am speaking facts. They did not go; nobody went there. उसी तरीके से ईसीआई ने डिसाइड किया कि 2017 में election would be conducted using EVMs with VVPATs और हम वह उसके साथ कर रहे हैं। हम यह जो कहते हैं – आपके जमाने में क्या था, बैलेट बॉक्स था, आप लोग वापस बैलेट बॉक्स पर जाना चाहते हैं, हालाँकि इसको लाए भी आप ही हैं, लेकिन अब आप बैलेट बॉक्स पर वापस जाने की बात करते हैं। आप यह बात क्यों करते हैं, इसके बारे में सुरेन्द्र नागर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि कृपलानी जी के साथ बैलेट बॉक्स से क्या हुआ, हमारे बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के चुनाव में क्या हुआ। यदि हम इन्हें भी छोड़ दें, तो हमारे बी.बी. टंडन जी, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है कि वहाँ क्या हुआ। यदि उसे भी छोड़ दें, तो मैं तो बिहार के चुनाव देखता रहा हूं कि वहाँ पर बैलेट बॉक्स कैसे गायब होते थे, कैसे लाइटें बुझती थीं और कैसे बॉक्स के बॉक्स गायब हो जाते थे! हमने वह सब देखा है। क्या हम उसी लालटेन एज में जाना चाहते हैं या डिजिटल इंडिया में जाना चाहते हैं? इसीलिए ये जो बहाने हैं - कभी ईवीएम, कभी वीवीपैट, मुझे लगता है कि हमें इसमें से निकलना चाहिए। महोदय, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, since 2014, the Election Commission has not received a single suggestion for electoral reforms from the Congress Party. ...(*Interruptions*)...

श्री जयराम रमेशः यह गलत है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डाः मैं आगे पढ़ रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... They went to ECI and held press conferences but those were regarding election disputes, not electoral reforms. ...(*Interruptions*)...

श्री जयराम रमेशः यह गलत है। ...(**व्यवधान**)... ऑथेंटिकेट कीजिए।

श्री जगत प्रकाश नड्डाः आप करेक्ट कर दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)... आप इसको ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा, लेकिन मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस पर प्रश्न तो खड़े किए हैं, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पर एक भी मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है - यह भी हमें स्पष्ट पता है। ...(**व्यवधान**)... देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमें अपने रास्ते सुधारने चाहिए। अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचपन में हमारे कुछ विद्यार्थी साथी होते थे, वे पढ़ने में थोड़े कमज़ोर होते थे, वे परीक्षा आने से पहले ही हल्ला करने लगते थे कि यह टीचर हमारा विरोधी है। यह हमें मानता नहीं है। यह हमें फेल कर देगा। जब एग्ज़ामिनेशन होता था, तब वे कहते थे कि क्वेश्चन्स ही आउट ऑफ सिलेबस थे, हमें

तो टाइम ही नहीं दिया गया, हमसे तो पेपर ही पहले ले लिया गया, अंदर घुसने में भी हमारा एडमिट कार्ड फंसा दिया गया। आप लोगों ने यह सब देखा है न? यह होता है या नहीं होता है? आज हमारी फिसड्डी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी दृष्टि से यही सारे बहाने ढूँढ़ रही हैं। एक कहावत है - 'नाच न आवे, आंगन टेढ़ा।' एक कहावत है - A bad craftsman blames his tools. आपने कहा कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों नहीं रखा गया? जब से आज़ादी मिली है, तब से 73 वर्षों तक आपके प्रधान मंत्री जी ही एक फाइल पर साइन करके इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे। PM would send the file to the President और वह इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। 1989 में ईसीआई में मल्टी मेम्बर हुए, वह भी इसलिए हुए, क्योंकि आपके इलेक्शन कमिश्नर ने बात सुननी बंद कर दी, तो आपने इसे मल्टी मेम्बर संस्था बना दिया। चलिए, यह अच्छी बात है कि आपने इसे मल्टी मेम्बर संस्था बना दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए। उस समय कहा गया कि तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयरमैनशिप में काम चलेगा। लम्बी चर्चा के बाद 2023 में यह कानून बना। कौन हैं प्रधान मंत्री, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज 45 डेज़ के बाद ही क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हो? सर, बड़ी सिम्पल सी बात है कि किसी भी इलेक्शन के बाद उसके खिलाफ जिरह करने, अपील करने, कोर्ट में जाने की अवधि रिज़ल्ट निकलने के 45 दिन बाद तक ही होती है। आप 45 डेज़ के बाद किसी कोर्ट में किसी इलेक्शन पिटीशन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जब चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास उसका रिकॉर्ड रखने का क्या उद्देश्य है? लेकिन आपने ऐसा वातावरण बना दिया कि 45 डेज़ के बाद इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड नहीं रख रहा है, जैसे इलेक्शन कमीशन कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है या कुछ बहुत बड़ा छिपाने का प्रयास कर रहा है। जिस-जिस जगह पर इलेक्शन पिटीशन होती है, उसके रिकॉर्ड को सेव करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वे उसे पूरा करते हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। सर, इसे लेकर इलेक्शन कमीशन में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, It is not a constitutional document, it is an internal management. यह उनका इंटरनल मैनेजमेंट है। वे 45 डेज़ तक सीसीटीवी फुटेज रखते हैं और बाद में उसे डेस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इम्युनिटी क्यों दी? यह लॉ 2003 में बना। And, we have not increased the immunity. जो इम्युनिटी पहले दी गई थी, उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने तो भारत के पूर्व प्रधान मंत्री जी को बैक डेट से ही इम्युनिटी दे दी थी! इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शन को राज नारायण जी ने चैलेंज किया था। उसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट के फैसला देने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे। यह अलग बात है कि एक्सक्लूडिंग दि चीफ जस्टिस, आपने तीन सिटिंग जजों को सुपरसीड करके चौथे जज को चीफ जस्टिस बनाया और अपने पक्ष में फैसला करवाया। इसी पार्लियामेंट से आपने प्राइम मिनिस्टर को किसी भी कानून के तहत इम्युनिटी दिलाने का काम किया और वह भी बैक डेट से इम्युनिटी दिलाने का काम किया! आज आप इलेक्शन कमीशन की इम्युनिटी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं! You are questioning the immunity. मैं बताना चाहता हूँ कि यह इम्युनिटी the Representation of the People Act में ही दी हुई है, 2003 में दी है, आपने दी है।

Contents Page

मैं फिर कहूंगा और इस बात को आप ध्यान में रखें। आप 58 साल से तमिलनाडु में चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। आपके पांव, जो 58 साल पहले खिसके, वे वापस जमे नहीं। दिल्ली में आप 12 साल से सरकार में नहीं हैं। वैस्ट बंगाल में आप 48 साल से सरकार में नहीं हैं। बिहार में आप 35 साल से - मेरा तो बचपन बिहार में गुजरा है, वहां आपकी ही सरकार बनती थी। हमने देखा है और उस समय ज्वाइंट बिहार होता था। झारखंड अलग नहीं होता था। आप 200, 250, 300 सीट्स जीत कर आते थे। आप 35 साल से बिहार में नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में आप 35 साल से नहीं आए हैं। यह अलग बात है कि 35 साल बाद एक मुख्य मंत्री दोबारा मुख्य मंत्री बना है, तो वह भारतीय जनता पार्टी का बना है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप गुजरात में 35 साल से नहीं आए हैं। झारखंड में तो आप कभी अपने दम पर सरकार बना ही नहीं पाए हैं। ओडिशा में आप 25 साल से नहीं आए हैं। केरल में भी आप 2011 से बाहर हैं। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को समझिए। समस्या से इधर-उधर डायवर्ट होने से नतीजे नहीं आने वाले हैं। आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आप बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स पर पूरी लिस्ट भेजिए। मैं उनकी तरफ से वायदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनका पूरा cognizance लेगा और उसको पूरे तरीके से देखेगा। यह सब तब हुआ है, जब आपकी केंद्र में सरकार थी। हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए आज इस तरीके की बात कहना कि वोट चोरी, वोट चोरी और इस तरीके की बात को आगे बढ़ाना, यह उचित नहीं है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए।

अब देखिए, आपकी सीरियसनेस भी कैसी है। आपने धांधली का आरोप लगाया। 3 फरवरी, 2025 को आपने क्लेम किया कि लोक सभा में 70 लाख new voters were added. 7 फरवरी को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आंकड़े बदल करके उसको 29 लाख कर दिया। 9 जुलाई, 2025 को बिहार में 1 करोड़ नए वोटर्स add कर दिए गए, यह आपने कह दिया। कहां से ये आंकड़े लेकर आते हैं? ये कौन से आंकड़े होते हैं? मैंने आपके सामने जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े रखे हैं, वे पूरी जिम्मेवारी के साथ, फैक्ट्स के साथ दिए हैं। आप कौन से आंकड़े लेकर आते हैं, यह मुझे मालूम नहीं। उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। उसके बारे में देश को जानना चाहिए कि ये जिम्मेवार विपक्ष के नेता, जो कहीं एटम बम फोड़ते हैं, कहीं हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं और पता नहीं कि अब कोई न्यूक्लियर बम कब आएगा, लेकिन ये जो बम फोड़ते हैं, उनमें जो आंकड़े होते हैं, वे एक-दूसरे से ही नहीं मेल खाते हैं। इस तरीके की इनकी स्थिति बनती है। ...(**व्यवधान**)...

मैं एसआईआर के महत्व की बात कर रहा हूं और देरेक ओब्राईन जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 2002 में SIR was conducted last. And, in West Bengal, the increase in the number of registered voters is from 4.8 crores to 7.63 crores. Number one! Number two, Election Commission of India (ECI) data shows that top ten with highest increase in number of voter lists are nine districts bordering Bangladesh. यह विषय चुनाव जीतने और हारने का नहीं है। यह देश का विषय है। यह देश से संबंधित विषय है, जिसको हमको समझना चाहिए। The minimum increase in the number of voter list is 70 per cent. The highest percentage of increase is crossing 100 per cent. Uttar Dhinajpur has witnessed a highest spike of number of voter list, which is 105.49 per cent. In

Malda, it is followed by 94.8 per cent. In three districts, that is, Murshidabad, the increase is 87.65 per cent; in 24 Parganas, the increase is 83.30 percent and, in Jalpaiguri, the increase is 82.3 percent. In West Bengal, the total increase in percentage of a particular community is 7.5 per cent. अब मैं आपको यह इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि यह इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि नहीं होगा कि इसको डिलीट करें, डिटेक्ट करें और अगर जरूरत पड़ती है, तो डिपोर्ट भी करें? इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम ऐसी सीरियस बातों की चर्चा करें, तो उसको हम राजनीति से देख कर न करें, बल्कि उसको हमेशा इस बात को ध्यान में रख कर करें कि देश के लिए क्या आवश्यक है। मैंने तो आपके सामने आंकड़े रखे हैं। आप बताइए कि देश घुसपैठियों के वोट से चलेगा या देश के नागरिकों के वोट से चलेगा? अगर देश के नागरिकों के वोट के स्तर पर चलना है, तो देश में जो घुसपैठिए हैं, उनको चिह्नित करना, यह इलेक्शन कमीशन का काम है कि नहीं है? अगर यह इलेक्शन कमीशन का काम है, तो इसमें सुचारू रूप से सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए, तो हमको सामूहिक रूप में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि नहीं कि we support SIR? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए मित्रो, आप चाहते, तो ...(**व्यवधान**)... वह तो होगा, जो होना है। लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि वोट की शुद्धता में सहयोग करने में आप भी अपना योगदान करें, इतना मेरा आपसे निवेदन है।

आप इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आपने वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर कहा। अभी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता था। अभी आपने बिहार में 16 दिन की यात्रा की। 17 अगस्त को शुरू की और 1 सितंबर को समाप्त की। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर! हमारे विपक्ष के नेता, देश की प्रमुख पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने 25 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया, 115 से 125 विधान सभाओं का दौरा किया और 25 में से 21 जिलों में साफ हो गए और इनको मिली 6 सीटें! कितनी मिलीं? 6 और गठबंधन को टोटल 33 सीटें मिलीं। अभी संजय जी यहां थे, चले गए। कल वे चर्चा कर रहे थे। ...(**व्यवधान**)... नहीं, अखिलेश जी तो ठीक हैं। नहीं, नहीं, आप चलिए। महागठबंधन को 33 सीटें मिलीं। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में शक है, लोगों के मन में शक है, लोगों के मन में शक है। बिहार में लोगों के मन में शक नहीं है, लोगों ने आपका शक दूर कर दिया, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। जयराम जी, आप अपने नेतृत्व को समझाइए कि तान वही छेड़नी चाहिए, जिससे धुन निकले; तान वह नहीं छेड़नी चाहिए, जिससे नॉइज़ निकले, जिससे तकलीफ हो। इसलिए आप सोचिए, आप समझिए कि देश की आवश्यकता क्या है, देश क्या चाह रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा राग बजा रही है? कौन सा राग चला रही है? यह इर्रेलेवेंट हो रहा है।

मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में, पक्ष के नेता के रूप में और हाउस के नेता के रूप में मैं इस हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी बातों के लिए पूरे तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे

Contents Page

लिए दल बाद में है, देश पहले है। देश के लिए जो आवश्यक होगा, वह हम करने के लिए तैयार हैं। सर, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

3.00 P.M.

GOVERNMENT BILL

The Appropriation (No.4) Bill, 2025

MR. CHAIRMAN: The Appropriation (No.4) Bill, 2025; Shri Pankaj Chaudhary to move a motion for consideration of the Appropriation (No.4) Bill, 2025. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए। प्लीज़, आप बैठिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: Now, I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri G.C. Chandrashekhar.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Thank you, Sir, for giving the opportunity to speak on Supplementary Demand for Grants for financial year 2025-26. The first batch of financial year 2025-26 contained 72 Demands and one Appropriation.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

श्री उपसभापति: प्लीज़। सदन में शान्ति बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, कृपया आपस में बात नहीं करें।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, the Government has planned to spent Rs.50.65 lakh crores in this year with the extra additional allocation of Rs.1.32 lakh crores. Sir, I will start with a small poem of our great author, D.V. Gundappa of Karnataka.[&] "Mere writing does not grant true wisdom; to perceive the ultimate truth, one needs a

---

[&] English translation of the original speech delivered in Kannada.

Contents Page

different kind of vision. Long-entrenched attachments wrap and guard the mind like a shell."

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें। सदन में बहस चल रही है।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, the poet reminds us that words have meaning only when they are rooted in humanity. Poetry teaches us to feel the pain of ordinary people, not to just speak beautifully. Sir, this principle must guide governance also. When the Government needs additional Grant for its programme, it is just not about allocation more money on paper. Allocation is important. Yes! But, it decides how taxpayers' money is spent. But, what truly matters is that allocated money, at least, should reach 70 to 80 per cent of the people. Sir, unfortunately, the Central Government's allocation for popular programmes not even implemented 50 per cent due to non-release of the funds.

Sir, coming to Demand of Grants of Fertilisers Department: "The additional fertiliser grant that they have asked for today, even if it is double compared to the last 5 years, it is the truth that the Government is unable to satisfy the farmers of the entire country. They had sworn that under Atma Nirbhar (self-reliant), the Government would not import urea at all by 2025 and would produce it in our own country, but we all know that this is an outright untruth. The Government has failed to estimate the urea demand of the nation. Every year the farmers suffer due to this and farmers do not get the required amount of fertilizers. Today the import of fertilizer from China is more and the Government has failed to keep its promise of no fertilizer import."

Sir, for this Department, original Grant was Rs.1,56,502 crores. Additionally, they are asking for Rs.18.52 crores. Totally, it comes to Rs. 1,75,000 crores. Sir, though even extra money is allocated, there is shortfall. The Ministry is seeking an extra Rs. 5,244 crore for P&K fertilisers subsidies for the general category, along with Rs. 258 crore for imported P&K fertilisers under the PDPS component. This is the single largest additional funding request. However, it directly goes against the Standing Committee's recommendations, which had clearly called for increasing domestic production of P&K fertilisers and reducing dependence on imports. Sir, urea production has gone down from 314 LMT to 307 LMT, but the Government still claims that India will stop urea import by 2025.

The number clearly indicates the opposite, Sir. India's urea plants are old and worn out, with 27 out of 33 are older than 25 years. Yet, the Government has not

allocated a single rupee for upgrading fertiliser POCs. Sir, fertiliser subsidy has exploded from Rs. 80,000 crore just five years ago to Rs. 1.75 lakh crore today, primarily due to increased imports. There is no clarity or long-term solution from this Government. India remains heavily dependent on imported fertilisers, with all potash and prosthetic materials being imported, and 30-45 per cent of total P&K needs being met through imports. Urea imports remain high at 74-77 LMT annually. India continues to import a large share of its fertiliser requirements from countries like China, Canada, and others, contradicting the Government's *'Atmanirbhar'* slogan. The promise of zero imports has failed, and it is high time for the Government to realise this. For example, Karnataka has an annual fertiliser requirement of 49.9 lakh metric tonnes. We have made a *pucca* estimate. It is not like that after some time you are asking more or less. The State Government has estimated the exact requirement of 49.9 lakh metric tonnes. In August, 2025, Karnataka faced a shortage of around 3 lakh metric tonnes of urea. The crisis is severe. The farmers are continuously protesting. My friend, Shri Neeraj Dangi, just now told that even Rajasthan, very recently, on 7th of December, 2025, there was a long queue of around 2,500 people standing in the queues because only one vehicle of fertilizers had come and that had only 70 bags. That means, only 70 people will get fertilizer. What about other people? The same thing has happened in Karnataka also. There were big queues day in and day out. This Government has failed to supply the required fertilizer. But, the people are blaming the State Government. But, it was the failure of the Central Government. Sir, we make a proper estimate as to how much fertilizer is needed for next year. So, please ensure that, at least, in future, the farmers should not suffer. You know how to write off the money of the big corporate. But, you do not know how to supply the required fertilizer. This is not correct.

Next, I come to the allocations of the Health Department. "Sir, to the Health Department, it is good that additional allocation has been made. Whether it is Zero Hour or Special Mention, whenever the issue of health comes up, we talk about giving it importance, and our feeling is that health is important. The Health Department has not been able to provide essential services. Sir, through you. I would like to request the Government that a sum of rupees 1,00,00,000 should be given under MPLAD. We get money for construction and other such activities, but I believe ₹1,00,00,000 should be given to the treatment of the people. It would really be a great help. The Government is also collecting money from many sources in the form of tax and cess. But shouldn't we check if all that money is being spent on health?"

Sir, the National Health Policy, 2017, promised 2.5 per cent of GDP for health by 2025. But 2025 is ending and this Government has managed only 1.8 per cent per cent. Why has this Government failed to even come closer to their target of 2.5 per cent. What happened to their promise?

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA) *in the Chair.*]

Sir, if you take *Pradhan Mantri Swastha Suraksha Nidhi*, it is a very important and dedicated fund to the Health Department only. They created it in 2021. Let us see that what is happening in this. For example, in 2023-24, the Health Department, health and education cess collected was around Rs. 71,157 crores.

But the amount that is transferred to this account is only Rs.13,777 crores. Sir, four per cent health and education cess is collected by this Government. Out of which, have they remitted 25 per cent of the amount? No, Sir. This Government has transferred only 17 or 18 per cent of the amount. What happened to the rest of the money? Though they are collecting money by putting tax, they are not sending the same amount to the Health Department. From 2019-20 to 2023-24, the Government spent only 67 per cent of the money allocated for the *Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana*, which is commonly called as Ayushman Bharat. Sir, with such a little allocation, how States are suffering, let me give an example from my own State. "Under this Central Government scheme implemented in partnership with the State Government, a total of ₹7,239 crore has been spent over 5 years. In this, while ₹2,056.60 crore was released by the Centre, the remaining ₹5,183.19 crore was spent by the Karnataka State Government. According to the actual rules of the scheme, the Central Government should provide 60% and the State Government 40% of the grant. The number of people receiving treatment under the 'Ayushman Bharat-Arogya Karnataka' scheme in the State is increasing year by year. It was 8 lakh in 2020, and now in 2024 it has crossed 35 lakh." Only 8,00,000 people were there in 2024. Sir, now, it has reached 35 lakh people per year. Just imagine how much it has increased. "In five years, treatment has been provided for 1.09 crore cases. Under these circumstances, despite making several appeals to the Centre, there was no benefit, and the State Congress Government has been compelled to spend the State Government's funds." Is Health Department not important, Sir? Is that not their responsibility? Is this not even their promise? They should give it now, but they have not given. "Even though there are 1650 treatment packages under this scheme, private hospitals are not showing much interest because the rates are low. The poor people are unaware of these schemes and the hospitals don't even admit people

easily to these hospitals under these schemes." The Private Hospital Association has been asking the State Government to increase the treatment package rates. But, right now, if the rates are increased, the State Government will have to pay almost 90 per cent of the cost under this Scheme. Because of this high financial burden, the rate revision proposal has not been approved due to the same funding issue. Sir, *Ayushman Vaya Vandana* Scheme is very important. This gives insurance cover to people above 70 years. Above 70 year people, they get insurance cover under this. But they have not even started this Scheme. It is only remaining in name. Though it is a popular name, it is remaining in name. That is the point. One more pain, Sir, is, out of Fifteenth Finance Commission's grants to Karnataka, Health Department got a very negligible amount. That is, in 2022-23, we did not receive a single paisa, just imagine! Without money, how do we manage? In 2023-24, also, nothing, zero! That year also, nothing was given. In 2024-25, Rs.175 crores. Sir, even if we take Centrally sponsored schemes, -- Pralhad Joshiji you should listen to this -- in 2025-26, up to 19.8.2025, the Central Government has given only Rs.16.2 crores. Just imagine! This is the only amount they have given.

Sir, coming to Centrally Sponsored Schemes "Pralhad Joshiji, you come from our State, please do not leave. Listen to this. Please come and listen to this. He can't even listen to the issues of our State.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात सब लोग सुन रहे हैं। ... (**व्यवधान**)...

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, he is from our State. He is a senior Minister. That is why, I am speaking to him. Actually, they have to speak in the end. Because of him, I started speaking in the beginning itself. Let him understand. Okay. "The Central Government, after the budgetary allocation, manages the finances and runs the Government by taking an additional demand for grants for the shortage. This is one part, but for the State Governments that depend on the Central Government, if the Central Government does not provide supporting finance for the centrally sponsored schemes in the budget, how can those respective States be run?"

Sir, as an example for this, let me quote some promised and released allocation to some of the important, most-advertised, projects of the Central Government during this year. One of them is Rural Drinking Water. How important it is, you know that very well. They have sanctioned around Rs. 1,999 crores. But, so far, they have released only Rs. 570 crores. And for Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), they sanctioned Rs. 400 crores, but released zero, not even a single rupee

till now. Sir, for Swachh Bharat Mission (Urban), they sanctioned Rs. 300 crores but have not released a single rupee. Sir, then there is Old Age Pension. This is the most important thing. You know that very well. For this, Rs. 271 crores itself is very less but they have released not even a single rupee. For Swachh Bharat Mission (Rural), they sanctioned Rs. 215 crores but they have given Rs. 100 crores only. That is all. Sir, School Education is most important, as you know. Every State needs more money for education because every day, they are bringing new policies. To adopt those policies, we need more money. For that also, they have allocated Rs. 1,531 crores but released only Rs. 764 crores. Another Rs. 767 crores is remaining and only three months are left but they have not released it. Sir, take the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Our Prime Minister always speaks about rural India. Roads are most important to the nation. Even for small villages also, we need it. Even industrialists may not come there. Farmers also need roads. But, there also, they have not given a single rupee this year. Then there is Pradhan Mantri Awas Yojana. This is another most advertised scheme. This is very important. Under this scheme, in last three years, between 2022-23 and 2023-24, the Central Government did not allow any new housing targets to Karnataka. For 2024-25 however, 2,74,490 new houses have been sanctioned. Out of these, 4,843 houses have been completed and 29,795 houses are under various stages of construction. Sir, 2,39,582 houses are yet to be started. Only 12.62 per cent is completed. Just imagine how seriously the Central Government is taking it to give houses to poor people. You can see that. Before 2022, they promised that 'we will give houses to each and everyone, to all poor people.' That promise is still there. Till now, it is not completed.

Sir, next, I will come to the petroleum and natural gas. The Ministry of Petroleum and Natural Gas was originally allocated Rs. 19,000 crores, but it is now asking additionally Rs. 14,000 crores. The total is Rs. 34,000 crores. So, they are asking almost 80 per cent. The biggest part of this new demand is Rs. 12,000 crores to compensate PSU oil-marketing companies for LPG under-recoveries. But this raises a serious question. The Union Government had already approved Rs. 30,000 crores for the same purpose in August, 2025. Why is the Ministry coming back after a few months and asking for some more money? Sir, after 10 years in power, why the Government is still failing to correctly estimate this subsidy burden, I don't know! There is also confusion between the Ministry's justification and actual market data. The Cabinet note says, "International LPG price remained high." The reality is that the Saudi Contract Price, the global benchmark, fell sharply from over 600 dollars per metric ton to 506 dollars per metric ton between March and August, 2025. The first

batch of Supplementary Grants includes Rs. 3,178 crore for LPG connections for poor households and nearly Rs. 500 crores for SC/ST Development Plans, but to which household you are giving LPG, I don't know. Sir, in January, 2025, the Government issued an SOP to remove PMUY beneficiaries who had not taken even a single refill. As a result, 12,000 inactive PMUY connections were cancelled; another 8.49 lakh were removed for being inactive; and, by July, 2025, about 4 crore ghost beneficiaries were blocked or suspended. Despite offering subsidies for up to 12 refills a year under Ujjwala, the average household consumers are having less than 5 refills annually. We have to just think it over.

They gave 12, but why have they taken only five? Sir, this exposes the harsh truth that access to LPG on paper does not mean real access to the kitchen. This is most important.

Sir, the Minister, Shri Nitin Gadkari, has promised petrol at Rs. 55 per litre and diesel at Rs. 50 per litre with 20 per cent Ethanol blending. But, in 2025, the price of petrol is already touching Rs. 100 and that of diesel is touching Rs. 90. Why did they misguide the people? "This is not just the story of fuel. This is the story of the common citizen of this country, the story of a farmer, the story of a labourer, the story of all of us. In 10 years, the country's debt has tripled, crossing ₹186 lakh crore from ₹51.05 lakh crore, the value of the dollar has fallen, with ₹90 for one dollar, and the price of petrol in the country has crossed ₹100 per litre.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Please conclude.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: "Sir no one is talking about this, no media is talking about this, no industrialist is even mentioning it. And if someone talks about these issues, it becomes a crime. This is one part, but how has this Government worked in favour of the rich in the last 5 years, Public Sector Banks have written off a debt of ₹6.15 lakh crore. The majority of these loans are of big corporate companies, not of small farmers or common people. In 2020—21, banks wrote off ₹1.33 lakh crore. In 2021—22, ₹1.16 lakh crore and in 2022—23, ₹1.27 lakh crore worth of loans were written off. However if we look at how much money the banks have recovered from these corporate companies and big loan defaulters, only ₹1.65 lakh crore in 5 years - which is very little compared to the amount written off. Please think how you would answer to the poor people once they start asking about these issues, as it was mentioned In the morning by Shrimati Sonia Gandhiji. In the scheme for the poor, MGNREGA, a common person who gets a daily wage of ₹250—300 for labour, when

Contents Page

the poor ask for their labour wages, there are no funds. MSP is not given, the promise to give houses to everyone is not being talked about now, whereas support worth lakhs of crore rupees reaches big companies. Today morning, our colleague Kadadi ji was speaking, he mentioned that the State Government has not given the MSP. Kadadiji, It is not the State Government, It is the Central Government that should provide the MSP. Pralhad Joshi Ji is here; the other day, I spoke about the price for sugarcane to be fixed, it has to be done by the Central Government. Even Kharge Sahab mentioned this. It is the Central Government that has all the power and funds and they are shifting the responsibility on to the State Government. Please tell me what kind of justice is this?

According to statistics, even today, 25% of rural families are taking loans due to lack of money, on the other hand, corporate tax has been reduced from 30% to 22%, and to 15% for new manufacturing units. Now, a situation has been created where the common man has to bear all this burden on his shoulders and fight. This is the story of the suffering of a common citizen today. Today, a dangerous atmosphere has been created in the country. * Sir, this is not authority but its misuse. Expressing dissenting opinions has become a crime today. Attempts are being made to silence the voices of those who question. Election surveys have gone awry. This is not just the suffering of individuals, even though democracy is being harmed so much, we have to say that we are living in a democratic system."

Sir, with these words, I conclude my speech and urge the Central Government to give importance to effective implementation of popular and well-advertised policies and programmes for the benefit of everyone.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Shri Sanjay Seth; ten minutes.

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वित्त वर्ष, 2025-26 के सप्लीमेंटरी डिमांड ऑफ ग्रांट्स एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जहाँ पूरे विश्व में इस वक्त वैश्विक मंदी चल रही है, वहाँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था सारी चुनौतियों को पार करते हुए 8.2 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है। यह आंकड़ा केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम और सरकार की नीतियों की सफलता का एक प्रमाण है।

---

* Not recorded.

Contents Page

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हम अगले कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हमारे आगे केवल अमरीका, चीन और कोई और चौथे नंबर पर दूसरा देश होगा, लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था हम लोग ही होंगे।

सर, एक वक्त पर हमारा इन्फ्लेशन जनता की कमर तोड़ देता था, लेकिन आज हमारा यह जो कुशल वित्तीय प्रबंधन है, उसकी वजह से हमारी महँगाई की दर 2.72 प्रतिशत पर स्थिर है। हमने पिछले साल बहुत सारे साहसिक कार्य भी किए हैं, जिससे जहाँ एक ओर जनता को फायदा मिला है, वहीं दूसरी ओर मैन्युफेक्चरिंग और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। हमने अभी पिछले सितंबर में जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म किया है। इस रिफॉर्म से तहत जहाँ चार स्लैब्स थीं, हम लोगों ने उसे दो स्लैब्स पर सीमित कर दिया है। उन दो स्लैब्स के अलावा भी कई ऐसे आइटम्स थे, जो कि जनता की रोज की महत्वपूर्ण जरूरतों के थे, हमने उसमें से टैक्स को माफ कर दिया है। इससे यह फायदा हुआ है कि एक तरफ जहाँ जनता का पैसा बच रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग और जो एम्प्लॉयएमेंट है, वह बढ़ रही है। अगर आप देखें, तो पिछली सितंबर में ऑटोमोबाइल्स की जिस तरीके से सेल हुई है, वह आज तक की रिकॉर्ड सेल रही है और उस रिकॉर्ड को बनाने में जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ थीं, उनका यह कहना है कि वे उतनी सप्लाई नहीं कर पा रही थीं। जब इतने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसके साथ-साथ रोजगार भी बढ़ेंगे। हमारे देश के अंदर, इस वक्त जो अर्थव्यवस्था चल रही है, वह उसकी वजह से भी बढ़ रही है।

महोदय, इस वक्त हमारे बैंको की जो पोजिशन है, वह बहुत ही स्ट्रॉंग पोजिशन है। हमारे सभी बैंकों के अंदर एनपीए कम हो रहा है और इस वक्त हमारे बैंकों को रिकॉर्ड प्रॉफिट हो रहा है। वह पैसा, जो उनके पास है, वे उससे आगे लोन्स दे सकते हैं और हमारे यहाँ जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आदि हैं, उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं। हम उस तरीके की स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए जहाँ बैंकों को पूरे तरीके से अपना सपोर्ट दे रहे हैं, वहीं पर हमारे युवा लोग अब नौकरियों के पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि वे अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं और अपने यहाँ और लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं।

महोदय, जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसको देखकर कई बड़े देश घबरा रहे हैं और उसी घबराहट में वे हमारे ऊपर तरह-तरह की रोकथाम लगाने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से अमरीका द्वारा 50 परसेंट टैरिफ लगाया गया, उसे देखते हुए, हमने उस स्थिति को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में किया है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें उसके लिए स्वदेशी का नारा दिया कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे, तो हमारे अपने घर के अंदर ही सारा सामान बिकेगा और वह धन इसी देश के अंदर रह जाएगा।

महोदय, मैं अपने विपक्षी साथियों को यह बताना चाहता हूं कि उनके हिसाब से भारत की इकोनॉमी डैड इकोनॉमी है, लेकिन उन्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि यह डैड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि विश्व की सबसे फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बनकर निकल रही है।

आज हमारी आवाज़ विश्व पटल पर सुनी जाती है। आज हमारे साथ कई देश एफटीए साइन कर चुके हैं और आगे कई देश हमारे साथ एफटीए कर रहे हैं, जिससे हमारे निर्यात इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि पिछले नवम्बर में हमारे निर्यात में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सदन के पटल पर रखी हुई अनुपूरक माँगों की ओर दिलाना चाहता हूँ। अगर हम सप्लीमेंटरी ग्रांट की तरफ देखें, तो हमने केवल 1.32 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृति माँगी है, जिसमें से करीब 41,455 करोड़ रुपये वास्तविक धन माँगा गया है और बाकी 92 हजार करोड़ रुपये अपने विभागों की बचत से यूज़ किए जा रहे हैं। यह देखने वाली बात है कि इससे हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाई देता है कि हम सिर्फ 40 करोड़ रुपये से ही सारा काम चलाने में लगे हैं।

महोदय, कुछ प्रमुख क्षेत्रों में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमने इसमें किसानों के लिए फर्टिलाइज़र सब्सिडी का प्रावधान रखा है। अगर हमारा किसान तरक्की करता है, तो हमारा देश खुशहाल बनेगा। उसी को सीधा लाभ देने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि दी गई, एमएसपी के मूल्य बढ़ाए गए, दालों की खरीद में 7,350 प्रतिशत और तिलहन की खरीद में 1,500 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि की गई। इन ही प्रावधानों की वजह से हमारे यहाँ 357.3 मिलियन टन खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। मोदी जी के द्वारा निवेश के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, उसके लिए हमने इन अनुपूरक माँगों के माध्यम से 18,528 करोड़ रुपये की माँग रखी है। पूरे विश्व में यूक्रेन-रूस युद्ध की वजह से फर्टिलाइज़र के दाम बहुत बढ़ गए हैं। उसकी भरपाई करने के लिए और किसानों को सस्ते दामों पर फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराने के लिए, ताकि उन्हें पूरी क्षमता मिल सके, उसके लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा।

महोदय, आप ध्यान दें कि मोदी जी ने गैस की एक योजना चलाई थी, जिसमें गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिए गए थे। उसका बहुत फायदा मिल रहा है। महिलाओं की बहुत दुआएं मिल रही हैं। उनकी आँखों की रोशनी बच रही है। पहले उन्हें धुएं से दमा हो जाता था, उससे अब बचाव हो रहा है। इसलिए इन अनुपूरक माँगों में करीब 9,500 करोड़ रुपये पेट्रोलियम मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं, जो कि एलपीजी गैस के लिए उपयोग किए जाएंगे। हमने जेएंडके तथा लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए 3,028 करोड़ रुपये की माँग की है। धारा 370 हटने के बाद लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में जो तरक्की हो रही है, उसमें लद्दाख के लिए 2,688 करोड़ रुपये और जम्मू-कश्मीर के लिए 340 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। हम इसके माध्यम से विदेश मंत्रालय को भी करीब 1,226 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जिससे भारत की वैश्विक छवि और कूटनीतिक पहुंच को मजबूत किया जा सके। हमने इसमें शिक्षा के लिए भी धन दिया है, क्योंकि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने इसमें उच्च शिक्षा के लिए 1,303 करोड़ रुपये दिए हैं।

महोदय, ये अनुपूरक माँगें केवल धन का आवंटन नहीं हैं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। यह बजट आत्मनिर्भरता का बजट है, यह बजट

गरीब कल्याण का है, यह बजट नवाचार और युवाओं का है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ से आगे का रास्ता केवल और केवल उत्कर्ष का है। मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन अनुदान माँगों का सर्वसम्मति से समर्थन करें, ताकि विकास की यह अविरल धारा बिना किसी बाधा के बहती रहे।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Shri Mohammed Nadimul Haque. You have six minutes.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. On behalf of my Party, All India Trinamool Congress, I would like to share with the House three poems by Gurudev Rabindranath Tagore to tell what this Government has missed in this Appropriation Bill.

Sir, I will start with the first poem, 'Where the Man is Without Fear'. The poem talks about how citizens will live without fear of the Government bulldozing on their rights and hurting their dignity. Are the citizens living without this fear? On the other hand, what do we see? This Bill has no money for MNREGA. This Bill has no money for the dues owed to the State of West Bengal, which are as follows: Rs. 52,000 crores under MNREGA, Rs. 43,500 crores under various Disaster Relief Funds, Rs. 19,000 crore under Samagra Shiksha Abhiyan and more than Rs. 2,500 crores under Jal Jeevan Mission. In total, over Rs. 2,00,000 crore are due to the State of West Bengal under different schemes. How can we say the dignity of the people has not been hurt by this Government? How can we talk about rights not being neglected when the *zamindars* have such a Bangla-virodhi mindset? In answer to the questions asked by us, they have not given any timelines for the resumption of MNREGA. They have committed contempt of court. They have disobeyed the orders passed by the High Court and the Supreme Court.

Sir, the next poem is 'Dui Bigha Jomi'. The poem talks about the plight of a marginalized farmer, who lost his two *bighas* of ancestral lands to the *zamindars*. Today, the *zamindars* -- I need not say who the *zamindars* are, everybody knows -- have led the country to such a situation that nearly 30 farmers are committing suicide daily. An agricultural labourer earns only about Rs. 266 per day, yet zero amount has been given in this Bill for them. In fact, this Government has given fertile land of our farmers to big corporate houses for very few rupees. At one or two rupee rate, hundreds of acres of land have been given to them. Do not forget that nearly half of the workforce is engaged in agriculture. Sir, they have failed our *Annadatas*, they

have failed to even double their income. However, learn from Bengal. We have not only doubled but tripled the farmers' income.

I would like to conclude with the third poem 'Ekla Chalo Re'. The poem has a line, and, I quote, "If they answer not to thy call, walk alone." That is what is happening with the *zamindars* calling Bangla language Bangladeshi. ...(*Interruptions*)... This is what has happened with ... ...(*Interruptions*)... You may not take the responsibility but our leader, Mamata Banerjee, will stand by the Maa, Mati, Manush. In this Appropriation Bill, the Ministry of Home Affairs has got more than half of the entire annual Budget. However, I want to ask where is this money going? Is it really going towards national security? The Home Minister does not own up to the failure in securing the borders. He shifts the blame on the West Bengal Government. The reality is different from what he claims. The responsibility to safeguard the border lies with him. In fact, in 2021, the BSF's jurisdiction was expanded from 15 kms. to 50 kms. including in West Bengal. The poem 'Ekla Chalo Re' resembles the state of youth in this country. One in three youth is not in employment, education or training, with women comprising an overwhelming nine out of ten amongst them.

The youth unemployment rate is at 15 per cent between April and October, 2025. The situation is even far worse for the young urban women, as one out of every four is unemployed. The much advertised PM Internship Scheme has also failed. Only 4 per cent of the applicants who applied for the internships are actually interning. For the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, this figure stands at just 1.4 per cent. Sir, BJP may try to deprive Bengal by holding our dues, calling us Bangladeshi and turning national security into a slogan, but, as I said, 'Bengal will walk alone' to protect its people, its language, its composite culture and the Constitution. 'Bengal will not stop'. Vande Mataram! Jai Hind! Jai Bangla!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The next speaker is Shri S.R. Sivalingam. It is his maiden speech. He will speak in Tamil.

SHRI S.R. SIVALINGAM (Tamil Nadu): [&] Mr. Vice-Chairman, Sir, I respectfully greet you. I sincerely thank you for permitting me to deliver my maiden speech in Parliament and also for giving me the opportunity to participate in the discussion on the *Appropriation Bill, 2025*. I offer my salutations to my mother tongue, Tamil, a classical language. At this moment, I reverentially salute *Pagutharivu Pagalavan Thanthai Periyar*, the morning star of rationalism, *Perarignar Anna*, our guiding light on the path

---

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

of social justice, and *Muthamizh Aringar Dr. Kalaignar*, former Chief Minister of Tamil Nadu, a great scholar of Tamil literature, who pioneered the call for State autonomy so that the various nationalities within the Union of India do not lose their rights. I also convey my salutation to Shri Muthuvel Karunanidhi Stalin, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, and leader of our party, the historic Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), a mighty movement that is the pride of eight crore Tamils. He is also the head of our family, the hero of Dravidian movement. He is the pioneering Chief Minister in the entire country, carrying forward the tradition of "Dravidian Model" of governance, the symbol of hope for the Tamil Diaspora. I was born in a remote village by name Adhikaripatti (Udayapatti) of Salem District as a common man. I was not familiar then. But, I have now become popular as a proud member of this august House. It has become possible because of our leader, Shri M.K. Stalin. I submit crores of gratitude to him for sending me to Parliament of India, the pillar of Indian democracy. I also thank Shri Udhayanidhi Stalin, the hon. Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, who is carrying forward the legacy of the Dravidian movement in future, and Shri Tiruchi Siva, hon. Member and leader of the DMK Parliamentary Party in the Rajya Sabha. I am elated to begin my speech after placing on record my boundless gratitude to all of them.

Mr. Vice Chairman Sir, I am neither a University Graduate nor a landlord nor a wealthy individual. I am merely an ordinary cadre of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), a mass movement that stands as a protective fortress for the Tamil language and Tamil identity. My only qualification is my unwavering commitment, loyalty, and selfless hard work for my movement and for my leadership. Our leader has risen to such a high stature due to his indefatigable hard work. I equate him with my breath. It is because of my dedication that my leader has acknowledged my hard work and has sent me to this august House. I wish to place my record here that I, Mr. Sivalingam, shall remain grateful and indebted to such a noble leader for my entire life.

Sir, in a federal country like India, the Union Budget is not merely a book of accounts. It is a document that reflects the political vision of the Government regarding equitable development. Through this speech, I wish to place on record not only the concerns of the people of our State, but also the broader demand for financial justice for all States within our federal structure.

Sir, due to the flawed economic policies of the Union Government for the past ten years, India's household savings rate has fallen from 23.6% of GDP to 15.1%. Families once relied on fixed deposits and small savings schemes. Now, they are

struggling to meet even their daily expenses. With shrinking employment opportunities and rising costs of living, people are being forced to take loans just to manage basic necessities. The taxes paid by the people of India in good faith should be used to generate employment and strengthen the economy. Instead, there is an emergence of rising unemployment and financial distress only. As per the data on December 2024, India's unemployment rate has risen to 8.33%, posing a serious threat to the future of Indian youth. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), the lifeline of rural employment, is facing a severe crisis due to inadequate fund allocation. Funds allocated are far below actual demand, pushing rural workers into financial hardship. Wages for 100-day scheme workers are being delayed. The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, which provides employment to over 12 crore people and contributes nearly 30% of India's GDP, continues to be largely neglected.

Sir, in order to economically weaken the States ruled by opposition parties, the Union Government is deliberately withholding funds due for them. Several States, including Tamil Nadu, are forced to face immense financial stress due to delays and reductions in tax devolution, GST compensation, and centrally sponsored scheme funds. The Union Government's unfair fiscal distribution policies and stringent conditions attached to release of funds, undermine State autonomy. They adversely affect administration and economic stability of the States. It shows that the Union Government prioritizes centralized political control rather than strengthening cooperative federalism, an approach that goes against the very spirit of the rights of the States, which is the lifeline of the Constitution of India.

Sir, under the leadership of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, the Dravidian Model of governance has significantly contributed to India's GDP by strengthening industrial infrastructure and by efficiently implementing social welfare schemes across sectors. Yet, the Union Government's stance on fund allocation gives the impression that Tamil Nadu is being penalised for its success. Even the present Supplementary Demands for grants reflect the denial of legitimate rights and expectations of States like Tamil Nadu that contribute substantially to national revenue. Despite being a model State for social justice, federal rights, and inclusive development, Tamil Nadu's share in Central tax devolution has been steadily reduced. Under the 15th Finance Commission, Tamil Nadu's share has been reduced to a mere 4.79%. This has increased financial strain and has created serious challenges even in implementing disaster relief measures. Tamil Nadu, with an 82% literacy rate and a Gross Enrolment Ratio of 51.44% in higher education, stands

Contents Page

among the leading States in educational development. Yet, for refusing to adopt the flawed National Education Policy 2020, the Union Government has withheld more than ₹2,000 crore due under the Samagra Shiksha Abhiyan. This has severely affected the implementation of the Right to Education Act, 2009. Although ₹1,28,690 crore has been allocated for education sector this year—13% higher than last year's revised estimate—Tamil Nadu continues to be discriminated against. This clearly exposes the reality that a State's educational progress is punished if it does not align with the Union Government's political agenda.

Sir, Supplementary Demands for Grants usually arise due to unforeseen expenditures, new schemes, or disasters not anticipated in the Budget. Over the past decade, Tamil Nadu has been repeatedly hit by cyclones such as Nivar, Vardah, Ockhi, and Michaung, causing massive loss of lives, and damage to property, crops, and infrastructure. The Tamil Nadu Government requested ₹24,679.7 crore as disaster relief from the Union Government. However, over the last ten years, only ₹4,136 crore—just 17% of the requested amount—has been released.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया आप conclude कीजिए।

SHRI S.R. SIVALINGAM: [&]Sir, Railways occupy a significant place in Public Transport system. There is also clear discrimination in Railway Budget allocations. Southern Railway has consistently received far less funding compared to other zones. The Union BJP Government has continued to neglect Tamil Nadu in the approval of Metro Rail projects. Chennai Metro Rail project is an iconic symbol of urban infrastructure development. It is performing high speed transportation. Despite repeated demands, funds for Phase II of the Chennai Metro Rail project, have not been released. While several States are being encouraged to propose metro rail systems, detailed project reports submitted by Tamil Nadu for Metro Rail services in Coimbatore and Madurai have been rejected citing population criteria. Coimbatore is the "Manchester" of South India. Madurai is a temple city. A detailed project report for Coimbatore Metro Rail Service covering a distance of 39 km at an estimated cost of ₹10,740 crore, and for Madurai Metro Rail Service covering a distance of 32 km at an estimated cost of ₹11,368 crore, was sent to the Union Government during February, 2024.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया आप समाप्त कीजिए।

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

SHRI S.R. SIVALINGAM: [&] Sir, Tamil Nadu remains one of the largest contributors to national revenue. In 2024—25, the State's Gross State Domestic Product crossed ₹17 lakh crore, registering a growth rate of over 11.19%, making it the only State to achieve double-digit growth—driven by progress in education, healthcare, industrial development and welfare schemes under the leadership of DMK Government. Therefore, Sir, Tamil Nadu does not plead from anyone. We only ask for what is rightfully due to us, for the sake of the nation and as per the principles of federalism."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Now, Shri S Niranjan Reddy.

SHRI S NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the time for considering the Demand for Supplementary Grants is a good time to introspect and review. We started the year with the Budget which gave a huge income tax exemption. We are coming close to the end of the year. The Government reduced GST. These two have resulted in a huge consumer demand and growth. The RBI Governor, Shri Sanjay Malhotra, said that India is experiencing a rare 'Goldilocks period'. We are projected to grow at seven per cent and we are having a low inflation of two per cent. While we have seven per cent growth, the hon. Finance Minister may need to bestow attention on one important issue. Seven per cent growth is because inflation is low. So, in terms of real growth, we are doing better than last year. But in relation to nominal growth, which is the growth year-on-year, we seem to be lagging behind one year.

4.00 P.M.

So, while this is a cause for cheer and a cause to be happy, it is also a cause to be wary and watchful because we do not want the nominal growth to reduce in any manner. Out of Rs.1.32 lakh crore additional expenditure that is sought in this Supplementary Grant, the net outgo is Rs.41,455 crores. I want to focus on one Ministry which is taking a huge chunk of this Rs.41,455 crores. It is additionally to be borne, that is, Rs.31,066 crores is sought by Department of Fertilizers. We understand that we are in a very piquant situation where we are dependent on imports and subsidies in relation to the fertilizer but I do not see a long-term plan that India has in relation to reducing the fiscal burden because of our subsidies and import of fertilizer. What we also see that the agricultural policies, where we are providing Minimum Support Price for crops, in the longer run and on a worldwide parameter, the demand is reducing. There is a reducing demand for cereals in the world. Wheat and rice demand worldwide is going down. We have a country like China, which is a

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

Contents Page

neighbouring country and which is skewing its agricultural policies to focus on high remunerative crops and it is reducing its reliance on low remunerative crops. So, it is exporting high remunerative crops and it is importing crops which can be imported at a cheaper cost. We need to focus because we are very vulnerably placed in relation to the fertilizer subsidy and we have to take care of our farmers' interests. I want the Government to have a long-term plan. Some of the measures, which have been advocated by Niti Aayog and also various agricultural experts, are to start improving targeting and delivery mechanism. Today, the fertilizers are subsidized across the board. For instance, there are several rich farmers. I would say, I have a fairly large agricultural holding. If I buy fertilizers in the market, I get the same subsidy that a poor deserving farmer should get. There has to be a targeted and improved delivery mechanism where it is only the deserving poorer sections of the farmers who must be granted the subsidy by Direct Benefit Transfer mechanism. The Government can use technology of DBT. It can look at Artificial Intelligence for the purpose of actually verifying if subsidy that can be claimed -- if there is going to be a targeted delivery — is something that the farmer is eligible to in terms of the crops that he says he is growing and the subsidy that he seeks. Another very important issue is linking fertilizer policy and water use efficiency. We are seeing that rice is being increasingly grown. I represent the State of Andhra Pradesh. It has been traditionally a rice-growing State. But I have seen in the neighboring State, again where I lived for a large part of my life, in Telangana, we have converted to a rice-growing State from what we were not. Now, this means increased water consumption, increased water drawing from the water table, increased fertilizer use, increased percolation of chemicals and fertilizers into the groundwater. This may work for 20 years. Parties in position and power today can get votes because they are giving Minimum Support Prices and giving these subsidies but they need to have a 30, 40, 50 year vision where this is going to be destructive of Indian ecology, Indian agricultural crop patterns and also long-term implications for the economy.

Lastly, Sir, we need to have a policy for rising chemical dependence because of this fertilizer subsidy that is being freely granted. I think, all political parties need to move out of this vote bank politics to see what is to be done. There has to be a graded mechanism. We all can agree on certain policy where in the longer run we would be able to reduce this chemical and fertilizer dependency. We have done this with the pension scheme. We can do it with agriculture and fertilizer. Import and subsidy that is actually draining away money, that could be used for education and health and for poor people.

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next is, Shri Muzibulla Khan. You have six minutes.

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं खास तौर पर ओडिशा के बारे में अपना मत रखना चाहता हूं। ओडिशा को आगे ले जाने के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, मेरा मानना है कि ओडिशा के प्रति न्याय नहीं किया गया है। कोई भी क्षेत्र हो, खासकर industrial growth के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं, लेकिन ओडिशा में नई इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं। इसके लिए ओडिशा बहुत जूझ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि बहुत सी जगहों पर फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिल रहा है। महोदय, फॉरेस्ट क्लीयरेंस न मिलने की वजह से नई इंडस्ट्रीज़ आगे नहीं आ पा रही हैं, काम जल्दी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ओडिशा की economical condition प्रभावित हो रही है। खासकर रेलवे कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की हमारे यहां काफी डिमांड आई है। विशेष रूप से पुरी में एक नया एयरपोर्ट बनाने की मांग है। जो अन्य एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें उड़ान स्कीम के तहत विमान सेवाएँ चल रही हैं, उनके एक्सटेंशन की भी कई जगहों से मांग आई है, लेकिन वह भी ठीक तरह से पूरी नहीं हो पा रही है।

यदि मेट्रो की बात करूँ, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने ...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप विषय पर बोलिए।

श्री मुजीबुल्ला खान: भुवनेश्वर से कटक तक मेट्रो बनाने के लिए बजट में कुछ प्रावधान किए थे तथा केंद्र सरकार से भी सहयोग का अनुरोध किया था, ताकि ओडिशा में मेट्रो कनेक्टिविटी की शुरुआत हो सके। उसका फाउंडेशन भी हो चुका था, लेकिन अब तक वह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए भी बजट में कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। अभी पुरी से कटक तक मेट्रो के एक्सटेंशन की भी बात की जा रही है।

महोदय, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ, तो बजट में जो प्रावधान आए हैं, उनमें मेरा मानना है कि ओडिशा के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ खास नहीं हुआ है। जो किसान अपनी फसल उगाता है, उसे अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए बहुत जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ओडिशा में बहुत कम कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध हैं। ओडिशा में एग्रीकल्वर डिपार्टमेंट की ओर से अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेज बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि किसानों की फसल नष्ट न हो और ओडिशा की economical condition बेहतर हो सके।

महोदय, शिक्षा क्षेत्र की बात करूँ तो ओडिशा में यूनिवर्सिटीज़ की बहुत आवश्यकता है। हमारे कोरापुट में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। इसके बारे में हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स की कमी के कारण वह यूनिवर्सिटी अभी ठीक से संचालित नहीं हो पा रही है। अब तक वहाँ पर्याप्त फैकल्टी मेंबर्स क्यों नहीं दिए गए और इसके

Contents Page

लिए बजट में अलग से प्रावधान क्यों नहीं किया गया, यह एक गंभीर प्रश्न है। इसी कारण ओडिशा के लोग बहुत दुखी हैं।

महोदय, ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां कोयला, आयरन, एल्युमिनियम आदि खनिज पदार्थ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन खनिजों से सबसे बड़ा शेयर केंद्र सरकार को भी मिलता है, लेकिन जब बजट में ओडिशा के हिस्से की बात आती है, तो उतना शेयर ओडिशा को नहीं मिल पाता। यह अत्यंत दुखद है, क्योंकि ओडिशा एक natural calamities से प्रभावित राज्य है। अन्य राज्यों में भी natural calamities होती हैं, लेकिन ओडिशा में हम हर समय cyclones और floods जैसी आपदाओं से जूझते रहते हैं। ओडिशा के कम से कम दस जिले - गंजाम, गजपति, खुर्दा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक - हर साल साइक्लोन से प्रभावित होते हैं।

जब cyclone आता है, तो केन्द्र सरकार की तरफ से थोड़ी हेल्प की जाती है। यह सब न करके एक स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए, स्पेशल पैकेज देना चाहिए, cyclone से बचने के लिए अलग से कानून बनाना चाहिए या बजट में कुछ फंडिंग करनी चाहिए, ताकि हम लोगों को cyclone से छुटकारा मिल सके। विशेषकर मैं KBK जिला से आता हूं, इसलिए मैं KBK जिला के बारे में बोलूंगा। अभी तक KBK जिला में Vande Bharat train नहीं पहुंची है, लेकिन विशाखापत्तनम तक Vande Bharat train आ गई है। बहुत-से लोगों की demand है कि Vande Bharat train अराकू से होकर Koraput तक जाए, तो बहुत अच्छा होगा। हमारे ओडिशा के अभी जो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने भी एक सभा में वादा किया है कि Koraput जिला तक Vande Bharat train पहुंचेगी। मैं अनुरोध करूंगा कि Vande Bharat train को लाने के लिए भी कोशिश की जाए और KBK जिला के लिए special funding की जाए। पहले जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, KBK जिला था, तो Central Government उसकी फंडिंग करती थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप संक्षिप्त कीजिए।

श्री मुजीबुल्ला खानः लेकिन आज KBK जिला की फंडिंग को बंद कर दिया गया। ...(**समय की घंटी**)... ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद, मुजीबुल्ला जी। आपकी बात आ गई है।

श्री मुजीबुल्ला खानः मैं फिर से KBK जिला की फंडिंग को देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next speaker is Shri A. A. Rahim; not present. Now Shri Ramji. You have three minutes.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे the Appropriation (No.4) Bill, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुख्य आदरणीय कुमारी बहन मायावती का भी आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा तीन मिनट में करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ points पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब सरकार विकसित भारत की सोच को लेकर आगे चल रही है, तो मेरा यह कहना है कि विकसित भारत तभी संभव है, जब हर स्तर पर शिक्षा विकसित की जाए। आज भी तमाम जगहों पर देखने को मिलता है कि शिक्षा और स्कूल गरीबों से काफी दूर हैं। मैं दिल्ली के अंदर भी दावे के साथ कह सकता हूं कि कई जगहों पर मैं खुद गया, जहां पर मलिन बस्तियां हैं, जहां पर वाल्मीकि बस्तियां हैं, वहां पर तमाम बच्चों को आज भी शिक्षा नहीं मिल रही है। अभी एक रिपोर्ट में कहा गया कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : हमारा जो बिल का विषय है, आप उस पर बोलिए।

श्री रामजी: सर, मैं विषय पर ही आ रहा हूं। आज 65 लाख बच्चे शिक्षा से दूर हैं, तो विकसित भारत कैसे बन सकता है! तमाम ऐसे SC/ST के बच्चे हैं, जिनको scholarship नहीं मिल रही है। मैं सरकार से कहूंगा कि उसके लिए बजट बढ़ाएं। स्कूलों का बजट बढ़ाएं, ताकि ज्यादा स्कूल खुल सकें। आज आम लोगों में चर्चा है कि शराब के ठेके तो गली-गली हैं, लेकिन स्कूल कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। हर स्तर पर आप देश विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा।

मान्यवर, इसके साथ ही किसान के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने fertilizers के ऊपर 5 परसेंट GST कर दिया, वह एक सराहनीय कदम है। फर्टिलाइज़र सस्ती हुई, लेकिन आज भी कोई भी फसल बिना pesticides, insecticides और herbicides के संभव नहीं है। जब से herbicides, pesticides, insecticides की बड़ी-बड़ी multi-national companies आ गईं, इनको duopoly है और नया-नया salt लेकर आती हैं और उनके ऊपर 18 परसेंट GST लगाती हैं और उनके मनमाने दाम होते हैं। उनकी दवाइयां एक एकड़ में 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार की पड़ती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उसकी जीएसटी 18 परसेंट से हटाकर 5 परसेंट तक लाई जाए, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ जाए और किसान खुशहाल हो सकें। किसान की लागत नहीं आ रही है। किसान हर तरह के मौसम को झेलता है, किसान हर तरह की दिक्कतों को झेलता है, लेकिन last में उसको लगता है कि जितना बचना चाहिए, उतना नहीं बचता है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार इन पर भी ध्यान दे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): Next speaker is Dr. Sikander Kumar. You have ten minutes.

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे the Appropriation (No.4) Bill, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, यह जो the Appropriation (No.4) Bill वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी द्वारा सदन में प्रस्तावित की गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

Contents Page

मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम पिछले एक दशक को देखें, तो पिछले एक दशक में हमारे देश में inclusive और sustainable विकास हुआ है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग का संतुलित विकास हुआ है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है, तो वह हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को जाता है।

महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 में अनुदान की अनुपूरक माँग के पहले भाग में 72 अनुदान और एक विनियोग शामिल है, जिसका कुल योग 1,32,268.85 करोड़ रुपये है। इसमें 31 per cent शुद्ध नगद व्यय, अतिरिक्त व्यय शामिल है, जबकि 69 per cent भाग मंत्रालयों, विभागों की बचत या बढ़ी हुई वसूली, प्राप्तियों के माध्यम से पूरा किया जाना है।

महोदय, ये अनुपूरक माँगें, जो वित्त मंत्रालय ने रखी हैं, ये हमारे कुछ विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों की जो विकासात्मक योजनाएँ चलाई गई हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हैं और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हैं, इसलिए जो माँग माननीया वित्त मंत्री जी ने रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार के उस दृष्टिकोण की सराहना करना चाहता हूं, जिसने पिछले एक दशक में भारत की विकास गाथा को नई दिशा और गति प्रदान की है। आज जब हम अनुदान की माँगों और उनके औचित्य पर चर्चा कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम यह भी समझें कि मोदी सरकार ने किस प्रकार सीमित संसाधनों के बावजूद आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और विकास के समन्वित मॉडल को हमारे देश में स्थापित किया है।

महोदय, 2014 के बाद से भारत ने reform, perform और transform के मंत्र को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप Ease of Doing Business Index में भारत 142वें स्थान से आगे बढ़कर 63वें स्थान पर पहुँचा। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत 4.2 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर मिले, 'स्वच्छ भारत मिशन' से 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने, जिससे स्वास्थ्य और गरिमा, दोनों में सुधार हुआ। महोदय, 'डिजिटल इंडिया अभियान' के तहत 90 परसेंट सरकारी सेवाएँ online उपलब्ध हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूज़र देश है। 'गतिशक्ति योजना' और 'पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान' के माध्यम से 100 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ भी शुरू हुई हैं।

महोदय, अगर मैं आर्थिक विकास के बारे में कुछ कहूँ, तो भारत आज विश्व की जहाँ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले 2027 वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, वह संकल्प हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने लिया है। महोदय, आज 2025 में हमारा GDP growth rate लगभग 8 प्रतिशत से अधिक है, जो कि G-20 देशों में सबसे ज्यादा है। यह एक बहुत बड़ी बात है। FDI, यानी Foreign Direct Investment 2014 से लेकर अभी तक 950 billion dollars से अधिक पहुँचा है। इसमें 65 प्रतिशत से अधिक निवेश manufacturing और infrastructure में किया गया है। Make In India, Startups India और 'पीएम गतिशक्ति योजना' ने मिलकर भारत को निवेशकों का सबसे पसंदीदा देश बनाया है।

महोदय, 2024 में कृषि क्षेत्र में 300 million ton से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मान्यवर, अगर हम वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन, यानी financial management की बात करें, तो मोदी सरकार का सबसे बड़ा योगदान वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित करना रहा है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से अब तक 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे हैं, जिसके अंतर्गत 2.75 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। यह वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा और सफल अभियान रहा। जीएसटी ने वन नेशन, वन टैक्स की संकल्पना को साकार किया, जिससे कर संग्रह में वृद्धि हुई और भ्रष्टाचार में कमी आई। जहाँ पहले जीएसटी के चार स्लैब्स थे, वहाँ अब उन्हें घटाकर दो किया गया है - पाँच परसेंट और 18 परसेंट। लगभग 99 परसेंट प्रोडक्ट्स को 12 परसेंट की दर से घटाकर पाँच परसेंट की दर में लाया गया है और 90 परसेंट प्रोडक्ट्स को 28 परसेंट की दर से 18 परसेंट की दर में लाया गया है। हमारा देश वन नेशन, वन टैक्स की ओर आगे बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा और फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखते हुए सरकार ने सामाजिक योजनाओं और पूँजीगत व्यय - दोनों में संतुलन बनाए रखा। जहाँ 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट 5.4 परसेंट था, वह घटकर 4.9 परसेंट रह गया है। रेवेन्यू डेफिसिट 1.9 परसेंट से घटकर 1.5 परसेंट ऑफ जीडीपी हो गया है। प्राइमरी डेफिसिट 1.3 परसेंट से घटकर 0.8 परसेंट ऑफ जीडीपी हो गया है। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्रीय इंडिकेशन है।

महोदय, अगर मैं सामाजिक और मानवीय विकास की बात करूँ, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया। महिला सशक्तीकरण योजनाएं - उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना से आठ करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ मिला। महोदय, प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत की क्रांति को गति प्रदान कर रहा है। यह रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। एमएसएमई उद्यमियों को 52.37 करोड़ मुद्रा ऋणों के माध्यम से 33,65,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पंजीकृत एमएसएमई में 38 परसेंट महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई हैं, जो बढ़ती नारी शक्ति को रेखांकित करते हैं। ये अनुदान कुशल श्रम शक्ति के सृजन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और राष्ट्र की जनसंख्या के लाभांश को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

महोदय, आज भारत आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग के रास्ते पर अग्रसर है। अनुदान की माँग केवल खर्च नहीं, बल्कि भविष्य का निवेश है। यह नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। मोदी सरकार के अनुशासन, सुशासन, वित्तीय अनुशासन और विकास की दृष्टि ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही नीति और नीयत से भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। वित्त मंत्री ने अनुपूरक माँगों का जो प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं पुनः उसका समर्थन

करते हुए और आप सबसे इसका समर्थन करने की अपील के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत- बहुत धन्यवाद। आपने समय पर समाप्त किया। माननीय सदस्य, श्री प्रकाश चिक बाराईक। आपके पास पाँच मिनट का समय है।

श्री प्रकाश चिक बाराईक (पश्चिमी बंगाल)**:** महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। महोदय, मैं अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस की ओर से यह बताना चाहता हूँ कि इस सरकार की अनुपूरक अनुदान की माँग किस प्रकार की हैं, यह माँ के साथ [£] माटी के साथ अन्याय और मनुष्य को अधिकारों से वंचित करने वाली हैं। महोदय, मैं "माँ" शब्द से शुरुआत करना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय को 2,600 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 400 करोड़ रुपये पुलिस को दिए गए। लेकिन इसका लाभ क्या है? जो दिल्ली पुलिस देश की राजधानी एवं महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पा रही है, उसे 400 करोड़ रुपये देने से क्या हासिल हुआ? सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध दर सबसे अधिक है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश चिक बाराईक: सर, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। जिनकी वजह से कोलकाता लगातार चार वर्षों में देश का सबसे सुरक्षित महानगर बना। अंततः अब आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें, तो इस मामले में भी बंगाल सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल पंजीकृत कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, एमएसएमई के मामले में भी हर पांच में से तीन उद्यम महिला को स्वामित्व देती है, जो किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): एक मिनट रुकिए। ...(**व्यवधान**)... आपको किस बात पर आपत्ति है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा)**:** रूल 238 के तहत। ...(**व्यवधान**)... ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में अपराध दर ज्यादा है। हरियाणा में कोई अपराध नहीं है। ...(**व्यवधान**)... हरियाणा बिल्कुल शांत स्टेट है। ...(**व्यवधान**)... ये ऑथेंटिकेट करें। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप अपना वक्तव्य जारी रखें। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश चिक बाराईक: मैं माटी की बात कहता हूं, माटी हमारी पहचान है, माटी हमारी संस्कृति है, हमारी जीविका है। ...(**व्यवधान**)... हम अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा के आधार पर ...(**व्यवधान**)... बंगला बोलने का मतलब, बांग्लादेशी नहीं है। [&] " If we speak in Bengali, we are getting branded as Bangladeshi." बंगलादेशी तब कहां थे? लेकिन हमें अपनी भाषा के

[£] Expunged as ordered by the Chair.

[&] English translation of the original speech delivered in Bengali.

Contents Page

प्रति प्रेम है। अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम है। अपना भोजन भी हमें अत्यंत प्रिय है। दुनिया भर के लोग बंगाल घूमने के लिए आते हैं। वास्तविक तौर पर पिछले वर्ष 31 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक बंगाल आए, जिसके कारण विदेशी पर्यटकों की आगमन की सूची में बंगाल दूसरे स्थान पर है। महोदय, अंततः मैं मनुष्य की बात कहना चाहता हूं ...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप विषय पर बोलिए, नहीं तो आपकी बात बीच में स्थगित कर देंगे।

श्री प्रकाश चिक बाराईक: सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की आवश्यकता है, तो बंगाल इन सभी की गारंटी देती है। ...(**व्यवधान**)... बंगाल स्वास्थ्य साथी योजना में सर्वप्रथम है। यह यूनिवर्सल स्कीम बंगाल की है, जिसका 100 परसेंट राज्य सरकार देती है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपको बंगाल के संबंध में नहीं बोलना है। आपको बिल पर बोलना है।

श्री प्रकाश चिक बाराईक: सर, मैं बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... 2.4 करोड़ से अधिक परिवार 2,800 से अधिक अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिसका 99 परसेंट दावों का निपटारा भी किया गया। ...(**व्यवधान**)... केंद्र सरकार इसी को कम्पेयर करके आयुष्मान भारत योजना लाई है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना, इसकी डुप्लीकेट होने के बावजूद एक ही मोबाइल नंबर के साथ 10 लाख पंजीकृत किए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अगर आप विषय पर नहीं बोलेंगे, तो उसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश चिक बाराईक: इसके बावजूद हमारे स्वास्थ्य योजना की तुलना में आयुष्मान भारत योजना कुछ भी नहीं है। सर, मैं बोलना चाहता हूं कि केंद्र सरकार बंगाल की प्रगति को अलग तरीके से पुरस्कृत करती है। 2022 से 100 दिन का पैसा 52 करोड़ लटकाया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद यह पैसा नहीं मिला। प्रधान मंत्री आवास का योजना का पैसा 25,000 करोड़ अटकाया। ...(**व्यवधान**)... प्रकृति आपदा का पैसा 43,000 करोड़ अटकाया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने अटकाया है। केंद्र को इस पर ध्यान देना है। ...(**व्यवधान**)... हमारी नेता ममता दीदी के अगुवाई में हम लोग डिमांड कर रहे हैं। बंगाल कोई एहसान नहीं मांग रहा है। बंगाल रास्ता दिखा रहा है - सुरक्षित शहरों का, महिलाओं की सुरक्षा का, उद्यमियों का, विश्व स्तरीय पर्यटन का, लोगों की गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य का। ...(**व्यवधान**)... हम अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं। चाहे केंद्र सरकार 'मां' के साथ ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): संक्षिप्त कीजिए।

श्री प्रकाश चिक बाराईक: मनुष्य को वंचित करे। फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम! जय हिंद! जय बांग्ला!

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): जो विषय किसी प्रदेश का नाम लेकर आरोपित किए गए हैं, उनको यहाँ पर दर्ज नहीं किया जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आप किसी भी प्रदेश को बगैर तथ्य के आरोपित नहीं कर सकते। Next speaker is, Shri A.A Rahim. He will speak in Malayalam.

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Thank you, Sir, for this opportunity. This is Rajya Sabha, the Council of States, and I am representing the State of Kerala. We have achieved 100 per cent literacy, a low infant mortality rate, the highest life expectancy, and we are the first State in India to eradicate extreme poverty. Sir, Kerala is also the first digital State in India and the first State to declare 'Internet' as a basic right. Shri Rajdeep Sardesai, who is a veteran journalist and an eminent journalist once said, "What Kerala thinks today, India thinks tomorrow." But in this Council of States, Rajya Sabha, we are forced to expose the political vendetta and the discrimination against Kerala by the Union Government.

Sir, the State of Kerala experienced the worst landslide in its history on 30th July, 2024, the Wayanad incident. The State Government submitted a post-disaster requirement of Rs. 2,221 crore. However, even after one-and-a-half years, the Union Government has announced the release of only Rs. 260 crore, which is merely 11 per cent of the assessed needs. Sir, this is the reality. But why is this discrimination against Kerala? Without providing adequate assistance, the Government has instead released Rs. 529 crore as loan. Also, under the National Food Security Act, an amount of Rs. 22,12,83,000 has not yet been allocated to Kerala as assistance to State agencies.

Sir, the Kerala Lottery is employment-generator for thousands of marginalized and distressed people, including senior citizens. The Union Government has decided to increase the GST on Kerala lottery from 28 per cent to 40 per cent. This will severely affect poor lottery agents and cause a decrease of Rs. 2,000 crore in the non-tax revenue of Kerala.

Sir, I would like to point out another instance of discrimination against Kerala. Kerala is the only one State in India that has been forced to spend a huge amount, that means, Rupees six thousand crores for the development of national highways. What has the Union Government done?

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप समाप्त कीजिए।

Contents Page

SHRI A. A. RAHIM: I am going to conclude, Sir. This amount has also been included in Kerala's borrowing limit. [&]Sir, why is the Central Government targeting the Government of Kerala? After its first tenure, the Government led by Shri Pinarayi Vijayan was elected for a second consecutive term. Since then, the Government has made historic achievements in implementing welfare schemes and delivering on the promises made to the people. These developments have been clearly recognized by BJP leaders. [*]

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद, आपकी बात आ गई। ...(**समय की घंटी**)... आपका पूरा विषय आ गया। धन्यवाद। आप बिल पर नहीं बोल रहे हैं।

SHRI A. A. RAHIM: [&] I am going to conclude, Sir. I would like to categorically assure the people of Kerala that no matter what pressure tactics are imposed on the State Government, the Kerala Government will steadfastly fulfill all the assurances given to the people and continue to work for their welfare and development."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The next speaker is, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I support the Appropriation Bill brought by the Central Government. At the same time, I wish to concentrate on the Police Department. Sir, the Police is a very important department. Law and order is a State subject. In Tamil Nadu, law and order is in the worst state. They are not modernizing the Police force. The Central Government is ready to give funds to modernize the Police force, but they are not implementing that scheme. Instead, they keep accusing the Central Government of not giving funds to them. Our Prime Minister and the Finance Minister have said that the allocation of funds to Tamil Nadu is more in the present NDA regime, the Modi regime, but the Stalin Government in Tamil Nadu is implementing the schemes given by the Central Government as their schemes. Even this morning, the hon. Minister talked about food distribution. Five kilograms of foodgrains, wheat, rice, etc., are being given to the poor. * As it is election time there, they have announced many schemes. The DMK Government could not fulfill promises. That is what we have been saying...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप विषय पर बोलिए।

[&] English translation of the original speech delivered in Malayalam.

[*] Not recorded.

Contents Page

DR. M. THAMBIDURAI: * ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप विषय पर बोलिए।

DR. M. THAMBIDURAI: *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप इस बिल पर बोलिए।

DR. M. THAMBIDURAI: *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपको इस बिल पर बोलना है, राज्य सरकार पर नहीं।

DR. M. THAMBIDURAI: * ...(*Interruptions*)...

SHRI N. R. ELANGO: Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, he has a point of order. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप कन्क्लूड कीजिए।

DR. M. THAMBIDURAI: Whatever is happening there is very pathetic.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अब आप कन्क्लूड कीजिए। Your time is over.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, the Tamil Nadu Government has borrowed nearly eight lakh crore rupees. * ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपको इस विषय पर, बिल पर बोलना है। आपको डीएमके पर नहीं बोलना है।

DR. M. THAMBIDURAI: * ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका समय समाप्त हो गया है। आपका समय समाप्त हो गया है।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, this has been going on. Please take action on that. That is what I am requesting. This is a very serious matter. ...(*Interruptions*)... Elections are coming. People must not believe all these things.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका समय समाप्त हो गया है। आपका जो निर्धारित समय था, वह समाप्त हो गया।

---

* Not recorded.

DR. M. THAMBIDURAI: *

SHRI N.R. ELANGO: Sir, I have a point of order.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप किस रूल के तहत बात करना चाह रहे हैं?

SHRI N.R. ELANGO: Sir, I wish to point out 'irrelevance'. Whatever my friend spoke is irrelevant because he has spoken about the State whereas this House is discussing the Supplementary Demand of the Union Government. Whatever he spoke is with respect to the State Government. It must be expunged. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): परीक्षण करके, जो विषय संसदीय होगा, विषय से संबंधित होगा, उसे लिया जाएगा। व्यक्तिगत आरोप के बारे में मैं सबसे निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत आरोप के आधार पर अपना वक्तव्य नहीं रखें। ...(**व्यवधान**)... आपकी बात complete हो गई। Please sit down. माननीय सदस्य, श्री हारिस बीरान। ...(**व्यवधान**)...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I wish to clarify. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपकी बात आ गई है। ...(**व्यवधान**)... हारिस बीरान जी, चूँकि आपका समय शुरू हो गया है, इसलिए आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... कृपया आप बोलिए, आपका समय count हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई। ...(**व्यवधान**)... मैं आपको टाइम दूँ, फिर उनको दूँ। ...(**व्यवधान**)... यह चर्चा Appropriation Bill के संबंध में है और मैं चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्य उसी पर बोलें। ...(**व्यवधान**)... हारिस बीरान जी, कृपया आप बोलिए।

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Thank you, Vice-Chairman, Sir. The Government is presenting this Appropriation Bill to authorise Gross Additional Expenditure of Rs.1.32 lakh crores for the financial year 2025-26. It is critical to note that the Net Cash Outgo, which refers to the actual fresh money leaving the Consolidated Fund, is restricted to only Rs.41,000-odd crores. What does this mean? This means that the majority of the Bill is not funded by new revenue, but by re-appropriating unspent funds from the other areas. This is actually a damning indictment of fiscal mismanagement and a very poor Budget planning. The remaining Rs.90,000 crore is technically classified as savings or technical supplementaries, meaning the Government is funding new expenses by utilising money that was allocated to other Ministries but remains unspent. This points to severe allocative inefficiency and execution paralysis, suggesting that development projects in specific sectors are being stalled. We will examine two or three Ministries -- one being the Higher

---

* Not recorded.

Contents Page

Education Ministry. Under the Department of Higher Education, the Government had introduced a large new scheme called the Pradhan Mantri One Nation One Subscription with a gross provision of over Rs.2,000 crore; whereas, the Supplementary Demands for the Department stands at Rs.1,300 crore. The concern is not about the spending of money, but about the priorities. For example, Kerala's higher education is struggling with shortages of faculty, inadequate laboratory infrastructure, hostel capacity constraints and delayed capital work. A highly centralised digital subscription scheme cannot substitute for these basic requirements. One of the areas of major concern is the Ministry of Minority Affairs. There is a historical trend where the Ministry of Minority Affairs surrenders substantial portions of the Budget due to under-utilisation. In previous fiscal years, utilisation rates have been drastically lower than the Budget Estimates. If the Ministry is contributing to the savings in this Bill, it implies that the funds meant for the educational empowerment of minority students are being effectively diverted to fund deficits in fertilizer or petroleum subsidies. This is a regressive redistribution taken from the most marginalised communities to balance the general subsidy bill. The Supplementary Demands fail to include any remedial allocation to clear the persistent reports of scholarship to minority students.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया आप संक्षिप्त कीजिए।

SHRI HARIS BEERAN: The absence of specific Demands to fix these gaps, with simultaneously claiming savings from the same sector serves as a critical point of failure in the Government's social justice narrative.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया आप संक्षिप्त कीजिए।

SHRI HARIS BEERAN: Similar is the case with the fertilizers. I am not going into the details about the fertilizers and other aspects, but I have to highlight this that States like Kerala need practical support, which means real money for livelihood, health, education and connectivity, not headline numbers and accounting rearrangements (*Time-bell rings.*). I demand that the supplementary funds be transparent, targeted and traceable to the people of Kerala. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी जी। 10 मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पूरक अनुदान की माँगों और Appropriation Bill पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 114 और 115 के तहत Consolidated Fund से केन्द्र सरकार को इसके लिए अधिकार प्राप्त हो,

इसके लिए यह है। जो Supplementary Demand है, वह 1.32 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें नकद केवल 41,455 करोड़ रुपए हैं, शेष 90,812 करोड़ रुपए विभागीय बजट के लिए हैं। जो Supplementary Demand आई है, वह fertilizers के लिए आई है, शिक्षा के लिए आई है, उज्ज्वला योजना के लिए आई है और रक्षा के लिए आई है। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार जब बजट लेकर आती है और बजट के क्रियान्वयन में उसको आवश्यकता होती है कि इस पर अधिक खर्च करना है, तो वह पूरक अनुदान की मांगें लेकर आती है, विकास का काम बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए, इस सरकार ने भी जब बजट प्रस्तुत किया था, तो बजट प्रस्तुत करने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी की जो प्रतिक्रिया थी, उसमें उन्होंने कहा था कि यह बजट 2047 के "विकसित भारत" की नींव रखने का बजट है। यह बजट इस प्रकार का है और इस बजट के हिसाब से काम भी हो रहे हैं। आज मैं जब यहां खड़ा होकर बोलता हूँ, तो मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि मैं उस देश के अंदर खड़ा हूँ, जिसकी अर्थव्यवस्था 4.65 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है और अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रही है।

सर, आज जब मैं यहाँ पूरक मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो अगर हम लगातार 3 वर्ष के समेकित आंकड़े निकालें, तो हमारी 7% की दर से विकास की दर है। अगर हम आंकड़े निकालें, तो पता चलता है कि इस बार के 3 महीने की विकास दर 8.2 प्रतिशत की है। अब हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लेकर खड़ा है, जो विश्व को चुनौती दे रही है और इसका परिणाम है कि आज यह विश्व में एक चमकती हुई अर्थव्यवस्था है और यह आगे बढ़ रही है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे कई बार आश्चर्य होता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि "India is a dead economy." उन्होंने बोला और नकलची यहां बोलने लगे कि यह डेड इकोनॉमी है! मैंने कहा, इन नक्कालों से सावधान रहो, भाई! यह नक्कालापन किस काम का है? अगर हम आज की व्यवस्था देखें, तो शिक्षा में "नई शिक्षा नीति" के अनुसार इन्होंने खर्च किया है और उस खर्च करने के कारण आज 54 विश्वविद्यालय और 12 आईआईटीज़ विश्व रैंकिंग में आ गए हैं। अभी फर्टिलाइजर के लिए पैसे मांगे गए हैं। पूरे देश में किसानों को फर्टिलाइजर की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए सरकार उसको कम नहीं कर सकती, इसीलिए सरकार उसकी मांग को लेकर आई है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, डिफेंस के लिए 477 करोड़ रुपए ज्यादा मांगे गए हैं। भारत सरकार ने अगर सबसे ज्यादा खर्चा किसी क्षेत्र पर किया है, तो वह रक्षा क्षेत्र है। रक्षा के लिए 4,91,732 करोड़ का सर्वाधिक बजट है। जब इस पर पैसा मांगा गया है, तो वह पैसा इसलिए मांगा गया है कि राफेल भी खरीदने हैं, वह पैसा इसलिए मांगा गया है कि तेजस भी बनाने हैं, वह पैसा इसलिए मांगा गया है कि S400 भी लेना है और वह पैसा इसलिए मांगा गया है कि कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, माननीय नरेन्द्र मोदी जी उस सुदर्शन चक्र को भारत के आकाश पर मंडराएंगे और जो भी कोई सामने आएगा, वह अपने आप मर जाएगा, गिर जाएगा। इसके लिए पैसे मांगे गए हैं। विपक्ष को चर्चा करते समय इन बातों की चर्चा करनी चाहिए थी।

Contents Page

सर, ये जो सारे बजट पेश हुए हैं, आप इनके आंकड़ों को देखिए। ऐसा कौन-सा देश है, जिसने 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को "गरीबी की रेखा" के बाहर लाकर खड़ा कर दिया? वह भारत है। वह कौन-सा देश है, जो लगातार 20 किस्त अपने किसानों को "किसान सम्मान निधि" के रूप में दे रहा है? वह भारत है। ऐसा कौन-सा देश है, जहाँ 11-12 साल पहले शुरू की गई "जन धन योजना" के अंतर्गत आज 2.60 लाख करोड़ रुपये 55-56 करोड़ खातों में जमा हैं? वह भारत देश है और यह नरेन्द्र मोदी की सरकार है, जिसके बजट की आर्थिक प्रक्रियाओं का यह परिणाम है।

सर, इसमें तिलहन और दलहन के लिए पैसा दिया गया है। आज भारत अन्नपूर्णा है। हमने भारत की वह स्थिति भी देखी है, जब भारत में PL-480 का गेहूँ बिकता था, जिसे लोग लाइन लगाकर लेते थे। आज भारत अन्नपूर्णा है और हम 131 देशों को अन्न का निर्यात करते हैं। हम आपको बता दें कि भारत माता अन्नपूर्णा थी और पुनः अन्नपूर्णा हो गई है। बीच में ऐसा नहीं था, जिसके पीछे भी एक कारण था। काशी विश्वनाथ की अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी होकर कहीं और चली गई थी। प्रधान मंत्री जी जब कनाडा गए, तो उन्होंने वह मूर्ति वहाँ देखी। जब उन्होंने पूछा कि भारत की चीज़ यहाँ कैसे आई? इस पर उन्होंने बताया कि यह अमेरिका से आई। जब अमेरिका ने पूछा कि कहां से आई, तो वे बोले कि वहाँ से आई। अंत में, वह मूर्ति काशी विश्वनाथ की निकली। उस माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ में प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह अन्नपूर्णा माता की कृपा का ही परिणाम है। इसलिए भगवान शंकर स्वयं कहते हैंः

"अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरप्राणवल्लभे।

ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति॥"

यह उसका देश है और इसी प्रकार की व्यवस्थाएं यहां स्थापित की गई हैं। दस वर्ष पहले दलहन का उत्पादन 160 लाख टन था, जो बढ़कर अब 260 लाख टन हो गया है। इसी प्रकार तिलहन के उत्पादन में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके लिए फर्टिलाइज़र्स आदि की आवश्यकता पड़ती है।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत किसानों की जो सहायता कर रहा है, उसका परिणाम यह है कि आज विश्व में भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की वे कसौटियाँ हैं, जिन पर इस एप्रोप्रिएशन बिल को हमें देखना चाहिए।

महोदय, शिक्षा के बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई शिक्षा नीति अब लागू हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन-सी नीति है जो लागू नहीं हुई है? जयप्रकाश नारायण जी ने टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था, वह टोटल रिवॉल्यूशन माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने करके दिखाया है। वे दृष्टा थे और ये कर्ता हैं। ये कर्ता होने के साथ-साथ दृष्टा भी हैं। इसलिए कहा गया है - "विक्रमार्जितराज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता।" वह नरेन्द्र मोदी जी हैं। उन्होंने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जिस प्रकार के कार्य किए हैं, वे सराहनीय हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के नियंत्रण में है

और महंगाई भी नियंत्रण में है। आज विश्व के अधिकांश देश महंगाई से त्रस्त हैं। ये अभी फर्टिलाइज़र्स की बात कर रहे थे। उन्हें उस समय ध्यान नहीं आया, जब पुतिन साहब ने यहां आकर कहा था कि भारत को बढ़ता हुआ देखकर कई लोग चिढ़ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... विदेश के लोग चिढ़ें तो समझ में आता है, पर हमारे लोग क्यों चिढ़ रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता। मुझे नहीं पता इन्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? ...(**व्यवधान**)... महोदय, आप सड़क परिवहन क्षेत्र को देखिए। आज हम तीन घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं। कितने ही उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। अनेक एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। आज भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं। पहले हर जगह गड्ढे होते थे, आज वह स्थिति नहीं है। इसी प्रकार 99 प्रतिशत रेल मार्ग electrified हो चुके हैं। ...(**व्यवधान**)...वंदे भारत व अन्य ट्रेनें चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि यह शीघ्र ही 100 प्रतिशत electrified हो जाएगा। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे जल्द ही पूर्ण किया जाए। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को लगातार ... (**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: क्या मेरा बोलने का समय समाप्त हो गया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू किया है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): यदि पार्टी की तरफ से allow करते हैं, तो आप बोल सकते हैं। आप बोलेंगे, तो पार्टी का समय कटेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो संपूर्ण क्रांति हुई है, उसमें आर्थिक क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति है। यह गरीब को गणेश मानकर काम करने वाली क्रांति है। इसमें औद्योगिक क्रांति भी सम्मिलित है। इसमें 600 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार भी शामिल है, जो हमारी आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि ये दस वर्ष भारत में आर्थिक क्रांति के वर्ष हैं और यह बजट तथा इसके अंतर्गत प्रस्तुत पूरक अनुदान की माँग 2047 के विकसित भारत की नींव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The next speaker is Shri Sandosh Kumar P, three minutes.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Thank you, Vice-Chairman, Sir. We are discussing this important Appropriation Bill at a time when all of us are shocked to see the collapse of the Indian rupee. Ghanshyam Tiwari ji, Dr. Radha Mohan Das Agrawal, including our Finance Minister, all are shocked. And they have practically finished MNREGA also. She may try to offer some explanation. Let us wait for that.

Sir, using this opportunity, I would like to raise certain issues regarding Kerala. One thing is related to the Chooralmala-Meppadi disaster. We have submitted the

Contents Page

PDNA, Post Disaster Needs Assessment. The requirement of Rs. 2,221 crores has been submitted, but the response is very cold. All of us, cutting across party lines, requested many times, but so far, there has been no proper response, except a meagre amount. The second issue is regarding the establishment of AIIMS in Kerala. We have already acquired 200 acres of land, that too, a decade ago. The file is pending before the Finance Ministry. We have submitted a memorandum to the Union Health Minister. The reply was that this file is pending before the Finance Minister. I request the hon. Finance Minister to see that and take necessary steps.

Sir, within the coming three decades, 80 per cent of Kerala's population will be in urban areas. This is actually creating a lot of challenges before the State of Kerala. So, we had constituted a commission called Kerala Urban Policy Commission, 2023. It has submitted its Report also. One of the major proposals is to create a School of Planning and Architecture. I request to grant some funds for the School of Planning and Architecture. Sir, for integrated development of wildlife, we need Rs. 620 crores, and we have already submitted a memorandum in this regard. Then, Sir, the borrowing limit of the State of Kerala must be enhanced to 3.5 percentage; now it is 3 percentage. We have requested 'n' number of times. Then, Jal Jeevan Mission is another area of concern. We have requested to borrow Rs. 17,500 crores. Even that is not getting sanctioned. Like that, Sir, there are a number of issues. Kerala is a part of this country. ...(*Time-bell rings.*)... I take this opportunity to make these submissions, Sir. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद, संदोष जी। आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन पार्टी के पास समय कम रहता है। The next speaker is Shri Sujeet Kumar.

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले आपने अखबारों में देखा होगा, पढ़ा होगा कि भारत का Quarter 2 GDP for FY 2025-26 was 8.25 per cent which is a significant rise from 7.8 per cent in Quarter 1. As an Indian, it made me immensely proud. In fact, every Indian would have been proud of this. This robust economic performance reaffirms India's growth story as the fastest growing major economy. Also, it is a befitting answer to pessimists, both abroad and within India. Our growth engine is not only humming but it is also adding a bit of turbo charge. सर, 31 जुलाई को यूएस प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक tweet किया था कि calling India a dead economy. ठीक है, ट्रंप ने tweet किया, But, as if on cue, a very senior Congress leader tweeted on the same day in capital letters, and I have it here, 'The Indian Economy is Dead'.

5.00 P.M.

Some people in Washington, DC, and such anti-India leaders of Congress Party would be wondering why and how the 'dead economy' is posting such robust and attractive growth numbers. Perhaps it is because the Indian economy is not listening to them. Indian economy is growing because of the great work that our Prime Minister and our Government are doing. Sir, in the Lok Sabha yesterday, some Opposition Members -- I have their names but I won't name them -- spoke of IMF's India ranking of National Account C Grade in their 2025 assessment. सर, यह सच है। IMF ने C Grade दिया है, 2025 Assessment में। But it is important to note that this was due to the methodology which was used taking the base year of 2011-12. सरकार में कौन था? Guess who was in power in 2011 and 2012 -- UPA! यह जो IMF की ranking है - C Grade, that reflects their performance. Sir, this may not be music to the ears of my Congress friends, but I will say it. Indian economy is not dead. It is not just jogging, but it is sprinting. It is sprinting towards a $5 trillion economy; it is sprinting towards becoming the third largest economy in the world.

Sir, this Supplementary Demand for Grants for the year 2026 is the first Supplementary Demand. It involves Rs.1.32 lakh crores of additional expenditure. लेकिन उसमें से only Rs.41,455 crore is the actual cash outgo. The rest Rs.90,812 crore is actually from the savings of the Department itself. It is intra-Departmental adjustment as was pointed out by Ghanshyam *ji*. It is pertinent to note that this Supplementary Demand will not add to the fiscal deficit at all or require money to be withdrawn from the Consolidated Fund of India. सर, मैं जो Rs. 90,812 crore कह रहा हूं, it is just a budgetary rearrangement that requires parliamentary approval. Hence, हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। जो Rs. 41,455 crore की additional outgo है, that will not add much fiscal pressure to the economy. And it is likely to meet the fiscal deficit target of 4.4 per cent of the GDP. सर, हमारे FRBM Act के तहत 2025-26 में, our fiscal deficit target is of 4.5 per cent of the GDP. हम लोग उससे भी कम रहेंगे। That is the performance of our Government. I would like to read out the sectoral allocation or the sectoral demand rather for different sectors.

For Agriculture and Farmer Welfare, the Demand is Rs.18,528 crore. This will be used for fertilizer subsidies, ensuring affordable inputs for our farmers for food security and for targeted support for SC/ST farmers particularly. This Demand is necessary because of geopolitical price fluctuations. Because of geopolitical tensions, we know that fertilizer price/Urea price has gone up and this is why we need this extra support. Because of good monsoon, during rabi season, farmers are

Contents Page

going to need more fertilizers. Prime Minister Modi's Government is committed to our farmers, our *Annadata*. Our Prime Minister says that he recognises only four castes - *Garib, Yuva, Annadata* and *Nari*. This support is for our *Annadata.* We will insulate them from any price hike.

Sir, there is a Demand of Rs.224 crore for Trade, Industry and exports. This will strengthen our export insurance. This will promote lab-grown diamond innovation at IIT Madras. There is a Demand for Culture and Heritage, which will support our centenary celebrations, museums and National Gallery of Modern Art to preserve India's cultural heritage. Another Demand is for Defence. In the Financial Year 2025-26, -- this is why I say that this was the most historic Budget -- the Budget Estimates for this year were Rs.6.81 lakh crore for Defence. This is 6.3 per cent hike over last year's Budget Estimates. We are surrounded by two hostile neighbours - एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। China spends about 300 billion dollars on defence. We spend about 80 billion dollars which is Rs.6.81 lakh crore. This is why it is necessary to focus on Defence. I thank the hon. Finance Minister for that. In the last ten years, we have spent Rs.53.83 lakh crore on our Defence. That was reflected in Operation Sindoor. सर, हम पाकिस्तान को चार दिनों में घुटनों पर ले आए। सर, मैं एक और दूसरी चीज़ बोलना चाहूंगा कि today, our Defence export is over Rs.23,000 crore. We were importing 90 per cent of our Defence equipments from abroad. Today, that has come down to only 30 per cent. We are not only *Aatm Nirbhar* but we are also exporting our Defence products today.

Sir, the next major head is 'Education' where Rs. 1303 crore has been demanded. This will help fund our universities, expand our access to global academic journals. The focus also will be on research because Rs. 676 crore will be spent on research for Quantum Mission, supercomputer and Vigyan Dhara, and Rs. 421 crore will be spent for atomic energy research. Every time I speak in Parliament, I raise this issue that, as a nation, we spend too less on research. Only 0.75 per cent of our GDP is spent on research, while other countries like China spends 2.2 per cent, US spends 3.06 per cent, South Korea spends 4.6 per cent and Israel spends 4.9 per cent. If we have to become Viksit Bharat, we have to spend on research. I thank our hon. Prime Minister, who gave the slogan 'Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan'. He is the first Prime Minister who understood the value of research, and also helped set up the National Anusandhan University.

Next is 'External Affairs'. Rs. 1,226 crore has been demanded for External Affairs and global outreach. This will help develop Chabahar Port in Iran, and

developmental assistance to Mauritius and Pacific Island nations. The Chabahar Port in Iran will allow India's access to Afghanistan and Central Asia so that we can bypass the enemy nation, Pakistan. It is actually a very high strategic investment for us. Under the leadership of PM Modiji, India successfully positioned itself as a natural leader of the Indian Ocean Region through diplomacy and development. Aid to Mauritius and Pacific Islands are a key part of our geopolitical outreach, cementing the region as India's strategic backyard.

सर, financial inclusion के लिए 508 करोड़ की डिमांड है, which will help support Atal Pension Yojana, PM Vaya Vandana Yojana and also help financial inclusion through NABARD. Rural Economy and Livestock के लिए 427 करोड़ की डिमांड है, which will help Rashtriya Gokul Mission, National Livelihood Mission, etc. These measures are aimed towards development and conservation of indigenous breeds, and improvement of dairy yields. Under the leadership of Modiji, successful implementation of missions have led to milk production in India rising from 146 million tonnes in 2013-14 to 240 million tonnes today. And, as Ghanshyamji was saying, we have become the largest milk producing nation in the world today. Next is 'Health Research'. My good friend, Shri G.C. Chandrashekhar, who is not here, from Congress, was lamenting that the Government is spending only 1.85 per cent of GDP on health. Let me correct him. It is actually around two per cent and the hon. Health Minister, J.P. Naddaji, in this House, during Discussion on the Working of the Ministry of Health and Family Welfare, said that we are steadily going towards 2.5 per cent. सर, 2013-14 में हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए सिर्फ 38 हज़ार करोड़ का एलोकेशन था और इस बजट में वह बढ़कर एक लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। So, this is the difference between 2013-14 and 2025-26. Next is 'Internal Security'. Rs. 2,600 crore has been demanded for Internal Security, which will help us give a package to Manipur, which will help us modernize our Armed Forces and which will help improve our intelligence.

Finally, I will talk of 'Petroleum and Natural Gas", for which Rs. 9,473 crore has been demanded as compensation to PSU oil marketing companies. This will ensure that our mothers can run their kitchens. सर, पीएम उज्ज्वला स्कीम के बारे में सबको पता है। Prime Minister Modiji's vision of clean cooking fuel for all women in the country has achieved nearly 10.33 crore Ujjwala connections and doubling of household LPG connections.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, पार्टी की सहमति से आपको जो निर्धारित समय दिया गया था, वह तो समाप्त हो गया है, लेकिन आप दो-तीन मिनट में अपनी बात रख सकते हैं।

SHRI SUJEET KUMAR: Thank you, Sir. I come from a district called Kalahandi and I have seen how women were struggling because of the fumes that would emanate from their stoves. सर, उनकी आँख जल जाती थी। They used to have bronchitis and asthma because there was no proper gas cylinder that they could afford. Ujjwala connection has actually changed the life of rural women. And this grant will help support the livelihood of missions of socially and economically backward households and promote clean cooking fuels in the nation.

Now, in the GYAN philosophy, I will come to *Yuva*, our youth. The most important component of our population, our demography, are the youth. We are a youthful nation. सर, हमारी जनसंख्या का दो-तिहाई 35 साल से कम है। That itself is 100 crore population. हमारी जनसंख्या का 50 परसेंट 25 साल से कम है that is, 700 million or 70 crore. A host of schemes were launched in the Budget for our youth. Sir, 50,000 Atal Tinkering Labs were sanctioned in the Budget of 2025-26 and Rs.20,000 crores was sanctioned for private sector research for youth.

सर, यह एआई का जमाना है, एआई के लिए Rs.500 crores were sanctioned for AI in education. I would tell you what the supplementary demand also requests. Out of Rs.1,304 crores for the Ministry of Higher Education, around Rs.235 crores would be used by the Ministry towards Grants-in-Aid and Grants for creation of world class institutions. सर, अभी कोई बता रहे थे and I am extremely proud and I did mention this in the Zero Hour today also. Every Indian should be proud that in the QS World University Rankings, today, there are 54 Indian institutions. 10 साल पहले जो सिर्फ 5 थे, अब उसमें 54 institutions हैं और 5 साल में ये double हो चुके हैं। Also, today, our IITs and IIMs, institutes of repute, are not only giving world class education within India, they are also setting up campuses abroad. We have an IIT, Delhi campus in Tanzania, we have an IIT campus in UAE. By 2030, we would have an IIT campus in US. This is the direction, this is the leadership of Prime Minister, Modi*ji*. So, this grant of Rs.1,304 crore would help India position itself as an academic powerhouse globally.

I would end by saying that we have a dream of *Viksit Bharat*. How far we have come from 2014 and where we have to reach! We have to become *Viksit Bharat* by 2047 where every Indian would have clean drinking water in his household, where every kitchen would have a gas cylinder, where every person would have a house over his head.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद, आपका पूरा विषय आ गया है।

SHRI SUJEET KUMAR: So, Sir, *Viksit Bharat*, *Atmanirbhar Bharat* बनाने के लिए, the supplementary demands is justified and I support it.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): धन्यवाद सुजीत जी। अगले स्पीकर, माननीय सदस्य श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया। You have ten minutes.

श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया (गुजरात): माननीय महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक श्लोक से शुरुआत करता हूँ:

अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप॥

माननीय महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों के मांग को लेकर सरकार का जो प्रस्ताव इस गरिमामय सदन में आया है, उसके समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा है। आज जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर दौड़ रहा है।

सभापति महोदय, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति से भारत आज दुनिया को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। आज हर भारतीय को भारत की इस वैश्विक श्रेष्ठता पर गर्व हो रहा है। पिछले 11 सालों में जो कार्य हुए हैं, उनमें उपलब्धियों की एक लंबी सूची है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है।

इस वर्ष कुल 54 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनमें 12 आईआईटीज़ भी शामिल हैं। इन विश्वस्तरीय संस्थानों को कुल 6,199 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया गया है। ये अनुदान भारत को विश्व स्तर पर एक ऐकेडमिक पावर के रूप में स्थापित करने और विश्व गुरु की पदवी फिर से हासिल करने में मदद करेंगे। यह निवेश केवल भवनों में नहीं, बल्कि अनुसंधान, एआई सेमीकंडक्टर, बायोटेक और डीप-टेक इकोसिस्टम में भविष्य का बीज बो रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री श्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के एमएसएमईज़ आत्मनिर्भर भारत की क्रांति को गति प्रदान कर रहे हैं। रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि तथा वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को ये मजबूत कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत 45.54 करोड़ रुपए के शुद्ध व्यय को पूरक रूप से वहन करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुदान

राशि की मांग की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में विभिन्न टेक्नोलॉजी सेंटर्स तथा डेवलपमेंट सेंटर्स की स्थापना की जाती है। इन सेंटर्स का प्रमुख उद्देश्य देश के विशेष कर छोटे उद्योगों को उन्नत विनिर्माण तकनीकों तक पहुंच प्रदान करना है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत अनुदान सहायता, राष्ट्रीय गोकुल मिशन तथा नस्ल सुधार संस्थानों हेतु अनुदानों की मांग की है। इन उपायों पर कुल 361.11 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसे अनुदानों की अनुपूरक मांग से पूरा किया जाएगा। ये प्रावधान देश में देसी गौवंशीय नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा डेयरी उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से किए गए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सार यह है कि यह अनुपूरक अनुदान इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलेक्ट, इंक्लूज़न, इनफ्लुएंस, इन चार स्तंभों पर विकसित भारत का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है। यह शॉर्ट-टर्म एक्सपेंडिचर नहीं, बल्कि लॉन्ग-टर्म नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग है। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार राष्ट्र उत्थान और विकसित भारत निर्माण की यात्रा में आगे बढ़ रही है। उसी दिशा में अनुपूरक अनुदानों की मांग का यह प्रस्ताव आया है। मैं इन अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये निर्णय भारत को विकसित और विश्व गुरु बनाने की दिशा में निश्चय ही निर्णायक सिद्ध होंगे। अस्तु। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद!

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद, गोविंदभाई जी। The next speaker is, hon. Member, Shri Raghav Chadha.

SHRI RAGHAV CHADHA (Punjab): Sir, Supplementary Demands is almost like an annual formality in this House. एक औपचारिकता रहती है। And, particularly because this is a Money Bill and Rajya Sabha's approval is not required for a Money Bill. But I would like to use this opportunity to give three concrete suggestions, by voicing my three concrete concerns before the Finance Minister and, I hope, she takes cognizance of this. The first is that investment in India is highly taxed. हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि global capital बहुत volatile है, जिसके चलते इसी साल, जनवरी, 2025 से लेकर दिसम्बर, 2025 के दूसरे हफ्ते तक, foreign portfolio investors ने 1 लाख, 60 हजार करोड़ रुपये भारत की Indian equity से withdraw कर लिए। जब यह withdraw किया गया, उस समय भारत के domestic institutional investors और domestic investors, stock market की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े और इसी period में, domestic investors ने 7 लाख करोड़ रुपये Indian equity में invest किए। यह एक historic achievement भी था और यह market की maturity भी दिखाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह इस बात को दिखाता है कि जब foreign money leaves, it is the Indian investor that comes to the rescue of the stock market. लेकिन जब salaried employees ने SIPs के माध्यम से, small savers ने mutual fund के माध्यम से और pension insurance money के माध्यम से invest किया, तो investment को

Contents Page

प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या किया? आज एक ऐसी taxation regime बन गई है, जिसके अन्दर capital gain tax बहुत high है, indexation का benefit investors को नहीं मिलता है, surcharges ज्यादा होने की वजह से tax rates sharply increase हो चुके हैं और frequent changes के चलते investors को certainty नहीं मिलती। आज एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, that long-term investments in this country are being treated as short-term speculation when it comes to taxation. इसे बदलने की जरूरत है। If India truly wants deep capital markets and long-term domestic savings, then, patient capital must be respected and not penalized. Economics का basic principle है कि tax consumption if you must, but nurture investments. हमें investment को प्रोत्साहन देना होगा और over-taxing of investments करके हम wealth creation को disincentivize कर रहे हैं।

सर, मेरा दूसरा point यह है कि जो bank savings हैं, हमने देखा कि भारत का मेहनतकश आदमी, एक middle class आदमी अपनी तमाम savings, banks के savings account में रखता है या FD कराता है। हमने देखा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में bank deposit का जो growth था, वह गिर कर मात्र 10 प्रतिशत पर आ गया, in comparison to the previous financial year, which is 2023-24, where it was 13 per cent, यानी कि deposit की growth में कमी देखी गई। इसके चलते यह होता है कि banks की cost of funds बढ़ती है, loan महंगा होता है, MSME suffer करती है और financial stability कमज़ोर होती है। इसीलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

सर, मेरा पहला सुझाव यह है कि जहां तक savings bank की interest income का सवाल है, tax free limits को बढ़ाया जाए। दूसरा, अगर कोई 5 साल से ज्यादा का FD कराता है, उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। There needs to be tax incentivization for that sort of an investor. Long-term capital gains के अन्दर, indexation के benefit को letter and spirit में across asset classes लागू करना चाहिए। तीसरा, अगर हमें investment को प्रोत्साहन देना है, तो short-term capital gains पर जो tax लगता है, वह बहुत ज्यादा है, उसे कम करना चाहिए। इसी के साथ-साथ हमें यह ensure करना पड़ेगा कि जो patient domestic capital है, उसे हम preserve करें, उसे reward करें, उसे penalize नहीं करें।

सर, मेरा तीसरा point GST से संबंधित है। GST 2.0 वास्तव में एक अच्छे intent से लाया गया था और सबको यह उम्मीद थी कि GST 2.0 के बाद, GST rationalisation के बाद, वस्तुएँ सस्ती होंगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने तमाम companies को भी कहा कि हम GST में कटौती कर रहे हैं, उसे 28 से 5 परसेंट पर ला रहे हैं, 18 से 5 परसेंट कर रहे हैं, तो आपको वस्तुओं को सस्ता करना पड़ेगा। हमने यह देखा कि इसका जो intent था कि जब GST कम होगा, तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो consumption बढ़ेगा और जब consumption बढ़ेगा, तो demand बढ़ेगी, लेकिन यह नहीं हुआ। सर, यह इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि private companies ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। ...(**व्यवधान**)... मैं बता रहा हूं। मैं मोटे-मोटे तौर पर आपको बताना चाहता हूं।

Contents Page

सर, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक वस्तु 100 रुपये में बाजार में मिलती थी। जब उस पर 18 परसेंट GST था, तो उसकी market value 118 रुपये थी। सरकार ने उस पर से GST को 18 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट कर दिया, तो अब वह वस्तु 100 plus 5 per cent, 105 रुपये में मिलनी चाहिए, जो कि पहले 118 रुपये में मिलती थी, लेकिन आज भी वह वस्तु बाजार में 118 रुपये में ही मिलती है, क्योंकि private companies ने इस GST के relief को consumer को pass on नहीं किया या उसमें grammage कम करके, product की quantity कम कर दी और दाम कम कर दिया। इसीलिए यह जरूरी है कि private companies pass through का benefit पूरे तरीके से consumers को दें, ताकि GST के इस rationalisation का cutting edge level पर consumers को फायदा हो।

सर, हमने देखा है, independent survey बताते हैं, खास तौर पर लोकल सर्कल्स का एक सर्वे बताते हैं कि FMCG, pharma और packaged food की इंडस्ट्री के अंदर मात्र 10 प्रतिशत consumer को full GST का benefit मिला, Consumer durables बाजार में 34 प्रतिशत ही उपभोक्ताओं को इस GST pass-through का full benefit मिला और automobile sector में जो रिलीफ मिला, बताया जा रहा है कि जनवरी, 2026 से तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियाँ अपने दाम बढ़ाने जा रही हैं, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि tax reform without enforcement will become a transfer of benefit from the citizen to the company. एक हाथ से जीएसटी रिफॉर्म आया, जीएसटी का रेट घटा, लेकिन दूसरे हाथ से अगर प्राइवेट कंपनियाँ वह benefit कंज्यूमर तक पहुँचने नहीं देंगी और वस्तु का दाम बढ़ा देंगी, तो end consumer को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि Section 171 of the CGST Act, जो एक sunset clause के तहत अब समाप्त हो गया, उसकी जो मूल भावना थी, वह बड़ी सैक्रेड है, जो यह कहा करता था that tax cuts must translate into price cuts. Any benefit in the reduction of tax must be given to the end consumer as a reduction in prices. यह करने की आवश्यकता है। No doubt, GST 2.0 is a landmark reform but without pass-through benefit, it is an incomplete reform.

सर, अंत में, मेरा आखिरी सुझाव यह रहेगा कि भारत देश में आज एक tokenisation bill लाने की आवश्यकता है। सर, जैसे UPI ने digital payments को एक प्रकार से inclusive बना दिया। आज रेहड़ी-पटरी वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते हैं और देते हैं। ठीक उसी तरह से investment और asset ownership को हमें inclusive बनाने के लिए tokenisation का एक कानून इस देश में लाना पड़ेगा।

सर, मैं सरल भाषा में समझता हूँ। एक मिडिल क्लास का आदमी आज यदि अपना निवेश करना चाहता है, तो उसके पास पैसा या तो बैंक का savings account का खाता है, mutual fund है या fixed deposit है, उसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि commercial building बहुत महँगी है, infrastructure project उसकी रीच के बाहर है और प्राइवेट असेट क्लास niche investment के लिए होते हैं, उनके लिए बने नहीं हैं, इसलिए tokenisation एक ऐसी financial revolution है, जो एक बड़े महँगे असेट को छोटे-छोटे digital token में बाँट देगा

Contents Page

और उसकी transparently खरीद-बेच blockchain technology के माध्यम से हो सकती है। Sir, asset tokenization is one of the most transformative, technological financial innovation of the twenty-first century. सर, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक आम आदमी एक कंपनी का शेयर खरीद कर उसमें हिस्सेदारी ले सकता है और उसकी appreciation के मुनाफा का स्वाद ले सकता है, ठीक वैसे ही asset tokenization आने से real world asset जैसे real estate projects, infra projects, commodities, IPR - इन सबको छोटे-छोटे digital tokens में बाँट दिया जाएगा, जिससे कोई भी खरीद-बेच करके इस tradable token का फायदा ले सकता है और इसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब बड़े-बड़े असेट्स सिर्फ करोड़पति, अरबपति लोगों के लिए नहीं, बल्कि इन बड़े-बड़े असेट्स को देश का आम आदमी खरीद सकता है और उसकी बड़ी रिटर्न का स्वाद ले सकता है।

सर, मैं उदाहरण देता हूँ। आज 10 ग्राम सोना भारत में लगभग 1,35,000 रुपए का मिलता है। आप यदि किसी दुकान पर जाकर कहिए कि मेरे पास 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 1,35,000 रुपए तो नहीं हैं, इसलिए आप मुझे 500 रुपए का सोने दे दीजिए, तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते, लेकिन जब से gold ETF आया, digital gold आया, तब से आप electronically, digitally 500 रुपए का गोल्ड खरीद सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप असेट्स को डिजिटाइज करेंगे, तो इन tokens के माध्यम से आप इन असेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका टाइम पूरा हो गया।

श्री राघव चड्ढा: सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे बस 1 मिनट ही लगेगा। सर, इस tokenisation से खास तौर पर मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले उनको better returns मिलेंगी, रिटायरमेंट secure होगा, निवेश करने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात, instant liquidity मिलेगी in

Traditionally illiquid assets. आपको कोई ब्रोकर की फीस, कोई रजिस्ट्री का झंझट, प्रॉपर्टी डीलर का झंझट नहीं, आप खरीद-बेच आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ transaction cost घटेगी, intermediary की cost घटेगी।

सर, दुनिया भर में जो मजबूत mature अर्थव्यवस्थाएँ हैं, उन्होंने asset tokenisation के concept को recognize किया। यूएसए ने SEC ने अपनी Securities Act में इस tokenisation के concept को शामिल किया है। सिंगापुर ने Project Guardian के नाम से एक प्रोजेक्ट लाकर इसको legalise किया। European Union ने Markets in Crypto-Asset Regulation का एक कानून लाकर इसे regularize किया और यूएई ने सबसे बड़ा काम करते हुए एक अलग अथॉरिटी- Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) बना दी, जो इस प्रकार के asset tokenization पर काम करती है। Sir, Indians have more cultural affinity to real estate and precious metals like gold, silver, etc. because 70 to 80 per cent of our households assets are stored in these asset classes. Therefore, tokenization will directly address their

preference by enabling fractional ownership of these assets using block-chain technology.

सर, अंत में, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इंडिया को अपनी asset tokenization की एक bespoke legislation की जरूरत है और एक regulatory sandbox की जरूरत है। इसके चलते investment और ownership आम आदमी के लिए सही मायने में inclusive बनेगी। अगर भारत में Asset Tokenization कानून के माध्यम से regulatory clarity आ जाती है, तो global capital सिंगापुर, यूएई, हांगकांग और यूएस जाने की बजाय भारत में आएगी और भारत में निवेश होगा। So, there is an urgent need for an Asset Tokenization Bill for this country.

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार)ः माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मुझे the Appropriation (No.4) Bill, 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं सदन की आभारी हूँ। महोदय, यह अवसर केवल बजट के आंकड़ों पर चर्चा का नहीं है, बल्कि नीतियों की नीयत और नतीजों की सच्चाई को सामने रखने का है। यूपीए सरकार के समय में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपये तक सीमित था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे बढ़ाकर लगभग 90,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि केवल राशि की नहीं, बल्कि गरीब की सेहत, महिला की सुरक्षा और बुजुर्ग की गरिमा की गारंटी है। यह कहा भी गया है कि जहां नीयत साफ हो, वहां नीति खुद रास्ता बना लेती है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले की बजट प्रणाली में धन कई स्तरों पर अटका रहता था, जिसके कारण देश में विकास की गति अवरुद्ध होती थी, लेकिन आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक पहुंच पा रही हैं। जब यूपीए की सरकार थी, तो योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। आज रियल-टाइम फंड ट्रांसफर के माध्यम से न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपये की बचत भी हुई है।

मोदी है, तो यह मुमकिन है,

यह सुशासन की पहचान है,

यह मोदी जी की गारंटी है।

कागजों में कैद थीं कल तक जो योजनाएँ,

आज जमीन पर उतरकर लोगों की कहानी बन गई है,

यह विकसित भारत की पहचान है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिहार के मिथिला की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिहार के मिथिला की बेटी हूँ। वर्ष 2004 से 2014 के दौरान, आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है, वह ऐतिहासिक है। वर्ष 2004 से 2014 के दौरान, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" और "ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" जैसी योजनाएँ

Contents Page

यूपीए की सरकार में हमारे क्षेत्र में लगभग ठप थीं। गांव अंधेरे में थे, सड़कें टूटी थीं और युवाओं की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। जिस धरती ने ज्ञान दिया, उसी धरती को विकास से वंचित रखा गया।

लेकिन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार, विशेषकर मिथिला की तस्वीर बदली है। आज वहां बेहतर सड़कें हैं, बिजली की सुलभ व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, डिजिटल सेवाएं पहुंच चुकी हैं और भविष्य को लेकर एक नई आशा है। मिथिला में स्थापित मखाना अनुसंधान केंद्र मिथिलावासियों के लिए अमृत के समान है। जो मिथिला सदियों से इंतजार में थी, आज उस मिथिला को उसका हक मिला है। यही कारण है कि बिहार ने दिल खोलकर आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मतदान किया। यह केवल वोट नहीं था, बल्कि विश्वास का उत्सव था। इसी विश्वास का परिणाम है कि बिहार में प्रचंड जीत हुई है। नेतृत्व वही नहीं होता जो केवल भाषण दे, नेतृत्व वह होता है जो लोगों के दिलों में उतर जाए। यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सुशासन में ही संभव हुआ है। वे जनता के दिलों पर राज करते हैं। विपक्ष जब सत्ता में था, तब उसके पास अवसर थे, लेकिन उन्होंने जनता की उपेक्षा की। आज वही विपक्ष "वोट चोरी" पर सवाल पूछता है, जबकि जनता ने अपना जवाब वोट के माध्यम से दे दिया है और बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का समर्थन किया है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह बजट केवल खर्च का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि नए भारत की सोच और समावेशी विकास की दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक है। बिहार की बेटी होने के नाते मैं गर्व के साथ कहती हूं कि आज बिहार आगे बढ़ रहा है और यह माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मजबूत, दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। जब नेतृत्व सही होता है, तो दिशा भी सही होती है और मंज़िल अपने आप मिल जाती है।

आज भारत तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे रेल मार्ग, सड़क अवसंरचना, डिजिटल संपर्क व्यवस्था, संचार प्रणाली, विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आदि सशक्त और आधुनिक हों। इसी उद्देश्य से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि देश की विकास यात्रा में कोई कमी न रह जाए। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विकास वही सार्थक है जो शहर से गाँव तक और गरीब से मध्यम वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सिद्ध हुआ है कि विकास बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका लाभ देश और बिहार जैसे ऐतिहासिक और श्रमशील राज्यों तक भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ पहुंचा है।

शिक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना, अनुसंधान को बढ़ावा और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना—ये सभी प्रयास बिहार के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं।

Contents Page

माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान विशेष रूप से बिहार के लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए संजीवनी का कार्य कर रहे हैं। हथकरघा, खादी, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे विनिर्माण से जुड़े लाखों उद्यमियों को तकनीकी सहायता, ऋण सुविधाएं और कौशल विकास का लाभ मिल रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमेशा नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति का आधार माना है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से बिहार की करोड़ों माताओं, बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। यह केवल रसोई गैस का कनेक्शन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तीकरण की गारंटी है। पंजीकृत एमएसएमईज़ में बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं आज विकास की धुरी बन चुकी हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में किए गए प्रावधान बिहार के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना रहे हैं। दूध उत्पादन में वृद्धि, देसी नस्लों का संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास सीधे तौर पर बिहार के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। यह सरकार किसान कल्याण को केवल नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प मानती है। आज देश के सभी किसानों को किसान सम्मान निधि से फायदा पहुंचा है और आज इस अनुपूरक बिल हम सभी इसको पास करना चाहते हैं, ताकि किसान को और भी फायदा मिले। मैं माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था है और हम आगे तीसरी अर्थव्यवस्था तक जाने वाले हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं केवल एक मिनट का समय लेना चाहती हूं।

उपसभापति महोदय, यह अनुपूरक अनुदान केवल वित्तीय प्रावधान नहीं है, बल्कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने का सशक्त माध्यम है। मैं पूरे विश्वास के साथ इन अनुदानों का समर्थन करती हूं और मोदी सरकार को देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर राज्य के समावेशी विकास के लिए साधुवाद देती हूं और मैं सदन से यह आग्रह करती हूं कि वर्ष 2025 से 2026 के पूरक अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाए, क्योंकि यह पूरक मांग पहला समूह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभा रही है ...(**समय की घंटी**)... और देश के विकास को तेज, संतुलित और निरंतर बनाने के लिए पूर्णता प्रतिबद्ध है।

MESSAGES FROM LOK SABHA- *Contd.*

The Repealing and Amending Bill, 2025

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting, held on 16th December, 2025, passed the Repealing and Amending Bill, 2025. I lay a copy of the said Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

Contents Page

GOVERNMENT BILL

The Appropriation (No.4) Bill, 2025- *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Anil Sukhdeorao Bonde.

डा. अनिल सुखेदवराव बोंडे (महाराष्ट्र)ः उपसभापति महोदय, मैं इस पूरक अनुदान तथा समायोजन के विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि निरीक्षण करके मैं जब भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ देखता हूं, तब कोरोना काल से विकसित भारत की तरफ दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रही है। मुझे याद है कि कोरोना समय में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तीन दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें 20 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं रखी गईं। मुझे याद है कि इस वर्ष जब अर्थ संकल्प रखा गया, तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा दी गई। हमारे जो बच्चे पुणे में काम कर रहे थे, जो बच्चे मुंबई में काम कर रहे थे, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे, उन बच्चों के मैसेज आए कि मोदी जी ने हमारा दिल जीत लिया। यानी आईटी सेक्टर में जो बच्चे काम कर रहे थे, मोदी जी ने उनका दिल जीत लिया, ऐसे उनके मैसेजेज़ आए। हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि इनकम टैक्स की लिमिट इतनी बढ़ेगी। ये लोग बोलते हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी दिल चुराते नहीं हैं, बल्कि दिल जीत लेते हैं। उसके बाद अभी-अभी ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is Appropriation Bill.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः सर, मैं बिल पर ही कहूँगा, पूरी अर्थव्यवस्था के बाजूँ में नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि अभी-अभी Next gen-GST के माध्यम से भारत की जो पूरी सर्वसामान्य जनता थी, उस सर्वसामान्य जनता के सवेरे 6 बजे से लेकर शाम तक, रात के सोने तक, जितनी भी वस्तुएँ थीं, उनके प्राइसेस कम हो गए और उसका लाभ भी उनके खातों में चला गया। व्हिकल, कार, मोटर साइकिल और साइकिल के ऊपर जीएसटी कम हो गया। इसकी वजह से, एक मिडिल क्लास के व्यक्ति का जो सपना था का कि मैं मोटर साइकिल लूं, कार लूं, उसका वह सपना पूरा हो सका।

महोदय, मैं तो आज यह कहता हूं कि 'भारत रत्न' बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना अच्छा संविधान बनाया है कि इस बिल के माध्यम से Consolidated Fund से एक भी रुपया संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। आज वहां लोक सभा में इसके लिए मंजूरी हो गई है और यहां से पास होने के बाद इन चीजों के लिए, जहां खर्चा करना आवश्यक है, उसके लिए प्रमाणित किया जाएगा।

सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7% और इन्फ्लेशन रेट 2% चल रहा है। यदि आप 2009 और 2010 की तरफ देखेंगे, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% था और ग्रोथ रेट 2% था। उस ग्रोथ रेट और उस जीडीपी के लिए ये लोग कुछ कहते थे। महोदय, मैंने पिछली बार 'लिब्रांडू' शब्द यूज़ किया था, यानी जिनको इंटेक्चुअल, लिबरल

कहते हैं, ऐसे लोग उसको 'हिंदू अर्थव्यवस्था' बोलते थे। मैं आज बताना चाहता हूं कि यह ग्रोथ रेट, जो मोदी जी ने बढ़ाया है, जो 7% तक आया है - वैसे इस तिमाही का 8.6% है, एवरेज 7% है और इन्फ्लेशन रेट 2% तक हो गया है, इसलिए इसको 'हिंदू अर्थव्यवस्था' कहना चाहिए, हमारे मरे हुए उस ग्रोथ रेट को, जो डाउन था, उसको 'हिंदू अर्थव्यवस्था' कदापि नहीं कहना चाहिए। यदि 'हिंदू अर्थव्यवस्था' बोलते हैं, तो वह डाउन वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे लिबरल लोग, जो ऐसा सोचते थे, उनकी सोच के विपरीत आज अच्छा काम हो रहा है।

सर, इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण बात है। मैं एग्रिकल्चर पर आऊंगा, एमएसएमई पर आऊंगा, हायर एजुकेशन पर भी आऊंगा। मैंने देखा है कि कितनी बारीकी से पैसे रखे गए हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन खुफिया ब्यूरो के तहत गुप्त सेवा के लिए व्यय करने के लिए व्यवस्था की गई है। यानी, पुलिस के खुफिया विभाग को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा अतिशय महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। आज भी देखा गया कि कश्मीर में जो छह डॉक्टर थे, जो एमबीबीएस थे, उन डॉक्टर्स ने आरडीएक्स रखा था और इतना बड़ा जाल बिछाया हुआ था कि पूरे भारत में इस बम ब्लास्ट की फोटो की मालिका लग सकती है। हमारी खुफिया पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला और उसके बाद, जिसको उसमें डर लगा, जिसने लाल किले के बाहर वह आत्मघाती हमला किया, उसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है। इस एप्रोप्रिएशन बिल में खुफिया विभाग के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए पैसे रखे गए हैं। मैं पैसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह मैटर थोड़ा गोपनीय रहना चाहिए।

सर भारत की सुरक्षा एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंट है। अगली कोई भी लड़ाई जमीन पर नहीं होगी, बल्कि वह ड्रोन, एयरक्राफ्ट के माध्यम से होगी। एयरक्राफ्ट और एयर इंजन के लिए 12,000 करोड़ रुपये चाहिए। हम सिर्फ एयरक्राफ्ट और एयर इंजन नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही, उसकी प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी भी खरीद रहे हैं। हम प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी खरीदने सहित उसके लिए 12,000 करोड़ रख रहे हैं, ताकि हमारी सुरक्षा निश्चिंत रहे।

महोदय, मुझे मोदी जी की बात बहुत अच्छी तरह से याद है कि अब भारत वह भारत नहीं रहा, जो सिर्फ निषेध करेगा, अब भारत वह भारत नहीं रहा, जो कंडेम्न करेगा, अब भारत वह भारत है कि अगर कोई घुसने की कोशिश करता है, तो उसको घर में जाकर, घुसकर मारेगा। महोदय, अब ऐसे भारत का निर्माण हुआ है। यह मोदी जी का भारत है। महोदय, ये जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, इन खुफिया विभाग, पुलिस विभाग तथा एयरक्राफ्ट की परचेज के बारे में मुझे जो दिखाई दिया, वह बहुत महत्वपूर्ण लगा।

महोदय, मेरा तीसरा बिंदु जय जवान-जय किसान का है।

सर, मैं लिखकर देता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं, तब से यूरिया, डीएपी के भाव नहीं बढ़े हैं। 2014 में जिस भाव पर यूरिया मिलता था, उसी भाव पर आज भी मिल रहा है। महोदय, 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि किसानों का उत्पादन बढ़ाना है। मोदी जी पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने किसानों के उत्पादन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उत्पन्न के बारे में सोचा, इनकम के बारे में सोचा। हम ग्रीन रेवोल्यूशन के समय हर

बार बोलते थे कि किसानों को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, किसानों को उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उत्पादन तो बढ़ाते थे, लेकिन उत्पन्न नहीं बनता था, यानी इनकम नहीं बढ़ती थी, लेकिन मोदी जी ने इनकम बढ़ाने के लिए उत्पादकता की लागत घटाई।

सर, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ कि भारत का ड्रिप इरिगेशन को लेकर जो सौ लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, उसे हमने पार कर दिया है। सर, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, जहाँ हम हमारे मुख्य मंत्री, देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से 2026 खत्म होने तक सभी खेतों के लिए कृषि पम्प को दिन में भी पूरी लाइन देंगे, यानी हमने प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा सोलर ग्रिड तैयार किया है कि किसी किसान को रात में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, किसान को यही चाहिए कि रात को जाने की जरूरत न पड़े, बिजली रहनी चाहिए, पानी की उपलब्धता रहनी चाहिए, उसे ड्रिप इरिगेशन मिलना चाहिए, उसके मैकेनाइजेशन के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, उसके खाद उत्पादक की सब्सिडी रहनी चाहिए और वह जो अनाज पैदा करता है, उसे एमएसपी पर खरीदी करने की व्यवस्था होनी चाहिए।मुझे यह बताते हुए गर्व है कि दाल के मिशन के तहत हमारे मोदी जी की सरकार द्वारा पूरी की पूरी तूअर, पूरी की पूरी मसूर, पूरी की पूरी मूँग, पूरी की पूरी उड़द की हंड्रेड परसेंट खरीदी का काम भी किया जा रहा है।

सर, पीएम-किसान योजना के तहत छः हजार मिलते हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र - यहाँ पीएम-किसान योजना के छः हजार रुपये के साथ-साथ राज्य सरकार भी छः हजार रुपये देती है। यानी एक एकड़ वाला अल्पभूधारक किसान भी होगा, उसके एक एकड़ से उसकी इनकम बीस हजार होगी, लेकिन उसे सरकार के माध्यम से उसके खाते में बारह हजार रुपये हंड्रेड परसेंट मिलते हैं। यानी कोई एक एकड़ वाला भी है, आधा एकड़ वाला भी है, तो भी उसे यह राशि मिलती है। महोदय, डायरेक्ट बेनिफिट देने के बारे में किसी प्रधान मंत्री ने कभी नहीं सोचा। बाकी के लोग तो वस्तुएं देते थे और वस्तुएं देते समय हर एक को कमीशन रहता था। अब पीएम-किसान योजना के छः हजार रुपये आते हैं या महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के छः हजार रुपये आते हैं, इसके लिए तहसीलदार को एक पैसा नहीं देना पड़ता है।

श्री उपसभापतिः डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे जी, पार्टी ने आपको जितना समय दिया था, वह खत्म हो रहा है।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः सर, मुझे पाँच मिनट बढ़ाकर दिए गए थे।

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयीः सर, इनका समय बढ़ा दिया गया था।

श्री उपसभापतिः आपकी पार्टी के समय में से?

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयीः हाँ।

श्री उपसभापतिः मैं आपसे पुनः बोलने के लिए कहूँ, उससे पहले एक मैसेज है। Message from Lok Sabha; Secretary General.

Contents Page

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Message from Lok Sabha; Secretary General.

MESSAGES FROM LOK SABHA- *Contd.*

Motion for nomination to serve on the Joint Committee on the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 2025, adopted the following Motion in regard to the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025.

"That the Bill to enable and empower the Universities and other higher educational institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation, through coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Viksit Bharat Shiksha Adhishthan, to facilitate the Universities and other higher educational institutions to become independent, self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation andautonomy, and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a Joint Committee of the Housesconsisting of 21 Members of this House to be nominated by the Hon'ble Speaker Lok Sabha and 10 Members of Rajya Sabha to be nominated by Hon'ble Chairman;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be, as near as may be, one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first part of the Budget Session 2026;

that in other respect, the Rules of Procedure and conduct of Business of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

GOVERNMENT BILL

The Appropriation (No.4) Bill, 2025- *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde to continue.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: सर, प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए जो उर्वरक की सब्सिडी दी है, मैं उसका आँकड़ा बताता हूँ। इस उर्वरक की सब्सिडी के लिए 31,063 करोड़ रुपये दिए हैं। मोदी जी लोगों का दिल कैसे जीतते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सर, यह सिम्पल बात है। जब हम 2014 से पहले गाँव में जाते थे, तब नाक पर कपड़ा लगाकर जाना पड़ता था। 15 अगस्त, 2014 में प्रधान मंत्री जी ने हर घर शौचालय का उल्लेख किया। आज ऐसी परिस्थिति है कि ग्रामीण इलाकों में, चाहे वह आदिवासी इलाका हो, हर घर में शौचालय है और हमारी माताएँ, हमारी महिलाएँ सम्मान से शौचालय में जाती हैं। आप देखिए कि लाइफ में टोटली चेंज आया है।

सर, एक चेंज प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से आया है। आज 9 करोड़ घरों में प्रधान मंत्री जी का दिया हुआ गैस सिलेंडर है और उसका स्टोव है। आप देखिए कि इसका परिणाम कैसा है? आज उज्ज्वला योजना में 9 सिलेंडर्स भी 300 रुपये की सब्सिडी से मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकी के लोगों के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है। इस उज्ज्वला योजना का फायदा कैसे हुआ? सर, 9 करोड़ लोग लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर अपना खाना बनाते, तो आज कितना पॉल्यूशन बढ़ सकता था, यानी प्रधान मंत्री जी 2070 तक carbon neutrality की ओर जा रहे हैं और हर एक घर में एलपीजी गैस का चूल्हा होना चाहिए। उन्हें मालूम था कि वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें फ्री में दिया जाए, 300 रुपये की सब्सिडी के साथ साल में 9 सिलेंडर्स दिए जाएँ। इसके लिए उन्होंने 14,692 करोड़ रुपये रखे।

सर, मैं युवाओं के लिए बोल सकता हूँ। अभी कोई वक्ता digital subscription के बारे में बोल रहे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पूरी दुनिया की नॉलेज इकट्ठा होगी और एक क्लिक पर, चाहे वह लड़का अमरावती का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो, उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वह just like Artificial Intelligence, ChatGPT पर जा सकता है और ChatGPT से भी ज्यादा वेगवान, एआई से ज्यादा वेगवान digital subscription के माध्यम से हम सारी किताबें पढ़ सकते हैं। सर, यह परिवर्तन पूरी ताकत से हो रहा है। मुझे कभी-कभी दुख होता है कि कांग्रेस की यह परंपरा नहीं थी। कांग्रेस प्रधान मंत्री के बारे में कभी ऐसा नहीं बोल सकती थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी के लिए गड्ढा खोदने की घोषणा करोगे, तो आप गड्ढे में जाओगे। यह बात ख्याल में रखनी है।

सर, मैं आपसे टेलीकॉम्युनिकेशन क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। टेलीकॉम्युनिकेशन क्षेत्र के लिए 38,543 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अब टेलीकॉम्युनिकेशन क्षेत्र पूरे भारत का नक्शा बदलने वाला है। हर ग्राम पंचायत तक हमारा optical cable network गया हुआ है, जिसके माध्यम से हम सभी से नेट से जुड़ गए हैं।

Contents Page

श्री उपसभापतिः अब कन्क्लूड कीजिए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः सर, आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि टीएमसी के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक बोल रहे थे कि एकला चलो रे, एकला चलो रे। यह रबीन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता थी, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि सबको साथ लेकर चलो रे, चाहे बंगाल हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ...(**समय की घंटी**)... कोई भी धर्म, जाति का हो, सबको साथ लेकर विकसित भारत तक चलो रे।

श्री उपसभापतिः अब कन्क्लूड कीजिए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः यही संदेश इस बिल के माध्यम से दिया है। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is now 6.00 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6.00 p.m. till the disposal of today's listed Business. क्या हम लोगों को बैठने की सहमति है?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

6.00 P.M.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the Members that the Business Advisory Committee, in its meeting held on 16th December, 2025, has allotted time for Government Legislative and Other Business, as follows:

	BUSINESS	TIME ALLOTTED
1.	Consideration and passing of the following Bills after they are passed by Lok Sabha:-	
	The Repealing and Amending Bill, 2025	1 Hour
	The Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025	4 Hours

---

GOVERNMENT BILL

The Appropriation (No.4) Bill, 2025- *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Minister, Shri Pankaj Chaudhary, to reply to the discussion.

Contents Page

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं अनुपूरक मांगों पर हुए विस्तृत डिस्कशन का जवाब देने के लिए आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं। अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में 72 ग्रांट्स हैं और एक एप्रोप्रिएशन है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए है। इसमें कुल 1,32,268.85 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है, जिसमें कैश, टोकन एवं टेक्निकल सप्लीमेंटरी डिमांड्स शामिल हैं। इन डिमांड्स में नेट कैश का जो आउटफ्लो है, वह मात्र 41,455.39 करोड़ रुपए है; जो टेक्निकल सप्लीमेंटरी डिमांड है, वह मात्र 90,812.17 करोड़ रुपए है, जिसमें कोई अतिरिक्त कैश आउटफ्लो नहीं है। साथ में, 14,825.42 करोड़ रुपए कंटिंजेंसी फंड की प्रतिपूर्ति के लिए दिए जा रहे हैं। कैश सप्लीमेंटरी में 40,058.35 करोड़ रुपए रेवेन्यू के लिए हैं और 1,397.04 करोड़ रुपए कैपिटल के लिए हैं। टेक्निकल सप्लीमेंटरी, जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं है, जैसे एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होता है। इसमें 22,387.38 करोड़ रुपए रेवेन्यू के लिए और 68,424 करोड़ रुपए कैपिटल के लिए हैं। ये अनुपूरक मांगें उर्वरक, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस, गृह, उच्च शिक्षा, विदेश, टेलीकॉम, रक्षा आदि मंत्रालयों के लिए ली गई हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, आज इन अनुपूरक मांगों पर माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है और उनके बहुत से सुझाव भी आए हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा जवाब सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य, जी.सी. चन्द्रशेखर जी ने यूरिया के प्रोडक्शन का विषय उठाया था। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और देश को बताना चाहता हूं कि जहां तक यूरिया प्रोडक्शन का सवाल है, अगर हम देखें, तो अक्टूबर, 2025 में यूरिया प्रोडक्शन करीब 26.88 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जो कि पिछले अक्टूबर, 2024 की तुलना में 1.05 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। अगर हम हर महीने की बात करें, हर महीने को कंपेयर करें, तो अब तक लगभग 1 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हर महीने हो रही है। अगर हम अप्रैल से अक्टूबर, 2025 का एवरेज देखें, तो यह मंथली 25 लाख मीट्रिक टन रहा है। मैं यह भी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि यूरिया की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है।

माननीय चन्द्रशेखर जी ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस पर भी सवाल उठाया था और उनकी धनराशि के ट्रांसफर होने में कमी की बात बताई थी। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सेस में 71,159 करोड़ रुपए एकत्र हुए थे, जबकि भारत सरकार ने उस फंड में करीब 80,010 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार ने जितना collection किया, उससे ज्यादा धनराशि उसमें transfer करने का काम किया। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि health के लिए 2014-15 से लेकर 2025-26 तक का जो average बजट था, वह दोगुने से भी अधिक हो गया है, क्योंकि 2004-05 से लेकर 2013-14 तक जो average सालाना खर्च 0.19 लाख करोड़ था, वह 2014-15 से लेकर 2025-26 के period में बढ़ कर 0.68 लाख करोड़ हो गया है।

उपसभापति महोदय, माननीय जी. चंद्रशेखर जी ने MSP की भी बात कही थी। मैं आपके माध्यम से यह बात सदन के रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि 2013-14 की तुलना में 2025-26 में लगभग सभी प्रमुख फसलों की MSPs लगभग दोगुनी हो गई हैं। महोदय, अगर मैं बताऊं, तो

रागी की MSP तो 3.33 गुना ज्यादा बढ़ी हुई है। यही नहीं, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित की रक्षा के लिए MSP पर सरकारी खरीद में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नवंबर, 2025 तक पीएम किसान योजना के अंतर्गत, हमारी सरकार ने 11 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये direct transfer करने का काम किया है।

उपसभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने राजकोषीय घाटे के बारे में भी चर्चा की थी। माननीय निरंजन रेड्डी जी ने fiscal deficit की बात कही थी। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार fiscal consolidation के लिए अत्यंत ही सजग है। 2020-21 में fiscal deficit जहां 9.2 per cent of GDP था, वहीं वर्ष 2025-26 के बजट के estimate में fiscal deficit का लक्ष्य मात्र 4.4 per cent of GDP रखा गया है। सरकार के सतत प्रयासों की सराहना वैश्विक स्तर पर हुई है। इसी कारण भारत की credit ranking में सुधार हुआ है। इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि 2025-26 के बजट में और भी अधिक proven path अपनाया गया है, जिससे fiscal deficit के साथ-साथ debt to GDP ratio को सीमित रखने का भी लक्ष्य रखा गया है।

उपसभापति महोदय, भारत सरकार जहां fiscal deficit को कम कर रही है, वहीं पर आम जन के हितों वाली योजनाओं के fund में कोई भी कमी नहीं की गई है। चाहे पीएम आवास हो, पीएम किसान योजना हो, आयुष्मान योजना हो, मुद्रा योजना हो या पीएम विश्वकर्मा हो, ऐसी तमाम योजनाओं के माध्यम से आम जन का सशक्तीकरण किया जा रहा है। वहीं अगर आप basic infrastructure में देखें, तो उसमें allocation लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज देश में चाहे वह रोड हो, expressway हो, port हो या airport हो, इन सबमें गति देने का काम हमारी सरकार कर रही है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने राज्यों के revenue sharing की भी बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि फाइनेंस कमीशन के तहत जो निर्धारित किया जाता था, पहले जो 32 परसेंट का शेयर होता था, उसको बढ़ा कर और कमीशन की सिफारिश पर, हमारी सरकार ने उसको 2015-16 में 42 परसेंट स्वीकार करने का काम किया था। यानी हमारी सरकार ने इसमें सीधे-सीधे 10 परसेंट की बढ़ोतरी की थी।

उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार cooperative federalism में विश्वास करती है। राज्यों और विधानमंडल वाले संघ क्षेत्रों में, 2025-26 में, जहां 25.60 लाख करोड़ की राशि transfer होने का estimate है, अगर इस धनराशि को 2024-25 की तुलना में देखें, तो इसमें 2 लाख करोड़ से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने भेदभाव की भी बात की थी। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। मैं अपनी बात के सपोर्ट में कुछ डाटा देना चाहता हूं। जहां तक टैक्स हस्तांतरण की बात है, तो 2014-15 में जहां 24,595 करोड़ रुपये दिए गए थे, वहीं पर अगर देखें, तो 2024-25 में यह चार गुना बढ़ कर 96,812 करोड़ रुपये हो गया। तमिलनाडु की बात यहां पर आ रही है। अगर तमिलनाडु की बात करें, तो जहां 2014-15 में

16,824 करोड़ रुपये दिए गए थे, वहीं यह 2024-25 में बढ़ कर 52,492 करोड़ रुपये हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I want to say something.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. Let him reply.

श्री पंकज चौधरी: उपसभापति महोदय, अगर केरल की बात करें, तो West Bengal को 2014-15 में जहाँ 7,926 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं 2024-25 में 24,772 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर कर्णाटक की बात करें, तो 2014-15 में जहाँ 14,654 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं 2024-25 में हमारी सरकार ने 46,933 करोड़ रुपए टैक्स हस्तांतरित करने का काम किया है। मोदी सरकार कहीं पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि एक साथी ने शिक्षा पर कम व्यय पर चिंता जताई थी। इसके नतीजे खुद उनके सामने हैं कि शिक्षा में 2014 की तुलना में अगर आप देखें, तो आईआईटीज़ की संख्या 16 से बढ़ कर 23 हो गई है, जिनमें छः नए आईआईटीज़ हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। वहीं IIMs की संख्या 13 से बढ़ कर 21 हो गई है और 7 नए IIMs बने हैं और NITIE, Mumbai को आईआईएम में बदला गया है। एनआईटीज़ की संख्या 30 से बढ़ कर 31 हुई है। एनआईटी, आन्ध्र प्रदेश की स्थापना 2015 में हुई है। आईआईआईटीज़ की संख्या 9 से बढ़ कर 25 हो गई है। इस प्रकार से 16 नए आईआईआईटीज़ उसमें सम्मिलित हुए हैं। जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की संख्या 40 से बढ़ कर 48 हुई है, वहीं एम्स की संख्या 7 से बढ़ कर 12 हुई है। जिसमें और 16 को मंजूरी दी गई है और उनमें से 12 स्थापित हो चुकी है।

उपसभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने अर्थव्यवस्था का विषय उठाया था। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि एनडीए का जो average growth है, अगर सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड न आया होता, तो आज यह average growth शायद और भी अच्छा होता, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारा ग्रोथ नीचे चला गया था। कोविड के समय पूरे विश्व में समस्या आई थी उससे भारत भी कहीं अछूता नहीं था। अगर आप देखें, तो महामारी से प्रभावित दो सालों में, 2021 और 2022 में एनडीए की ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी रुकी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन कर उभरा है। 2012 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसी एक वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को नाजुक-पांच में रखा गया था। अगर दो साल में जीडीपी में ग्रोथ देखें, तो 2012-13 और 2013-14 में हमारे देश का ग्रोथ रेट जहाँ 5 परसेंट था, वहीं कोविड के बाद, प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी आज भारत का ग्रोथ 8.2 प्रतिशत से तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत लगातार तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन कर उभरा है।

Contents Page

उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। जहाँ आम लोगों का सशक्तीकरण किया जा रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी बढ़ाई जा रही है। जहाँ एक ओर लोगों को डीबीटी के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वहीं fiscal deficit को भी contain किया जा रहा है। जहाँ देश में start-up ecosystem को बहुत बूस्ट मिला है, वहीं एमएसएमई उद्योग ग्रोथ इंजन बन कर उभरे हुए हैं। देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिला है और हमने चन्द्रमा के साथ-साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग किया है, जो आज कोई भी विकसित राष्ट्र नहीं कर पाया है। विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत का परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रहा है। अंत में, मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज अनुपूरक माँगों पर देश हित में विचार कर निर्णय लें और माँगों को आम सहमति से पास करें, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year2025-26, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Pankaj Chaudhary to move that the Bill be returned.

श्री पंकज चौधरी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक विधेयक को लौटाया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 17th December, 2025.

The House then adjourned at sixteen minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 17th December, 2025.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)